

ई-मेल

प्रेषक,

डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ उपाध्यक्ष,

बस्ती विकास प्राधिकरण,  
बस्ती।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 जुलाई, 2024

विषय:- पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी०आई०एस० आधारित बस्ती महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अनुरोध संबंधी अपने पत्र संख्या-1573/ब०वि०प्रा०/2023-24 दिनांक 19.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-172/स.नि.(के)/अमृत महा परीक्षण-बस्ती /2023-24 दिनांक 20.03.2024 के माध्यम से बस्ती महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) का प्रतिवेदन मानचित्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्राधिकरण के पत्र संख्या-2044/ ब०वि०प्रा०बस्ती/2023-24 दिनांक 13.03.2024 एवं पत्र संख्या-514/ ब०वि०प्रा०बस्ती/2024-25 दिनांक 24.06.2024 द्वारा बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) को भाग-'क' के रूप में स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) की धारा-8(4) एवं 10(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) को पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' के रूप में स्वीकृति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उपर्युक्तानुसार अनुमोदित पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' को जनसामान्य की जानकारी हेतु न्यूनतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में अविलम्ब प्रकाशित कराते हुए महायोजना के मानचित्रों को जनसामान्य हेतु प्राधिकरण के डिसप्ले बोर्ड/वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: अनुमोदित पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' (मूल रूप में )।

भवदीय,

Signed by

Nitin Ramesh Gokarn

Date: 01-07-2024 15:47:09

(डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त बस्ती मण्डल/अध्यक्ष बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती।
2. जिलाधिकारी, बस्ती।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अनुमोदित पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' की मूल प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।


संलग्नक: अनुमोदित पुनरीक्षित बस्ती महायोजना-2031 भाग-'क' (मूल रूप में )।

आज्ञा से,

डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण

अपर मुख्य सचिव।

# बस्ती महायोजना-2031 (पुनरीक्षित)



बस्ती विकास प्राधिकरण

बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती, उत्तर प्रदेश



Stesalit  
Systems  
LIMITED

## प्राक्कथन


बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक नगरों में से एक है। यह नगर कुवानों नदी के तट पर स्थित है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-28 एवं पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रदेश तथा देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा है। वर्ष 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में इसे गोरखपुर जनपद के अंतर्गत तहसील मुख्यालय बनाया गया तथा कालान्तर में वर्ष 1997 में यहाँ बस्ती मंडल का मुख्यालय बना, जिससे बस्ती, सिद्धार्थनगर तथा संत कबीरनगर जनपद सम्मिलित है।

बस्ती के सुनियोजित एवं नियन्त्रित विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-6020/37-3-82-55एन.के.वी.-82 दिनांक-14.10.1983 के अधीन बस्ती नगर पालिका एवं उसके समीपवर्ती 69 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रथम महायोजना वर्ष-2021 तक के लिए तैयार की गयी, जिसे वर्ष 2015 में लागू किया गया था। वर्ष 2016 में शासन की अधिसूचना संख्या-275/आठ-10-16-03 गडन/97 दिनांक-28.10.2016 द्वारा बस्ती विकास क्षेत्र घोषित करते हुए बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बस्ती विकास क्षेत्र की अपनी महायोजना नही होने के कारण प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक में विनियमित क्षेत्र की बस्ती महायोजना-2021 को अंगीकृत किया गया। बस्ती महायोजना-2021 की अगुवाई पूर्ण होने के फलस्वरूप भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत जी.आई.एस. वेस्ट बस्ती महायोजना-2031 तैयार किये जाने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश/नोडल विभाग के निर्देशन में चयनित कन्सल्टेन्ट M0 स्टेसलिट सिस्टम लिमिटेड को सौंपा गया।

चयनित कन्सल्टेन्ट मै० स्टेसलिट सिस्टम लिमिटेड द्वारा नगर के वर्तमान विकास का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण तथा नगर की वर्तमान समस्याओं का विस्तृत अध्ययन कर बस्ती विकास क्षेत्र हेतु वर्ष 2031 तक की अनुमानित 5.10 लाख जनसंख्या हेतु महायोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

बस्ती महायोजना-2021 को पुनरीक्षित करते हुए नगर के सुनियोजित विकास हेतु तैयार की गयी बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर नगर सम्मानित नागरिकों एवं विभिन्न शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय के विभागों/अधिकरणों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से महायोजना प्रारूप को दिनांक 01.08.2022 से 30.09.2022 तक प्रदर्शित किया गया। प्रारूप महायोजना पर प्राप्त कुल 2423 आपत्ति/सुझावों को शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुना गया एवं सम्बन्धित स्थल के निरीक्षण एवं जांचोपरांत मान्य आपत्ति/सुझावों को बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) में समाहित करते हुए इसे अन्तिम रूप प्रदान किया गया, जिसे प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक-27.03.2023 की बैठक में अनुमोदन के उपरांत शासन की शासकीय समिति के समक्ष दिनांक-03.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में संशोधन कर प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक-22.11.2023 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया, जो कि शासन की स्वीकृति के पश्चात प्रभावी होगा।

मैं बस्ती विकास प्राधिकरण बोर्ड के सभी सदस्यों, विभिन्न शासकीय/अर्द्ध-शासकीय कार्यालयों तथा स्थानीय जागरूक नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पुनरीक्षित महायोजना प्रारूप को तैयार करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। बस्ती महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) को तैयार करने में कन्सल्टेन्ट, बस्ती विकास प्राधिकरण तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लगन एवं उनका कठिन परिश्रम प्रशंसनीय है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बस्ती महायोजना-2031 नगर के भावी नियोजित विकास को उचित दिशा प्रदान करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

  
(अखिलेश सिंह)

आयुक्त/अध्यक्ष,

बस्ती मण्डल/बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती

## प्राक्कथन

बस्ती नगर की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में मीमांसकों का यह मत है कि यह नगर प्राचीन समय में बस्ती नगर एवं उसके आस-पास का क्षेत्र "कोशल" नाम से प्रसिद्ध था। सत्ययुग ब्राह्मण के अनुसार "कोशल" वैदिक आर्यों का एक राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार "कोशल" के सबसे प्रभावशाली राजा इक्ष्वाकु थे, जिनके शासनकाल में "कोशल" राज्य ने अत्यधिक विकास किया। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र भगवान श्री राम के शासनकाल में "कोशल" राज्य की प्रभुसत्ता अपने चरम सीमा पर थी। भगवान श्री राम ने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहते हैं। इस अवधि में कोशल राज्य अधिक विकसित हुआ और इनके बाद "कोशल" के शासक विभक्त हो गये। "कोशल" में राम के ज्येष्ठ पुत्र 'लव' अयोध्या के राजा बने तथा छोटे पुत्र 'कुश' राज्य के उत्तरी भाग श्रावस्ती के शासक बने। कालान्तर में बस्ती जनपद इन्हीं से सृजित हुआ और इस नगर का शनैः शनैः विस्तार एवं विकास होता गया।

बस्ती के सुनियोजित एवं नियन्त्रित विकास हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बस्ती नगर पालिका एवं उसके समीपवर्ती 89 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए बस्ती विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया, जिसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० द्वारा प्रथम महायोजना वर्ष-2021 तक के लिए तैयार की गयी। वर्ष 2016 में शासन की अधिसूचना संख्या-275/आठ-10-16-03 गठन/97 दिनांक-28.10.2016 द्वारा बस्ती विकास क्षेत्र घोषित करते हुए बस्ती विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। बस्ती विकास क्षेत्र की अपनी महायोजना नहीं होने के कारण प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक में विनियमित क्षेत्र की बस्ती महायोजना-2021 को अंगीकृत किया गया। भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत जी.आई.एस. बेरड बस्ती महायोजना-2031 तैयार किये जाने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश/नोडल विभाग के निर्देशन में चयनित कन्सल्टेंट मै० स्टेसलिट सिस्टम लिमिटेड को सौंपा गया।

चयनित कन्सल्टेंट द्वारा वर्तमान समस्याओं का विस्तृत अध्ययन कर नगर के सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास के लिए बस्ती विकास क्षेत्र हेतु वर्ष 2031 तक की अनुमानित 5.10 लाख जनसंख्या हेतु महायोजना का प्रारूप तैयार किया गया है।

बस्ती महायोजना-2021 को पुनरीक्षित करते हुए नगर के सुनियोजित विकास हेतु तैयार की गयी बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर नगर के सम्मानित नागरिकगणों एवं विभिन्न शासकीय तथा अर्द्ध-शासकीय विभागों/अधिकरणों से आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से महायोजना प्रारूप को दिनांक 01.08.2022 से दिनांक 30.09.2022 तक प्रदर्शित किया गया। प्राप्त आपत्ति/सुझावों को शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुना गया एवं सम्बन्धित स्थल के निरीक्षण एवं जाँचोपरांत मान्य आपत्ति/सुझावों को बस्ती महायोजना-2031 में समाहित करते हुए इसे अन्तिम रूप प्रदान किया गया। जिसे प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक-27.03.2023 की बैठक में अनुमोदन के उपरांत शासन की शासकीय समिति के समक्ष दिनांक-03.07.2023 को प्रस्तुत किया गया। बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में संशोधन कर प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक-22.11.2023 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया, जो कि शासन की रवीकृति के पश्चात प्रभावी होगा।

बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) को तैयार करने में चयनित कन्सल्टेंट तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनकी लगन एवं कठिन परिश्रम की सराहना करती हूँ, मैं, अध्यक्ष, बस्ती विकास प्राधिकरण एवं विकास प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विभिन्न शासकीय/अर्द्ध-शासकीय विभागों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस पुनरीक्षित महायोजना को अंतिम रूप देने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। मुझे विश्वास है कि अंतिम रूप से तैयार होने वाली बस्ती महायोजना-2031 के द्वारा नगर के विकास को सुनियोजित दिशा प्रदान की जा सकेगी।

(अन्द्रा वामसी)

जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष

जनपद-बस्ती/बस्ती विकास प्राधिकरण,  
बस्ती।

## 1.विषय.सूची

1उद्भव एवं विकास .....	11
1.1 परिचय .....	11
1.2 एतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास .....	12
1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संबद्धता.....	12
1.4 भौगोलिक स्थिति .....	13
1.5 जलवायु.....	13
1.6 मेला एवं त्योहार .....	13
2 महायोजना की आवश्यकता.....	14
2.1विकास क्षेत्र.....	14
2.2नगरीयविकास.....	15
2.3बस्ती महायोजना-2021.....	15
2.4महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता.....	20
3 वर्तमान अध्ययन .....	21
3.1 जनसंख्या .....	21
3.2 बस्ती विकास क्षेत्र की जनसंख्या.....	21
3.3 उम्र, लिंग, साक्षरता और घरेलू आकार के आधार पर मौजूदा संरचना का वर्तमान अध्ययन....	22
3.3.1 लिंगानुपात .....	22
3.3.2 साक्षरता दर.....	23
3.3.4 श्रम शक्ति भागीदारी दर .....	24
3.3.5 कार्यबल भागीदारी की प्रवृत्ति.....	27
3.3.6 श्रम शक्ति श्रेणी.....	27
3.4 श्रम शक्ति का स्वरूप .....	29
3.5 परिवार एवं आवासीय इकाइयां.....	33
3.5.1 परिवारों का आकार और आवासीय इकाइयों की संख्या.....	33
3.5.2 परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाएं.....	33
3.6 यातायात और परिवहन .....	33
3.6.1 आकार, स्थिति के आधार पर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण और पर्याप्तता .....	33
3.6.2 सड़क परिवहन .....	34
3.6.3 राज्य बस सेवाएं.....	34
3.6.4 ट्रक सेवाएं.....	35
3.6.6 पंजीकृत वाहन .....	35
3.6.7 कार्य यात्राएं.....	35
3.2.7 सड़क की लंबाई और फुटपाथ.....	37


3.7 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण.....	37
3.7.1 प्राथमिक क्षेत्र.....	38
3.7.2 माध्यमिक.....	41
3.7.3 तृतीयक.....	43
3.7.4 अनौपचारिक क्षेत्र.....	44
3.8 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक.....	44
3.8.1 सामाजिक आधारभूत संरचना.....	44
3.8.1.6.....	46
3.8.1.7.....	46
3.8.2 शहर में अपराध दर.....	47
3.8.3 भौतिक आधारभूत संरचना.....	49
3.8.4 विद्युत.....	53
4 पर्यटन.....	54
5 पर्यावरण रूपरेखा.....	57
5.1 जल निकाय.....	57
5.1.1 घाघरा, कुवानो और राप्ती नदी.....	57
5.1.2 प्रदूषण स्तर.....	57
5.2 ध्वनि प्रदूषण.....	57
5.3 जल प्रदूषण.....	58
6 वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना-2021 का तुलनात्मक अध्ययन.....	60
6.1 वर्तमान भूमि उपयोग 2020.....	60
6.2 बस्ती विचलन.....	62
7 नियोजन की समस्यायें.....	64
8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य.....	66
8.1 दृष्टि.....	66
8.2 उद्देश्य.....	66
9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण.....	67
9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण.....	67
9.2 प्रस्तावित गांवों का परिचय.....	67
9.3 जनसंख्या घनत्व.....	67
9.4 प्रवास.....	67
9.5 आवास प्रक्षेपण.....	69
9.6 औद्योगिक मांग.....	70
9.7 जल आपूर्ति के लिए मानदंड.....	70
9.8 टोस अपशिष्ट प्रबंधन.....	71

9.8.1	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड .....	71
9.8.2	शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान .....	72
9.8.3	ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति .....	72
9.9	बिजली के लिए मानदंड .....	73
9.10	डाकघर और संचार के लिए आवश्यकताएँ .....	73
9.11	शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता .....	74
9.12	स्वास्थ्य सुविधाएं .....	75
9.13	मनोरंजन सुविधाएं .....	75
9.14	सामाजिक/आर्थिक सुविधाएं .....	76
9.15	फायर स्टेशन .....	76
9.16	यातायात एवं परिवहन .....	76
10	भू-उपयोग प्रस्ताव .....	83
10.1	नगर के विकास /विस्तार की दिशा .....	83
10.2	भू-उपयोग एवं प्रस्ताव .....	83
10.2.1	आवासीय .....	84
10.2.2	निर्मित क्षेत्र .....	84
10.2.3	वाणिज्यिक .....	84
10.2.4	औद्योगिक .....	84
10.2.5	खुले स्थल और हरित क्षेत्र .....	84
10.2.6	सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं .....	85
10.2.7	यातायात और परिवहन .....	85
10.2.8	ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर .....	85
10.2.9	विशिष्ट उपयोग .....	86
10.2.10	कस्बे में जल आपूर्ति .....	87
10.2.11	भूमिगत जल निकासी .....	87
10.2.12	शहरी क्षेत्र के लिए स्ट्रीट लाइट .....	87
10.2.13	वर्षा जल की निकासी .....	87
10.2.14	जल संसाधन विकास .....	87
10.2.15	नदी केंद्रित विकास /फ्लड जोन .....	88
10.2.17	राजमार्गीय सुविधा जोन .....	89
10.3	महायोजना 2031 के लिए नीतियां .....	90
10.3.1	आवास नीति, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति .....	90
10.3.2	एक जिला एक उत्पाद योजना .....	90
10.3.3	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति .....	90
10.3.4	औद्योगिक नीति .....	90

10.3.5 आईटी स्टार्ट-अप नीति .....	91
10.3.6 सौर ऊर्जा नीति .....	91
10.3.7 वर्षा जल संचयन .....	91
10.3.8 पर्यटन नीति .....	92
10.3.9 कपड़ा नीति .....	92
10.3.10 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी .....	92
10.3.11 विकास अधिकार का हस्तांतरण .....	92
10.3.12 फिल्म नीति: .....	93
10.3.13 आपदा प्रबन्धन नीति: .....	93
10.4 नियोजन खण्ड .....	93
10.5 चरणबद्ध विकास .....	94
10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण .....	94
11 जोनिंग नियम .....	99
11.1जोनिंग के उद्देश्य .....	99
11.2जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं .....	99
11.3विभिन्नक्रियाओं/उपयोगोंकी अनुज्ञा श्रेणियाँ .....	99
11.4फ्लोटिंग उपयोग .....	100
11.5विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन .....	100
11.6रेन वाटर हार्वेस्टिंग .....	100
11.7प्रभाव शुल्क(ImpactFee) .....	101
11.8अनुज्ञा की प्रक्रिया .....	101
11.9अन्य अपेक्षाएं .....	102
11.10 परिभाषाएं .....	102
अनुलग्नक .....	131
संलग्नक .....	143

  
2-7-24

( अनिल कुमार मिश्र )  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०

  
21/7/24  
( डॉ० नितिन रमेश गोकर्ण )  
अपर मुख्य सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

शासनादेश संख्या-आई/680551/2024-8-3099/154 20 24

दिनांक-02/07/2024 द्वारा स्वीकृत।

## तालिका की सूची

तालिका 1	बस्ती नगर की जलवाय	13
तालिका 2	बस्ती शहर का योजना	14
तालिका 3	जनसंख्या	16
तालिका 4	बस्ती मौजूदा भूमि उपयोग	17
तालिका 5	बस्ती विकास क्षेत्र की जनसंख्या	21
तालिका 6	दशकीय वृद्धि दर	21
तालिका 7	बस्ती का लिंगानुपात	22
तालिका 8	बस्ती की साक्षरता दर	23
तालिका 8.1	बस्ती की साक्षरता दर	23
तालिका 9	कुल कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के गैर-कार्यकर्ता	25
तालिका 10	विकास क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार	27
तालिका 11	मुख्य और सीमांत कामगार	28
तालिका 12	व्यावसायिक संरचना	30
तालिका 13	सीमांत कामगार की व्यावसायिक संरचना	31
तालिका 14	सड़क की लंबाई	37
तालिका 15	वर्तमान सड़क और सड़क की चौड़ाई	37
तालिका 16	बस्ती में कृषि उपज	39
तालिका 17	बस्ती में कृषि उपज	40
तालिका 18	सिंचाई क्षेत्र	40
तालिका 19	बस्ती शहर में उद्योगों के प्रकार	41
तालिका 20	उद्योगों के प्रकार	42
तालिका 21	बस्ती शहर में बने नए होटलों और रेस्तरां की सूची	44
तालिका 22	बस्ती के मौजूदा स्कूल	45
तालिका 23	बस्ती में वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं	46
तालिका 24	शहर में आग दुर्घटनाओं की संख्या	47
तालिका 25	मौजूदा जल आपूर्ति	49
तालिका 26	जल आपूर्ति की मात्रा	49
तालिका 27	ओवर हेड टैंकों की संख्या	49
तालिका 28	ओवरहेड टैंकों की संख्या और क्षमता	50
तालिका 29	वर्षा जल निकासी	50
तालिका 30	बस्ती में वर्षा जल निकासी	50
तालिका 31	स्वच्छता	51
तालिका 32	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	51
तालिका 33	ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए तैनात वाहन	52
तालिका 34	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड	53
तालिका 35	बस्ती में बिजली की आपूर्ति	53
तालिका 36	बस्ती शहर में बिजली कनेक्शनों की संख्या	53
तालिका 37	ध्वनि प्रदूषण मानक	58
तालिका 38	मौजूदा ध्वनि प्रदूषण स्तर	58
तालिका 39	नदी के जल गुणवत्ता मानक	59
तालिका 40	कुवानो नदी की मौजूदा जलगुणवत्ता	59
तालिका 41	मौजूदा भूमि उपयोग 2020	60
तालिका 42	विचलन	63
तालिका 43	जनसंख्या प्रक्षेपण	67
तालिका 44	बस्ती में अप्रवासी	67
तालिका 45	आप्रवासन के कारण	68

तालिका 46	आवास की मांग	70
तालिका 50	जल आपूर्ति प्रक्षेपणों के लिए मानदंड	70
तालिका 51	बस्ती शहरी क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए प्रक्षेपण	70
तालिका 52	बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए प्रक्षेपण	71
तालिका 53	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड	72
तालिका 54	शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण	72
तालिका 55	ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण	72
तालिका 56	बस्ती का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031	83
तालिका 57	हरित पट्टी	87
तालिका 58	बस्ती में चल रही परियोजनाओं की सूची	98
तालिका 59	चालू परियोजनाओं की सूची	98
तालिका 60	अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव	132
तालिका 61	अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची	134
तालिका 62	अनुलग्नकसी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची	135
तालिका 63	अनुलग्नक डी गांवों की सूची (ग्रामीण)	137
तालिका 64	वार्ड-वार जनसंख्या घनत्व की तालिका	138
तालिका 65	पंजीकृत वाहन	139
तालिका 66	मौजूदा उपलब्ध कृषि सुविधाएं	140
तालिका 67	दुकानों की सूची बनाएं	140
तालिका 68	बस्ती के नॉन-वैडिंग जोन	141
तालिका 69	बस्ती के वैडिंग जोन	142
तालिका 70	बस्ती में मौजूदा पार्क	142

### चित्र की सूची

चित्र 1	बस्ती का स्थान	11
चित्र 2	बस्ती शहर	12
चित्र 3	बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र की विकास दिशा	15
चित्र 4	महायोजना 2021	19
चित्र 5	बस्ती शहर के कुल कार्यकर्ता और गैर-श्रमिक	25
चित्र 6	बस मार्ग	35
चित्र 7	ट्रक मार्ग का नक्शा	35
चित्र 8	18 मीटर सड़क खंड	78
चित्र 9	24 मीटर रोड	79
चित्र 10-30	मीटर सड़क खंड	80
चित्र 11	45 मीटर सड़क खंड	81

### ग्राफ की सूची


ग्राफ 1	बस्ती शहर की दशकीय जनसंख्या	22
ग्राफ 2	बस्ती का लिंगानुपात	22
ग्राफ 3	साक्षरता दर	23
ग्राफ 4	ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर	24
ग्राफ 5	विकास क्षेत्र की कार्य बल भागीदारी	25
ग्राफ 6	ग्रामीण क्षेत्र की कार्यबल भागीदारी	26
ग्राफ 7	महिला कार्यबल प्रवृत्ति	26
ग्राफ 8	बस्ती विकास क्षेत्र में कुल श्रमिक	27

ग्राफ 9 विकास क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक.....	28
ग्राफ 10 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार.....	28
ग्राफ 11 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार.....	28
ग्राफ 12 मुख्य और सीमांत कामगारों का रुझान.....	29
ग्राफ 13 मुख्य कामगार श्रेणियां.....	30
ग्राफ 14 2001 और 2011में कामगारों की तुलना (पुरुष).....	31
ग्राफ 15 मुख्य महिला कामगारों की तुलना (2001 और 2011).....	32
ग्राफ 16 सीमांत महिला कामगारों की तुलना (2001 और 2011).....	32
ग्राफ 17 काम के प्रकार.....	32
ग्राफ 18 यात्रा के साधन.....	36
ग्राफ 19 स्वामित्व वाले वाहन.....	36
ग्राफ 20 शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि.....	38
ग्राफ 21 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि.....	39
ग्राफ 22 उद्योगों की कुल संख्या.....	42
ग्राफ 23 लघु उद्योग	ग्राफ 24 मध्यम पैमाने के उद्योग.....
ग्राफ 25 बस्ती में आग दुर्घटनाओं की संख्या.....	47
ग्राफ 26 बस्ती की अपराध दर.....	48
ग्राफ 27 जल आपूर्ति के स्रोत व पीने के पानी की गुणवत्ता.....	50
ग्राफ 28 महिला बनाम पुरुष आप्रवास.....	68
ग्राफ 29 अप्रवासन.....	68
ग्राफ 30 आप्रवासन के कारण.....	69


## 1 उद्भव एवं विकास

### 1.1 परिचय

बस्ती शहर कुआनो नदी के तट पर स्थित है। बस्ती विकास क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में घाघरा और राप्ती नदी के बीच, लखनऊ से लगभग 180 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गन्ने के अधिक उत्पादन के कारण बस्ती में चीनी मिलें हैं। बस्ती एक नव सृजित मंडल मुख्यालय है। सरकारी बाग फलों और पेड़ों की नई किस्मों के विकास और संरक्षण अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है।



चित्र 1 बस्ती का स्थान



चित्र 2 बस्ती शहर

### 1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं क्रमिक विकास

बस्ती को मूल रूप से गाँव के रूप में जाना जाता था और यह गोरखपुर जिले का एक हिस्सा था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था जिस कारण वैशिष्टी नाम की उत्पत्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि भगवन श्री राम अपने भाई लक्षमण से साथ ऋषि वशिष्ठ के साथ कुछ समय के लिए यहां रहे थे। वर्तमान बस्ती जिले को शामिल करने वाला मार्ग दूरस्थ था और इसका अधिकांश भाग जंगल से आच्छादित था। लेकिन धीरे-धीरे यह क्षेत्र बसने योग्य हो गया। राजा कल्हण द्वारा वर्तमान नाम (बस्ती) चयनित किया गया था, 1801 में बस्ती तहसील मुख्यालय बन गया था और 1865 में यह नव स्थापित जिले के मुख्यालय के रूप में चुना गया था।

### 1.3 क्षेत्रीय स्थिति और संबद्धता

बस्ती जिला उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में से एक है, बस्ती शहर जिला मुख्यालय है। बस्ती जिला बस्ती डिवीजन का एक हिस्सा है। जिला उत्तर प्रदेश के उत्तर – पूर्वी भाग में स्थित है।

बस्ती शहर रेल मार्ग से लखनऊ, गोरखपुर और गोण्डा जैसे शहरों से एवं सड़क मार्गों से लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, गोण्डा, बलरामपुर जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बस्ती लखनऊ से

204 किमी, अयोध्या से 68 किमी, गोरखपुर से 66 किमी, गोण्डा से 106 किमी, बलरामपुर से 103 किमी दूर है।

गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और लखनऊ के बीच एक दैनिक इंटरसिटी एक्सप्रेस है। नेशनल हाईव 27 भारत सरकार और NHAI की ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना का एक हिस्सा भी बस्ती से गुजरता है।

#### 1.4 भौगोलिक स्थिति

बस्ती शहर घाघरा और राप्ती नदी के बीच स्थित है। बस्ती शहर का अक्षांश 26°23' और 27°80' उत्तर और बस्ती शहर का रेखांश 82°17' और 83°2' पूर्व। यह जिला पूर्व में संत कबीर नगर और पश्चिम में गोण्डा से घिरा हुआ है। घाघरा नदी ने इसे अयोध्या और अंबेडकर नगर से अलग किया है जबकि उत्तर में सिधार्थ नगर जिले के साथ सीमांकन किया है। इसका क्षेत्रफल 2,688 वर्ग किमी है।

#### 1.5 जलवायु

बस्ती जिले के मौसम को चार सत्रों में विभाजित किया सकता है। बस्ती जिले के मौसम को चार सत्रों में विभाजित किया सकता है। मध्य नवंबर से फरवरी तक सर्दियाँ, मई से जून तक गर्मी, जुलाई से सितंबर के अंत मानसून एवं मध्य नवंबर से अक्टूबर तक मानसून का मिलन मौसम।

तालिका 1 बस्ती नगर की जलवायु

क्र.सं.	विकास क्षेत्र का नाम	तापमान (सेंटीग्रेड में)	
		अधिकतम	न्यूनतम
1	बस्ती	37	5.9

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011

#### 1.6 मेला एवं त्योहार

शहर में नव दुर्गा पूजा 15 दिनों के लिए मनाई जाती है। शहर की सारी सड़के बिजली की लाइटों और सुंदर देवी प्रतिमाओं से सजाई जाती है। जिला नगर पालिका प्रशासन इस अवधि के दौरान सभी व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा, श्रावण मास के दूसरे मंगलवार को अगस्त के महीने में कावरिया मेला भी आयोजित होता है।

## 2 महायोजना की आवश्यकता

### 2.1 विकास क्षेत्र


उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (1916 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2) की धारा 3 की उप-धारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-क्यू के खंड (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल संविधान के भाग IX-A के प्रयोजनों के लिए, अनुसूची-I में निर्दिष्ट क्षेत्र में नगर परिषद, बस्ती, जिला बस्ती शामिल हैं और आगे संविधान के अनुच्छेद - 243 पी के खंड (घ) के तहत अधिसूचित हैं। नीचे अनुसूची-I में निर्दिष्ट क्षेत्रों को शामिल करने के बाद, अनुसूची-II में निर्दिष्ट क्षेत्र उक्त शहर, बस्ती और जिला बस्ती का प्रदेशिक क्षेत्र होगा। क्षेत्र को नगर पालिका परिषद, बस्ती, जिला बस्ती के क्षेत्र में सम्मिलित होगा। मास्टर प्लान के विकास क्षेत्र में बस्ती नगर पालिका परिषद और 216 गांव शामिल हैं। ग्रामों की सूची, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधान के अनुसार बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र 2615.19 हेक्टेयर हेतु तैयार की गई महायोजना-2021 में अनुलग्नक 1 के साथ संलग्न है।

तालिका 2 जनसंख्या

क्र.सं.	वर्ष	घटना	अभिकरण
1	1865	बस्ती जिला का गठन किया गया था।	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
2	2001	2001-2021 की समय अवधि के लिए पहली बार महायोजना तैयार की गयी थी	बस्ती विकास प्राधिकरण

तालिका 2 बस्ती शहर का योजना

### विकास क्षेत्र का क्षेत्रफल ग्राम एवं जनसंख्या



- Area of Interest
- Basti Development Authority
- Basti New Nagarpalika Boundary
- Basti Old Nagarpalika Boundary

## 2.2 नगरीय विकास

बस्ती विकास क्षेत्र का शहरी विकास मुख्य रूप से सड़कों के दोनों ओर है। यह भी कहा जा सकता है कि बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विकास पैटर्न रिबन विकास है। ज्यादातर शहरी विकास सड़कों के किनारे देखा जा सकता है।



चित्र 3 बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र की विकास दिशा

संभावित विकास दिशा सड़कों के साथ इस प्रकार है –

1. बस्ती—गोरखपुर एनएच 27
2. बस्ती—बंसी रोड एनएच 233
3. बस्ती—डुमरियागंज
4. बस्ती—मेंहदावल मार्ग

## 2.3 बस्ती महायोजना –2021

बस्ती महायोजना –2021 का विवरण नीचे दिया गया है –

महायोजना – (2021)

शहर के नियोजित और प्रभावी विकास के लिए बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना – 2021 तैयार की गयी थी। बस्ती विकास प्राधिकरण की महायोजना में दिए गए प्रस्ताव निम्नलिखित पैमाने पर आधारित हैं –

- 1) महायोजना–2021 के लिए ली गई प्रक्षेपित जनसंख्या 235000 है।
- 2) बस्ती के आसपास के क्षेत्र में गन्ने के खेतों की प्रचुरता के कारण, इसे चीनी उद्योग केंद्र के रूप में विकसित किये जाने की संभावना है।
- 3) आपदा प्रबंधन नीति: कुवानो नदी के उत्तरी किनारे के पास 45 मीटर बाईपास का प्रस्ताव।

## जनसंख्या

### तालिका 3 जनसंख्या

	जनसंख्या प्रक्षेपण					
	नगर पालिका परिषद			ग्रामीण गांव		
	2001	2011	2021	2001	2011	2021
अंकगणित	107601	127831	148061	39575	50154	60733
ज्यामिति		132515	163197		54014	73718
वृद्धिशील		137255	175081		57083	82337
<b>कुल</b>	<b>107601</b>	<b>397601</b>	<b>486339</b>	<b>39575</b>	<b>161251</b>	<b>216788</b>
औसत		132534	162113		53750	72263

स्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011

कुल जनसंख्या प्रक्षेपण :  $162113 + 72263 = 234376 =$  लगभग 235000

### परिवार एवं आवासीय इकाइयां

1991 की जनगणना के अनुसार परिवारों का आकार और आवासीय इकाइयों की संख्या, बस्ती नगर की कुल जनसंख्या 87371 थी, जिसमें आवासीय भवनों की संख्या 12592 थे और परिवारों की संख्या 13337 थी। इस प्रकार, उपरोक्त के आधार पर, बस्ती नगर में परिवार का औसत आकार 6.6 व्यक्तियों के लिए आता है। वर्ष 1991 में प्रति घर एक आवास इकाई की आवश्यकता के आधार पर 745 आवास इकाइयों की कमी थी। वर्ष 1991 में, यदि उपलब्ध आवास इकाइयों में से 10 प्रतिशत को जीर्णोद्धार होने के कारण आवास के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो इस आधार पर उनकी संख्या 1259 हो जाती है। इन्हें भी शामिल करने के बाद, बस्ती शहर में आवास इकाइयों की कुल कमी 2004 आती है। इसी तरह, वर्ष 2001 में, शहर की कुल आबादी 107601 थी, आवासीय भवनों की संख्या 13479 थे और परिवारों की संख्या 15823 थी। इस दशक में औसत परिवार का आकार 6.8 व्यक्ति रहा है। इस प्रकार, प्रति परिवार एक आवासीय इकाई की आवश्यकता के मानक के आधार पर, वर्ष 2001 में शहर में 2344 आवासीय भवनों की कमी थी। यदि अधिकृत इमारतों की संख्या के 10% भवनों को जर्जर माना जाये तो आवासीय भवनों की कुल वास्तविक कमी 3692 हो जाती है।

### जनसंख्या घनत्व

आवासीय घनत्व : वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, बस्ती शहर का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति हेक्टेयर 55 व्यक्ति था। विभागीय सर्वेक्षण वर्ष 2005-06 के अनुसार, शहर की कुल भूमि का 8.75 प्रतिशत (44758 हेक्टेयर) वर्तमान में आवासीय उपयोग के अधीन था। वर्ष 2001 में शहर के विनियमित क्षेत्र की जनसंख्या 107601 थी और आवासीय घनत्व 240 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। वर्ष 2021 के लिए प्रस्तावित जनसंख्या 235000 है, प्रति हेक्टेयर 225 व्यक्तियों का आवासीय घनत्व प्रस्तावित किया गया था।

विनियमित क्षेत्र (2006) के वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण पर, कुल 5112.00 हेक्टेयर विकसित क्षेत्र था, जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल 447.58 हेक्टेयर आवासीय/निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत तथा सबसे कम क्षेत्रफल 28.96 हेक्टेयर का वाणिज्यिक भू-उपयोग के अंतर्गत आता है। वर्तमान भूमि उपयोग का विस्तृत विवरण तालिका में दिखाया गया है –

तालिका 4 बस्ती मौजूदा भूमि उपयोग

क्रमांक संख्या	भू-उपयोग प्रकार	मौजूदा क्षेत्र (हेक्टेयर)	मौजूदा भूमि उपयोग (%)
1	आवासीय/निर्मित	447.58	8.75
2	व्यावसायिक	28.96	0.57
3	औद्योगिक	43.40	0.85
4	संस्थागत	97.56	1.91
5	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	39.48	0.77
6	यातायात एवं परिवहन	140.46	2.75
7	खुला स्थान / हिरतबफर	69.54	1.36
8	जल समिति	37.47	0.73
9	गांव (ग्रामीण आबादी)	75.51	1.48
10	कब्रिस्तान / स्वर्ग स्थान )शमशान(	2.30	0.04
11	कृषि / अन्य	4129.74	80.79
	कुल	5112.00	100

स्त्रोत : बस्ती महायोजना 2021

तालिका 5 बस्ती प्रस्तावित भूमि उपयोग 2021

क्रमांक संख्या	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयरमें)	प्रतिशत
<b>1</b>	<b>आवासीय</b>	<b>1223.66</b>	<b>46.79</b>
1.1	निर्मित	240.78	9.21
1.2	आवासीय	982.88	38.58
<b>2</b>	<b>व्यावसायिक</b>	<b>163.95</b>	<b>6.27</b>
2.1	सामान्य व्यापार	42.5	1.62
2.2	बजार क्षेत्र	22.18	0.85
2.3	जिला केंद्र	24.04	0.92
2.4	थोक व्यापार	5.51	0.21
2.5	नगर का केंद्र	33.16	1.27
2.6	खनिज साइडिंग	25.6	0.98
2.7	गोदाम	10.88	0.42
<b>3</b>	<b>औद्योगिक</b>	<b>135.52</b>	<b>5.18</b>
3.1	लघु उद्योग / सेवा उद्योग	102.08	3.9
3.2	वृहद उद्योग	8.8	0.34
3.3	आईटी पार्क	24.61	0.94
<b>4</b>	<b>कार्यालय</b>	<b>164.9</b>	<b>6.31</b>
4.1	कार्यालय / जिला कार्यालय	139.3	5.33
4.2	जेल	25.6	0.98
<b>5</b>	<b>सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक</b>	<b>140.55</b>	<b>5.37</b>

क्रमांक संख्या	भू-उपयोग	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयरमें)	प्रतिशत
5.1	शिक्षा	26.67	1.2
5.2	स्वास्थ्य सेवाएं	6.78	0.16
5.3	पुलिस मुख्यालय	4.48	0.17
5.4	दमकल केंद्र	3.04	0.12
5.5	डाक और संचार केंद्र	0.96	0.04
5.6	सामुदायिक सेवा	63.96	2.44
5.7	संस्थागत	34.66	1.32
<b>6</b>	<b>सार्वजनिक सुविधाएं</b>	<b>20.14</b>	<b>0.77</b>
6.1	उप केन्द्र	2.4	0.09
6.2	जलकल	1.42	0.06
6.3	सीवेज फार्म	4.48	0.17
6.4	डंपिंग ग्राउंड	11.84	0.45
<b>7</b>	<b>परिवहन</b>	<b>326.58</b>	<b>12.49</b>
7.1	मौजूदा सड़क	119.7	4.58
7.2	प्रस्तावित सड़क	153.26	5.86
7.3	रेलवे लाइन / क्षेत्र	20.76	0.79
7.4	बसअड्डा	7.4	0.28
7.5	ट्रकअड्डा / परिवहन नगर	25.46	0.98
<b>8</b>	<b>मनोरंजन</b>	<b>439.89</b>	<b>16.82</b>
8.1	क्रीडांगन	26.36	1.01
8.2	पार्क और खुली स्थान	186.13	7.12
8.3	हरित पट्टिका	227.4	8.69
	<b>कुल</b>	<b>2615.19</b>	<b>100</b>
<b>9</b>	<b>अन्य</b>	<b>54.03</b>	
9.1	जल निकाय	11.95	
9.2	ग्रामीण	40.25	
9.3	शमशान	1.83	
	<b>कुल</b>	<b>2669.22</b>	

स्रोत: बस्ती महायोजना 2021

**Basti Maate Plan 2021  
Proposed Landuse**


Key Map:



Sheet Name: Basti Maate Plan 2021

**Legend**

	Water		High Density Residential
	Medium Density Residential		Low Density Residential
	Industrial		Commercial
	Public Use		Green Space
	Agriculture		Forest
	Barren Land		Water Body
	Setback		Road
	Canal		Drainage
	Boundary		Other



GAMBHARI NIVASAN KHAND,  
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
UTTAR PRADESH

SCALE 1:8000  
DATE: 15/05/2021  
PROJECT NO: 10/2021



PROJECT MANAGER: [Name]  
DESIGNER: [Name]  
URBAN PLANNER: [Name]  
TEAM LEADER: [Name]

चित्र 4 महायोजना 2021

महायोजना में दी गई नीतियां इस प्रकार थीं –

- उच्च-तकनीकी टाउनशिप और एकीकृत टाउनशिप नीति।
- वर्षा जल संचयन नीति।
- पर्यटन नीति।
- फिल्म नीति।
- औद्योगिक नीति।
- सूचना और प्रौद्योगिकी नीति।

#### **2.4 महायोजना के पुनरीक्षण की आवश्यकता**

महायोजना नगर के व्यवस्थित विकास में सहायक ढांचा प्रदान करती है। इससे भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली आधारभूत संरचना मिलती है। इससे नगर क्षेत्र के लिए योजनाबद्ध सामाजिक-आर्थिक संरचना भी मिलती है, जो नगर क्षेत्र के विकास में प्रशासन के लिए सहायक होती है। उत्तर प्रदेश के बस्ती विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) को नियोजित विकास के लिए महायोजना की आवश्यकता है। इस नगर में अभी तक केवल एक ही महायोजना है, जो की 2021 तक की समयावधि के लिए बनायी गई थी, चूंकि विकास क्षेत्र की महायोजना की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए बस्ती विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए.) को आगामी 10 साल के लिए पुनरीक्षित महायोजना की आवश्यकता है।

### 3 वर्तमान अध्ययन

#### 3.1 जनसंख्या

किसी विकास क्षेत्र का नियोजन एवं भौतिक विकास उसकी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना जैसे वाणिज्य और व्यापार, उद्योग और सामुदायिक सुविधाओं आदि की स्थिति पर आधारित होता है। विकास क्षेत्र के नियोजित विकास का निर्धारण करने के लिए, वर्तमान और भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही, नगरीय जनसंख्या के गुणात्मक प्रकृति का एक विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन के आधार पर नियोजन अवधि के लिए विभिन्न उपयोगों के तहत भूमि और अन्य सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन किया जाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विकास क्षेत्र की जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है।

#### 3.2 बस्ती विकास क्षेत्र की जनसंख्या

2011 की जनगणना के अनुसार, बस्ती की जनसंख्या 1,14,657 है, जिसमें से पुरुषों की संख्या लगभग 52% और महिलाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 48% है।

तालिका 5 बस्ती विकास क्षेत्र की जनसंख्या

बस्ती विकास क्षेत्र की जनसंख्या			
	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011
नगर पालिका सीमा	87371	107601	114657
69 गांवों को एनपीपी में शामिल करने का प्रस्ताव	38785	52039	67113
39 शहरीकरण योग्य गाँव	19311	24369	28235
42 राजमार्ग के किनारे गाँव	24207	30602	35602
66 ग्रामीण गाँव	39697	49030	56992

स्रोत – भारत की जनगणना 2011

पिछले दस वर्षों के लिए विकास के रुझान: बस्ती विकास प्राधिकरण की जनसंख्या की पिछली प्रवृत्ति भविष्य की जनसंख्या के आँकड़े दे सकती है। नियोजन अवधि के दौरान विकास क्षेत्र की जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाने के लिए, शहर की पिछली जनसंख्या वृद्धि दर की प्रवृत्ति का अध्ययन करना आवश्यक है।

तालिका 6 दशकीय वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि	दशकीय वृद्धिदर (%)
1971	49635		
1981	69465	19830	39.95%
1991	87371	17906	25.77%
2001	107601	20230	23.15%
2011	114657	7056	6.55%


स्रोत – भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार बस्ती नगर की जनसंख्या 49635 थी, जो वर्ष 1981 में बढ़कर 69465 हो गई। इसी तरह, 1991 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या 87371 थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 107601 हो गई। इस प्रकार, 1971-1981 के दशक में

39.95 प्रतिशत की वृद्धि, 1981-1991 में 25.78 प्रतिशत और 1991-2001 में 68.44 प्रतिशत और 2001-2011 में 6.56 प्रतिशत परिलक्षित हुई। इससे स्पष्ट है कि लगातार दशकों में इस शहर की जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में गिरावट के बाद वृद्धि हुई है। लेकिन नव निर्मित डिवीजनल मुख्यालय के गठन के बाद, जनसंख्या वृद्धि की अधिक संभावना है।

बस्ती शहरी क्षेत्र की दशकीय जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन नीचे ग्राफ में दिखाया गया है –

ग्राफ 1 बस्ती शहर की दशकीय जनसंख्या



### 3.3 उम्र, लिंग, साक्षरता और घरेलू आकार के आधार पर मौजूदा संरचना का वर्तमान अध्ययन


#### 3.3.1 लिंगानुपात

जनसंख्या का लिंग अनुपात जन्म, मृत्यु, आप्रवास और उत्प्रवास दर को प्रभावित करता है और इससे प्रभावित होता है। इसे एक लिंग से दूसरे लिंग के व्यक्तियों की संख्या के अनुपात के रूप में या प्रत्येक में आवंटन के अनुपात के रूप में मापा जाता है। नीचे दी गई तालिका शहर के लिंगानुपात को दर्शाती है –

तालिका 7 बस्ती का लिंगानुपात

शहर	लिंगानुपात	
	1991	2001
बस्ती (शहरी)	855	886
उत्तर प्रदेश	879	912

ग्राफ 2 बस्ती का लिंगानुपात




2001 की तुलना में 2011 में लिंग अनुपात में थोड़ा सुधार दिखाई पड़ता है। इस बढ़ोतरी को महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार और महिलाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसरों की उपलब्धता का परिणाम कहा जा सकता है।

### 3.3.2 साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती की साक्षरता दर कुल जनसंख्या का 73.6% है। नीचे दी गई तालिका कुल साक्षरों और निरक्षरों की संख्या दर्शाती है –

तालिका 8 बस्ती की साक्षरता दर

क्रमांक	शहर का नाम	साक्षरों की संख्या			निरक्षरों की संख्या			साक्षरता दर (%)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	बस्ती (नगर)	84,389	47,036	37,353	30268	13059	17209	73.6%	41%	32%



ग्राफ 3 साक्षरता दर

पाइ चार्ट से यह देखा जा सकता है कि विकास क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता की कुल संख्या (84,389) में से पुरुषों की साक्षरता दर 41% है जो की महिलाओं की साक्षरता दर 32% से अधिक है। इसलिए, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 9% का अंतर है। महिलाओं की कुल आबादी में से जो 48% (54,562) है, केवल 32% महिलाएं साक्षर हैं और 16% निरक्षर हैं,

तालिका 9.1 बस्ती की साक्षरता दर

क्रमांक संख्या	बस्ती का नाम	साक्षरों की संख्या			निरक्षरों की संख्या			साक्षरता दर (%)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	बस्ती (ग्रामीण)	110581	66081	44500	77407	32096	45311	58.84%	35.16%	23.68%

**स्त्रोत – भारत की स्रोत जनगणना 2011**


पाइ चार्ट से यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की कुल संख्या (110581) में से पुरुषों की साक्षरता दर 35% है जो की महिलाओं की साक्षरता दर 24% से अधिक है। इसलिए, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच 11% का अंतर है।

**अनुमान**

बस्ती में 73% साक्षर हैं जो जिले के औसत 82% से कम है। साथ ही, पुरुष और महिला के बीच साक्षरता दर में 10% का अंतर है जिसे उचित नीतियाँ प्रदान करके परिपूर्ण किया जाना चाहिए एवं एस. एच.जी. या गैर सरकारी संगठनों की मदद से महिलाओं को शिक्षा के महत्व से प्रबुद्ध कराना चाहिए।

**प्राकृतिक वृद्धि और प्रवास के माध्यम से हाल के रुझान**

शहर के भीतर मौजूदा घनत्व पैटर्न



**ग्राफ 4 ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर**

कस्बे का कुल क्षेत्रफल 1943 हेक्टेयर है और शहर की कुल जनसंख्या 114657 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती में कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 59 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। ग्रामीण क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 13558 हेक्टेयर है और ग्रामीण क्षेत्र की कुल जनसंख्या 187942 है। जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या घनत्व लगभग 13.9 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है। वार्डवार जनसंख्या घनत्व अनुबंध में दिखाया गया है।

**कार्यकर्ता प्रोफाइल**

विकासशील देशों में श्रम शक्ति परिवर्तन के किसी भी विश्लेषण में जनसांख्यिकीय और गैर-जनसांख्यिकीय कारक महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। जनसांख्यिकीय कारकों के तहत जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर सीधे कार्य भागीदारी दरों को प्रभावित करती है। दूसरी ओर, एक अर्थव्यवस्था विकसित करने के प्रारंभिक प्रयास, स्कूल नामांकन का विस्तार, बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं, बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ कार्य भागीदारी दरों में गिरावट और बेरोजगारी दर में वृद्धि हो सकती है


**3.3.4 श्रम शक्ति भागीदारी दर**

एक शहर का विकास उसके कार्यबल की भागीदारी पर निर्भर करता है। इसलिए, किसी शहर के कार्यबल को मजबूत करना उसके आर्थिक विकास को मजबूत जड़ें प्रदान करता है। कार्य भागीदारी दर (WPR), जिसे कुल जनसंख्या में कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार 26.6% है। पूरे बस्ती जिले की कार्यबल भागीदारी दर लगभग 32% है और 2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती विनियमित क्षेत्र में केवल 26.6% कार्यशील आबादी है। विनियमित क्षेत्र की लगभग 73% आबादी या तो काम नहीं कर रही है या काम करने की स्थिति में नहीं है।

शहर का नाम	कुल जनसंख्या			कुल कामगार			गैर कामगार		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	1,14,657	60,095	54,562	30,599	25,808	4,791	84,058	34,287	49,771

चित्र 5 बस्ती शहर के कुल कार्यकर्ता और गैर-श्रमिक

स्रोत - भारत की स्रोत जनगणना 2011




ग्राफ 5 विकास क्षेत्र की कार्य बल भागीदारी

जनगणना 2011 के अनुसार कार्य बल वितरण नीचे दिखाया गया है और यह दर्शाता है कि पुरुष कार्य बल की भागीदारी की तुलना में महिला कार्यबल बहुत कम है। इस प्रकार यह पाई चार्ट से देखा जा सकता है कि 26% श्रमिकों में से, 22% पुरुष श्रमिक हैं जबकि महिला श्रमिक केवल 4% हैं। महिला रोजगार शिक्षा, लिंग नीतियों, सामाजिक मानदंडों और रोजगार सृजन की प्रकृति जैसे कारकों की एक श्रृंखला से प्रेरित है।

2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में केवल 31% कार्यशील आबादी है। और गाँव (ग्रामीण) की लगभग 69% आबादी या तो काम नहीं कर रही है या काम करने की स्थिति में नहीं है।

शहर का नाम	कुल कार्यकर्ता			गैर-कार्यकर्ता		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	58627	44476	14151	129361	53701	75660

तालिका 10 कुल कार्यकर्ता और ग्रामीण क्षेत्र के गैर-कार्यकर्ता




**ग्राफ 6 ग्रामीण क्षेत्र की कार्यबल भागीदारी**

जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का कार्यबल वितरण ऊपर दिखाया गया है और यह दर्शाता है कि पुरुष कार्य बल की तुलना में महिला कार्यबल बहुत कम है। इस प्रकार, यह पाई चार्ट से देखा जा सकता है कि 31% श्रमिकों में से, 24% पुरुष श्रमिक हैं जबकि महिला श्रमिक केवल 7% हैं।

कार्यबल और विकास में महिलाओं की भागीदारी के बीच संबंध जटिल है और आर्थिक गतिविधि, शैक्षिक प्राप्ति, प्रजनन दर, सामाजिक मानदंडों और अन्य कारकों में परिवर्तन को दर्शाता है। महिला कार्य बल की भागीदारी बढ़ाने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है।

लिंग-उत्तरदायी नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं बेहतर नौकरियों तक पहुंचने या व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हों, और आर्थिक विकास का लाभ उठा सकें। अंततः लक्ष्य केवल महिला श्रम शक्ति की भागीदारी को बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सभ्य काम के अवसर प्रदान करने के लिए है, जो बदले में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान करेगा।

विकास क्षेत्र में महिला श्रमिकों की भागीदारी में परिवर्तन की पहचान करने के लिए, अतीत और वर्तमान डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण की आवश्यकता है। नीचे दिया गया ग्राफ 2001 और 2011 में महिला श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है -



**ग्राफ 7 महिला कार्यबल प्रवृत्ति**

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा गया है कि महिला कार्य भागीदारी दर 2001 में 2.4%, से थोड़ा सुधार होकर 2011 में 4.4% हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है लेकिन उनकी रोजगार की स्थिति गंभीर है क्योंकि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बहुत कम है। भूमि, ऋण, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल जैसे उत्पादक संसाधनों के असमान रूप से पहुंच, नियंत्रण और स्वामित्व के साथ, असमान कार्य बोझ, घर के भीतर उपभोग संसाधनों का असमान वितरण महिलाओं को पुरुषों से अलग करने वाले प्रमुख कारक हैं। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों तक पहुंच महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के निर्माण खंड हैं।

### 3.3.5 कार्यबल भागीदारी की प्रवृत्ति

विकास क्षेत्र में कार्य बल की भागीदारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए पिछले कार्य बल भागीदारी विश्लेषण और तुलना की आवश्यकता है। इसलिए, नीचे दी गई तालिका भारत की जनगणना के अनुसार 2001 में विकास क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या को दर्शाती है।

श्रमिकों की कुल संख्या			
वर्ष	1991	2001	2011
बस्ती	20870	24923	30599

ग्राफ 8 बस्ती विकास क्षेत्र में कुल श्रमिक

ऊपर दिए गए चार्ट के अनुसार यह देखा गया है कि 2001 में श्रमिक कुल आबादी का 23.6% है जो 2011 में 26.6% से बढ़ा है। यह बढ़ोत्तरी संभवतः प्रवास में वृद्धि या रोजगार के अवसरों में वृद्धि के कारण है। जबकि 2001-2011 के दौरान पुरुषों के लिए कार्य की भागीदारी दर 21% से बढ़कर 23% हो गई, महिलाओं के लिए यह संबंधित अवधि के दौरान 2% से 4% तक थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि, विकास क्षेत्र के भीतर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर की आवश्यकता है, स्टार्टअप या किसी अन्य सूक्ष्म या छोटे पैमाने पर उद्योग के श्रमिकों के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए जो शहर में कार्य भागीदारी दर बढ़ा सकते हैं।

### 3.3.6 श्रम शक्ति श्रेणी


जनगणना 2011 के अनुसार, श्रमिकों की प्रोफाइल को तीन श्रेणियों जैसे कि मुख्य कामगारों, सीमांत कामगारों और गैर कामगारों में विभाजित किया गया है।

मुख्य कामगार वे थे जिन्होंने वर्ष के प्रमुख भाग के लिए काम किया था, जो कि गणना की तारीख से पहले यानी, जो 183 दिनों (या छह महीने) या वर्ष के दौरान किसी भी आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधि में लगे हुए थे। सीमांत कामगार वे थे जिन्होंने किसी भी समय वर्ष में काम करने से पहले काम किया था, लेकिन वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए काम नहीं किया, अर्थात् जो 183 दिनों से कम (या छह महीने) से कम काम करते थे और अन्य स्थानों पर भी पलायन करते थे। गैर कामगार वे थे जिन्होंने गणना की तारीख से पहले वर्ष में किसी भी समय काम नहीं किया था। इन श्रेणियों को तब चार उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि काश्तकार, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग कामगार और अन्य कामगार।

शहर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	23,124	20,098	3,026	7,475	5,710	1,765

तालिका 11 विकास क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार

स्रोत – भारत की जनगणना 2011




**ग्राफ 9 विकास क्षेत्र के मुख्य और सीमांत श्रमिक**

ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि शहर में मुख्य कामगार 76% हैं, जिनमें से 66% पुरुष हैं और 10% महिलाएं हैं और सीमांत कामगार केवल 24.4% हैं।

शहर का नाम	मुख्य कामगार			सीमांत कामगार		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती (ग्रामीण)	34796	28664	6132	23831	15812	8019

**ग्राफ 10 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार**

स्रोत – भारत की जनगणना 2011



**ग्राफ 11 ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य और सीमांत कामगार**


ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कामगार 59% हैं, जिनमें से 49% पुरुष हैं और 10% महिलाएं हैं और सीमांत कामगार केवल 41% हैं।

क्रमांक संख्या	श्रेणी	मुख्य कामगार		सीमांत कामगार	
		2001	2011	2001	2011
1	बस्ती	24519	23124	4406	7475

**तालिका 12 मुख्य और सीमांत कामगार**

स्रोत – भारत की जनगणना 2011

### मुख्य और सीमांत श्रमिकों का रुझान



ग्राफ 12 मुख्य और सीमांत कामगारों का रुझान

उपरोक्त चार्ट से यह देखा गया कि बस्ती में कामगारों की कुल संख्या 2001 में 23.6% से बढ़कर वर्ष 2011 में 26.6% हो गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से सीमांत कामगारों के अनुपात में वृद्धि के कारण है जिसने 4.09% से उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है 2001 में 2011 में 6.95%।

#### अनुमान

ऊपर दिए गए आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि बस्ती के शहरी क्षेत्रों में लोगों को वर्ष में किसी भी समय काम करने में अधिक रुचि रखते हैं।

#### 3.4 श्रम शक्ति का स्वरूप

भारत की जनगणना के अनुसार, आर्थिक गतिविधि को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है –

**कृषक:** कृषकों को उस व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो पैसे, वस्तु या हिस्से में भुगतान के लिए सरकार के स्वामित्व वाली या निजी व्यक्तियों या संस्थानों से ली गई भूमि की खेती में लगे हुए हैं। खेती में खेती में प्रभावी पर्यवेक्षण या दिशा शामिल है। एक व्यक्ति जिसने अपनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या संस्था को खेती के लिए पैसे, वस्तु या फसल के हिस्से के लिए दी है और जो भूमि पर पर्यवेक्षण या प्रत्यक्ष खेती भी नहीं करता है, उसे किसान के रूप में नहीं माना जाता है।

**कृषि मजदूर :** एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर पैसे या किसी प्रकार के हिस्से के लिए काम करता है, उसे एक कृषि मजदूर माना जाता है। उसे खेती में कोई जोखिम नहीं है, लेकिन केवल मजदूरी के लिए किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर काम करता है। एक कृषि मजदूरों के पास भूमि पर पड़े या अनुबंध का कोई अधिकार नहीं है जिस पर वह काम करता है।

**घरेलू उद्योग कामगार :** घरेलू उद्योग को एक ऐसे उद्योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो घर के एक या एक से अधिक सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर में या गांव के भीतर एवं शहरी क्षेत्रों में केवल घर के परिसर के भीतर किया जाता है जहां परिवार रहता है। घरेलू उद्योग में श्रमिकों के बड़े अनुपात में घर के सदस्य होते हैं। उद्योग को एक पंजीकृत कारखाने के पैमाने पर नहीं चलाया जाता है, जहां बिजली के साथ 10 से अधिक व्यक्ति या बिजली के बिना 20 व्यक्तियों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे योग्य होने के कारण भारतीय कारखानों अधिनियम के तहत पंजीकृत होना होगा। शहरी क्षेत्रों में भी एक घरेलू उद्योग का मुख्य मानदंड एक घरेलू उद्योग में एक या अधिक सदस्यों की भागीदारी है। यदि उद्योग वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में घर पर स्थित नहीं है, फिर भी घर के सदस्यों के भाग लेने की अधिक संभावना है, भले ही उद्योग गाँव की सीमा के भीतर कहीं भी स्थित हो। शहरी क्षेत्रों में, जहां संगठित उद्योग अधिक प्रमुखता लेता है, घरेलू उद्योग को उस घर के परिसर तक सीमित होना चाहिए जहां प्रतिभागी रहते हैं।


**अन्य कामगार :** जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, कृषकों, कृषि मजदूरों या घरेलू उद्योग कामगारों के अलावा अन्य कामगारों को 'अन्य कामगार' (OW) कहा जाता है। इस प्रकार के श्रमिकों के उदाहरण सरकारी नौकर, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के श्रमिक, वृक्षारोपण कार्यकर्ता, व्यापार, वाणिज्य,

व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारियों, मनोरंजन कलाकारों, आदि में लगे हैं। पाई चार्ट में बस्ती के मुख्य और सीमांत कामगार क्रमशः 75% और 24.4% हैं। इसके अलावा, दोनों मुख्य और सीमांत कामगारों को खेती करने वाले, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग कार्यकर्ता और अन्य में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए, बस्ती में कामगारों का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

### 3.4.1 मुख्य कामगार


क्रमांक संख्या	श्रेणी	मुख्य कामगार	कृषक		कृषि मजदूर		घरेलू उद्योग कामगार		अन्य कामगार	
1	बस्ती	23124	405		643		1150		20926	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
			358	47	552	91	888	262	18300	2626

तालिका 13 व्यावसायिक संरचना




ग्राफ 13 मुख्य कामगार श्रेणियां

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि अधिकांश मुख्य कामगार (90%) सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, वृक्षारोपण श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण में लगे रहने वाले लोगों से जुड़े हैं। यह देखा जा सकता है कि जनगणना 2011 के अनुसार शहर में कृषि मजदूर केवल 2.70% हैं और कृषक कुल कार्यशील जनसंख्या का केवल 1.75% हैं।



### ग्राफ 18 2001 और 2011 में मुख्य श्रमिकों की तुलना (पुरुष)

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2011 में पुरुष कामगारों (मुख्य) की संख्या में 2001 में कुल पुरुष कामगारों की तुलना में कृषकों, कृषि मजदूरों और घरेलू उद्योग कामगारों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है।




### ग्राफ 14 2001 और 2011 में कामगारों की तुलना (पुरुष)

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001 की तुलना में 2011 में महिला कामगारों (मुख्य) की संख्या में कृषकों, कृषि मजदूरों, घरेलू उद्योग श्रमिकों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और अन्य कामगार श्रेणी में एक बड़ी वृद्धि देखी गई है जिसमें सरकारी नौकरी, नगरपालिका के कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकारों, आदि शामिल हैं।

#### 3.4.2 सीमांत कामगार


क्रमांक संख्या	विकास क्षेत्र का नाम	सीमांत कामगार	किसान		कृषि मजदूर		घरेलू उद्योग कामगार		अन्य कामगार	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	बस्ती	7475	129		1227		491		5628	
			108	21	935	292	367	124	4300	1328

तालिका 14 सीमांत कामगार की व्यावसायिक संरचना




उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि सीमांत कामगारों में अधिकांश अर्थात् 75% सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारियों, शिक्षकों, कारखाने के श्रमिकों, बागान श्रमिकों, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, पुजारी, मनोरंजन कलाकार, आदि और सबसे कम कृषक और घरेलू उद्योग कामगार हैं। जबकि लगभग 16.40% सीमांत कामगार कृषक मजदूर हैं।

इसलिए, यह देखा जा सकता है कि बस्ती की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शामिल है जबकि बहुत कम कृषि क्षेत्रों से जुड़ी हैं।



**ग्राफ 15 मुख्य महिला कामगारों की तुलना (2001 और 2011)**


ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001 की तुलना में 2011 में सभी कार्यशील क्षेत्रों में पुरुष सीमांत कामगारों की संख्या में वृद्धि हुई।



**ग्राफ 16 सीमांत महिला कामगारों की तुलना (2001 और 2011)**

ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि 2001-2011 के दशक में, पुरुष सीमांत कामगारों के विपरीत, महिला सीमांत कामगारों की संख्या अन्य कामगार श्रेणी में प्रमुख रूप से बढ़ी है जो की 2011 में 17.5% है व 2001 में 5.2% था और कृषि और घरेलू उद्योग क्षेत्र में कमी आई है।

**ग्राफ 17 काम के प्रकार**



## निष्कर्ष

अतः यह कहा जा सकता है कि बस्ती के कामगार कृषि या घरेलू उद्योगों की तुलना में नौकरियों में अधिक लिप्त हैं। इसके अलावा, तरह बस्ती की मुख्य और सीमांत दोनों महिला कामगार कृषि और घरेलू उद्योगों के क्षेत्र के अलावा सरकारी नौकरी, नगरपालिका कर्मचारी, शिक्षक, कारखाने के कर्मचारी, बागान श्रमिक, व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बैंकिंग, खनन, निर्माण, राजनीतिक या सामाजिक कार्य, मनोरंजन, कलाकार, आदि में अधिक जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार शहरी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए बस्ती में अधिक संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है।

### 3.5 परिवार एवं आवासीय इकाइयां

#### 3.5.1 परिवारों का आकार और आवासीय इकाइयों की संख्या

1991 की जनगणना के अनुसार, बस्ती नगर की कुल जनसंख्या 87371 थी, जिसमें आवासीय भवनों की संख्या 12592 थी और परिवारों की संख्या 13337 थी। इस प्रकार, ऊपर के आधार पर, बस्ती नगर में परिवार का औसत आकार 6.6 व्यक्तियों के लिए आता है। वर्ष 1991 में प्रति घर एक आवास इकाई की आवश्यकता के आधार पर 745 आवास इकाइयों की कमी थी। वर्ष 1991 में, यदि उपलब्ध आवास इकाइयों में से 10 प्रतिशत को जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवास के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, तो इस आधार पर उनकी संख्या 1259 हो जाती है। इन्हें भी शामिल करने के बाद, आवास इकाइयों की कमी, बस्ती शहर में 2021 हो जाती है। इसी तरह, वर्ष 2011 में, शहर की कुल आबादी 114657 थी, आवासीय भवनों की संख्या 17894 थी और परिवारों की संख्या 19109.5 थी। इस दशक में औसत परिवार का आकार 6 व्यक्तियों का रहा है। इस प्रकार, प्रति परिवार एक आवासीय इकाई की आवश्यकता के मानक के आधार पर, वर्ष 2021 में शहर में आवासीय भवनों की कमी थी।

#### 3.5.2 परिवारों के लिए उपलब्ध सुविधाएं

बस्ती नगर में छोटी इमारतों की बहुतायत के कारण, आवास के साथ-साथ प्रत्येक परिवार के लिए अलग रसोई, बाथरूम और शौचालय की सुविधाओं की कमी है। शहर के लगभग 5 प्रतिशत घरों में अलग रसोईघर है, 3 प्रतिशत में एक अलग बाथरूम है और 2 प्रतिशत में अलग शौचालय की सुविधा है।

### 3.6 यातायात और परिवहन

किसी भी शहर के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रभावी परिवहन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण होती है। बस्ती नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (गोरखपुर-बस्ती-फैजाबाद) और बस्ती-बंसी यानि, एनएच 233 को छोड़कर, अन्य सड़कों का विकास संकीर्ण और अनियोजित है, जिसके परिणाम स्वरूप यातायात में कई रुकावटें / बाधाएं उत्पन्न होती हैं। शहर के विभिन्न स्थानों और गतिविधियों में सुगम और सुविधाजनक सम्पर्क के लिए, यह आवश्यक है कि उनके बीच अच्छी तरह से जुड़े यातायात के मार्गों को विकसित / निर्मित किया जाए। बस्ती नगर में स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली सड़कों की कुल लंबाई 149 किमी है, जिनमें से 65 किमी पक्की सड़कें बनी हैं।

#### 3.6.1 आकार, स्थिति के आधार पर वर्तमान स्थिति का विश्लेषण और पर्याप्तता

इस श्रेणी में उन सड़कों को रखा गया है, जो या तो बस्ती नगर को जिला सीमा के बाहर के शहरों/क्षेत्रों से या जिला सीमा से जोड़ती हैं या इसके अंतर्गत आने वाले अन्य शहरों/कस्बों से जोड़ने का काम करती हैं। बस्ती शहरी क्षेत्र का विकास मूल रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के दोनों ओर के क्षेत्रों में हुआ है। 28 (गांधी मार्ग) और एनएच 233 और मालवीय रोड, गाँधीनगर रोड के दोनों किनारों पर हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास के निर्माण के बाद, नगर के बाहर सभी क्षेत्रीय / मुख्य शहरी सड़कों नवनिर्मित बाईपास मार्ग से गुजरना शुरू कर दिया है। जबकि इस सड़क के पुराने हिस्से (गांधी नगर) का उपयोग मुख्य स्थानीय सड़क के रूप में किया जाता है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मार्गों का विवरण निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- अयोध्या – बस्ती – गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 28
- बस्ती – बंसी प्रांतीय मार्ग संख्या – 5 एनएच 233
- बस्ती – डुमरीगंज प्रांतीय मार्ग संख्या – 26


बस्ती नगर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 28 का उपयोग स्थानीय मार्ग के रूप में किया जाता है। शहर की बढ़ती आबादी के साथ, शहर के भौतिक विकास / विस्तार को ध्यान में रखते हुए

स्थानीय सड़कों का विकास किया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मार्गों का विवरण इस प्रकार है:

- बस्ती – मेंहदावल मार्ग
- बस्ती – महसन मार्ग
- बस्ती – कलवारी मार्ग
- बस्ती – टांडा मार्ग

### 3.6.2 सड़क परिवहन


बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र में चलने वाले वाहनों में धीमी गति के वाहन प्रमुख हैं। एक औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र होने के कारण, माल ढोने के लिए हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, इक्का, तांगा और टेंपो / टैक्सी आदि वाहनों की बहुतायत है। तेज गति से चलने वाले वाहनों में बसें, ट्रक, कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि भी बहुतायत में हैं।



चित्र 8 सड़क नेटवर्क का नक्शा

### 3.6.3 राज्य बस सेवाएं


राज्य बस सेवा सुविधा बस्ती नगर में उपलब्ध है, जो लगभग 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के दक्षिणी मार्ग पर स्थित है। यहां से, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें विभिन्न दिशाओं के लिए उपलब्ध हैं, जो बस्ती जिले और इस जिले के बाहर के दूरदराज के शहरों में परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। राज्य बस स्टैंड के अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर एक निजी हवाई अड्डा / टैक्सी स्टेशन है जहां से शहर के विभिन्न दिशाओं और इस जिले के बाहर यातायात है।



चित्र 6 बस मार्ग

### 3.6.4 ट्रक सेवाएं

बस्ती नगर में कोई सुनियोजित ट्रक स्टैंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां शहर की मुख्य सड़कों पर वाणिज्यिक केंद्रों के आसपास ट्रकों को रोक दिया जाता है, जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।



चित्र 7 ट्रक मार्ग का नक्शा

### 3.6.5 रेल सेवा

बस्ती नगर उत्तर पूर्व रेलवे के गोंडा रेलवे लाइन के माध्यम से गोरखपुर-लखनऊ लाइन में स्थित एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो बस्ती नगर को राज्य के प्रमुख प्रशासनिक और वाणिज्यिक शहरों से जोड़ती है।


### 3.6.6 पंजीकृत वाहन

आरटीओ, 2020 के अनुसार बस्ती नगर में कुल 194003 पंजीकृत वाहन है। दो पहिया वाहनों की संख्या अन्य प्रकार के सभी वाहनों से अधिक है।

### 3.6.7 कार्य यात्राएं


शहर में यात्रा की मांग जानने के लिए कार्य-यात्राओं का अध्ययन वांछित होता है और इसे प्राथमिक सर्वेक्षण की मदद से किया जाता है। गतिशीलता की गणना करने के लिए, पहुंच और यात्रा की मांग चार प्रमुख जंक्शनों जैसे कि दक्ष दरवाजा, कटरा, पक्के रोड, ब्लॉक रोड और पांडे बाजार रोड का चयन किया

गया और यातायात प्रवाह का अध्ययन किया गया। यातायात सर्वेक्षण का औसत परिणाम अनुलग्नक में दिया गया है।



### स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

ग्राफ 18 यात्रा के साधन



ग्राफ 19 स्वामित्व वाले वाहन

### स्रोत-प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि बड़ी संख्या में लोगों की कार्य यात्राएं धोबी टोला, पटान तोला और डफली तोला से मंगल बाजार की सड़क तक होती हैं। ये लोग छोटे व्यवसायी हैं और मंगल बाजार में अपनी दुकानें हैं। चियाबाड़ी के लोग आमतौर पर बस्ती के कोतवाली क्षेत्र की अपनी यात्राएं करते हैं, जिसमें ऑटोमोबाइल की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्य से जो यात्राएं की जाती हैं, वे कैली सड़कों की ओर होती हैं क्योंकि इस सड़क के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिल्तननगर, तुर्कहिया और बेलवादड़ी के लोगों की कार्य यात्राएं गांधीनगर रोड, कैली रोड और मंगल बाजार रोड की ओर हैं। इसके अलावा, यह देखा गया कि सरकारी अधिकारियों के निवासी शिव कॉलोनी में प्रमुख रूप से हैं और उनकी कार्य यात्राएं पक्के सड़क और मालवीय सड़क की ओर हैं। पिकुआरा बख्श और पिकौरा दतुराई के लोग मालवीय रोड और पक्के रोड की ओर अपनी कार्य यात्राएं करते हैं।

### निष्कर्ष

माध्यमिक और प्राथमिक आंकड़ों से यह देखा गया कि बस्ती के लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली यात्रा का तरीका दोपहिया है और शहर के भीतर अधिकतम यात्रा का समय 25-30 मिनट होता है। यह भी देखा गया कि शहर के भीतर की सड़कें संकरी और अतिक्रमणकारी हैं जो पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक की भीड़ का कारण बनती हैं। यद्यपि यातायात प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए प्रमुख जंक्शनों और यातायात पुलिस पर यातायात संकेत हैं फिर भी यातायात को बनाए रखने के लिए मजबूत यातायात

नियम प्रवर्तन की आवश्यकता है। उपयुक्त पार्किंग स्थानों की कमी ने बेतरतीब पार्किंग की समस्या को बढ़ा दिया है और पैदल चलने की तुलना में फुटपाथ का उपयोग पार्किंग के लिए अधिक किया जाता है। इसलिए, प्रावधानों और पार्किंग स्थानों की आवश्यकता होती है।

### 3.2.7 सड़क की लंबाई और फुटपाथ

पक्की सड़कें	कच्ची सड़कें	सड़कों की कुल लम्बाई	फुटपाथ	सड़किल ट्रेक
185.38 किमी	43.27 किमी	228.65 किमी	—	—

तालिका 15 सड़क की लंबाई

### स्रोत नगर पालिका बस्ती 2020

प्राथमिक सर्वेक्षण के अनुसार शहर की वर्तमान सड़क की लंबाई 1535 किमी है। बस्ती शहरी क्षेत्र में वर्तमान सड़क और सड़क की चौड़ाई नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

क्रमांक	सड़क का नाम	मौजूदा सड़क की चौड़ाई
1	नारंग मार्ग	18.00
2	दक्षिण दरवाजा चौराहा से पाण्डे बाजार मार्ग	18.00
3	पाण्डे बाजार चौराहा से गौरा चौराहा	18.00
4	पाण्डे बाजार से हादिया चौराहा मार्ग	18.30
5	दक्षिण दरवाजा चौराहा से पुरानी बस्ती रोड रेलवे स्टेशन	30.00
6	मालवीय रोड	30.00
7	रौता चौराहा सेफौवारा मार्ग	30.00
8	रौताचौराहा से रामचंद्रशुक्ल चौराहा	12.00
9	बस्ती—मुदघाट मार्ग (आईटीआई तिराहा से मुदघाट चौराहा)	12.00
10	बस्ती—महोसो मार्ग (अस्पताल चौराहा से नगरपालिका सीमा)	21.35

तालिका 16 वर्तमान सड़क और सड़क की चौड़ाई

### स्रोत नगर पालिका बस्ती 2020

#### निष्कर्ष

प्राथमिक आंकड़ों से यह देखा गया कि पीक ऑवर्स के दौरान सबसे अधिक यातायात जाम पांडे बाजार रोड, दक्षिण दरवाजा रोड, महोसो रोड, बस्ती—बंसी रोड और कटरा रोड पर है। भीड़भाड़ का संभावित कारण अतिक्रमण सकरी सड़कों पर पार्किंग था जिसने इन सड़कों के रास्ते के अधिकार को संकुचित कर दिया है। यह भी देखा गया कि पार्किंग की उचित जगह नहीं होने के कारण लोग अपने वाहन फुटपाथ पर पार्क करते थे। व्यवसायिक क्षेत्रों में लोगों ने फुटपाथ पर अपनी दुकानें बढ़ा ली हैं, जिससे शहर में फुटपाथ का दुरुपयोग होता है। इसलिए व्यावसायिक क्षेत्र में पार्किंग के लिए विशेष स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि फुटपाथ को भीड़भाड़ मुक्त बनाया जा सके और पैदल चलने के लिए इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही, शहर के भीतर कोई उचित प्रवेश नहीं है क्योंकि मुदघाट का गेट सर्विस लेन के बजाय सीधे राजमार्ग से जुड़ा है, जिसके कारण इस जंक्शन पर दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। इसलिए, बस्ती नगर क्षेत्र में उचित प्रवेश और निकास बिंदु की आवश्यकता है।

#### 3.7 आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण

आर्थिक क्षेत्रों को मूल रूप से तीन भागों में बांटा गया है जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और कच्चे माल और बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनका उपयोग उद्योगों या अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करने वाले एक बुनियादी क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। द्वितीयक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं, जो निर्माण गतिविधियों और तैयार माल और मूर्त उत्पादों के निर्माण में लगे हुए हैं। द्वितीयक क्षेत्र संभावित उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाता है। तृतीयक क्षेत्र में अमूर्त प्रकृति का होता है जिसका जोर, सेवा क्षेत्र पर होता है। इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा वांछित शिक्षा, चिकित्सा, होटल और वित्त जैसी सेवाओं का प्रावधान शामिल है। बस्ती जिले की अर्थव्यवस्था कृषि और कृषि संबंधित लघु उद्योग पर आधारित है। कई लघु उद्योग हैं जो स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। चीनी कारखाने, कुटीर उद्योग और पीतल के बर्तन, लोहा और बढ़ईगीरी के सामान, कृषि उपकरण, ईट, कृषि उत्पाद, जूते, साबुन, मोमबत्तियां और मिट्टी के बर्तनों की निर्माण इकाइयों सहित लघु उद्योग यहां मौजूद हैं। बस्ती भी बांस, यूकेलिप्टस, (यूकेलिप्टस टेरिट्रोनिस्), आम और शीशम (डलबर्गियासिसू) के लिए भी प्रसिद्ध है। जिले में तीन चीनी मिलें हैं। आम तौर पर यहां गन्ना, मक्का, धान, दालें, गेहूं, जौ और आलू की खेती आमतौर पर की जाती है।


([basti.nic.in](http://basti.nic.in))

### 3.7.1 प्राथमिक क्षेत्र

#### 3.7.1.1 कृषि रूपरेखा


विकास क्षेत्र में कृषि प्रोफाइल का तात्पर्य आवश्यक प्राथमिक उत्पादों के उत्पादन में इसके योगदान से है। कृषि को उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का शीर्ष उत्पादक है। कृषि राज्य के निवासियों को लगभग 59% रोजगार प्रदान करती है। जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती शहरी क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि नीचे दिखाई गई है;

### शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि



ग्राफ 20 शहरीकरण योग्य क्षेत्र में कृषि भूमि

जनगणना के आंकड़ों के अनुसार यह देखा जा सकता है कि बस्ती में बोया गया कुल क्षेत्र कृषि भूमि का 83% है और जिसमें 8% बंजर भूमि है। इसी तरह, जनगणना 2011 के अनुसार बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कृषि भूमि नीचे दिखाई गई है -



**ग्राफ 21 ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि**

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि बस्ती ग्रामीण क्षेत्र में बोया गया कुल क्षेत्र कृषि भूमि का 94% है और केवल 3% बंजर भूमि है। बस्ती में गन्ना, मक्का, धान, दालें, गेहूं, जौ और आलू की खेती आम है। बस्ती में कृषि उत्पाद नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

अनुक्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयर में)
1	गेहूं	120136
2	ज्वार	112
	कुल	120248
3	चना	1057
4	मटर	5756
5	मसूर	2663
6	अरहर	0
	कुल	9476
7	राई / सरसो	2665
8	अलसी	30
9	तोरड़	7560
	कुल	10255
10	मक्का	3
	कुल उपज	139982

**तालिका 17 बस्ती में कृषि उपज**

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020

क्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयर में)
1	धान	107185
2	मक्का	2985
3	बाजरा	0
4	अन्य	0
5	उड़द	383
6	मूंग	8

क्रमांक	फसल	वास्तविक उपज (हेक्टेयर में)
7	अरहर	4589
8	मूंगफली	1
9	तिल	218
	कुल क्षेत्रफल	115369
10	धान नर्सरी	7146

तालिका 18 बस्ती में कृषि उपज

स्रोत : कृषि विभाग बस्ती 2020

कृषि भूमि का स्वामित्व

फसल का प्रकार




स्रोत : कृषि विभाग बस्ती 2020

ग्राफ 1 कृषि भूमि का स्वामित्व व फसल का प्रकार

अनुक्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	सिंचाई क्षमता	78330 Ha
2	कृषि योग्य मानक क्षेत्रफल	66949 Ha
3	शेष क्षेत्रफल	11381 Ha

तालिका 19 सिंचाई क्षेत्र

स्रोत : कृषि विभाग बस्ती 2020



उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि विनियमित क्षेत्र के भीतर सिंचाई क्षमता लगभग 78330 हेक्टेयर है जिसमें से खेती योग्य कमांड क्षेत्र लगभग 85% है। विनियमित क्षेत्र में 77% खरीफ फसल और 23% रबी फसल की खेती की जाती है।

### 3.7.1.2 कृषि सुविधाएं

कृषि सुविधाओं में कृषि वस्तुएँ, बाजार, मंडी, साप्ताहिक हाट बाजार, कृषि विपणन समितियां शामिल होती हैं। बस्ती शहर में एक ए.एम.पी.सी मार्केट, तुर्कहिया में एक सब्जी बाजार, गांधीनगर में नियमित बाजार

और पिकौरा बख्खा में नियमित बाजार है। बस्ती विनियमित क्षेत्र और ग्रामीण में उपलब्ध कृषि कॉमोडिटीस नीचे दिखायी गयी है –

### 3.7.1.3 बागवानी

बागवानी क्षेत्र भारत की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। उच्च उत्पादकता और उत्पादन में योगदान, करने के साथ ही यह एक बागवानी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान और उनकी आय को प्रभावित करता है।

बागवानी क्षेत्र में फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, नारियल जैसी वृक्षारोपण फसलों, चाय और कॉफी जैसे पेय और कुछ औषधीय और सुगंधित पौधों जैसी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रशिक्षण केंद्र 1956 में बस्ती में स्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बागवानी और कृषि गतिविधियों का केंद्र बन गया है। यह न केवल छात्रों को आकर्षित करता है, बल्कि इसके कलात्मक रूप से परिदृश्य के कारण पर्यटकों की एक बड़ी संख्या भी आकर्षित होती है। केंद्र विभिन्न प्रकार के फलों, सजावटी पौधों, सब्जियों और फसलों की खेती में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य करता है। मशरूम के अनुसंधान और उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाता है। केंद्र ने एक मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई स्थापित की है। मशरूम की खेती करने वालों को उच्च गुणवत्ता वाले मशरूम के बीज की आपूर्ति की जाती है। यह शहद के उत्पादन के लिए अपने एपिकल्चर विभाग में बड़ी संख्या में मधुमक्खी यार्ड भी रखता है। मधुमक्खी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने की भी सुविधा है। एक अन्य क्षेत्र जिसमें केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में ख्याती अर्जित की है और वह है आम्रपाली रोमानी और नीलम जैसी मीठे आमों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों का उत्पादन। यह केन्द्र देश भर के किसानों को इन किस्मों को उपलब्ध करवाता है।

विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों और फसलों और आनुवंशिक संसाधनों में समृद्ध विविधता भारत को वर्ष भर में बागवानी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड का संकेत है कि फलों के वैश्विक उत्पादन का 13% और सब्जियों का 21% हिस्सा, भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

### 3.7.2 माध्यमिक

#### 3.7.2.1 MSME के बड़े, मध्यम और क्लस्टर

हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में तेजी से औद्योगीकरण हुआ है। राज्य में विकसित कृषि आधारित उद्योग है। गन्ने के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के नाते, भारत के चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 28.03 प्रतिशत योगदान है।


कुछ बड़े और मध्यम उद्योगों की सूची नीचे दर्शायी गयी है –

- बस्ती चीनी मिल, बस्ती।
- गोविंद मिल लि.। (फ्लोर मिल), वाल्टरगंज, बस्ती।
- गोविंद नगर चीनी मिल, वाल्टरगंज, बस्ती।

ऐसे कई लघु पैमाने के उद्योग हैं जो बस्ती के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। चीनी कारखाने, पीतल के बर्तन बनाने वाले कारखाने, कृषि उपकरण, ईट, कृषि उत्पाद, जूते-चप्पल, साबुन, मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाईयों सहित कुटिर और लघु उद्योग यहां हैं। बस्ती विकास क्षेत्र की पहली विनिर्माण वस्तु बेकरी उत्पाद है, दूसरी वस्तु आइसक्रीम है और तीसरी वस्तु फर्नीचर है।

अनुक्रमांक	उद्योगों का प्रकार	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	बड़ा	-	-	-	-	-	-
2	मध्यम		2	1	1	1	
3	लघु	900	250	250	300	300	200
4	घरेलू	-	-	-	-	-	-

तालिका 20 बस्ती शहर में उद्योगों के प्रकार




**ग्राफ 22 उद्योगों की कुल संख्या**

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि बस्ती में छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या अधिक है और केवल 5 मध्यम स्तर के उद्योग हैं। छोटे पैमाने और मध्यम स्तर के उद्योगों में श्रमिकों की औसत संख्या लगभग बराबर है, अर्थात् इसके अलावा, ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि 2015 से, छोटे पैमाने के उद्योग भी सालाना कम हो रहे हैं, जिसके कारण नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर भी कम हो रहे हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि बस्ती में तीन चीनी मिलें थीं जो शहर की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान कर रही थीं। हालांकि उनमें से तीन चीनी मिलों में से दो वर्तमान में चालू नहीं हैं। किसानों को गन्ने की पर्याप्त कीमत नहीं मिल रही थी और इन मिलों का समर्थन करने के लिए उचित नीतियों का अभाव था, जिसके कारण बस्ती की मिलों ने काम करना बंद कर दिया है।

क्रमांक	इकाइयों का स्तर	इकाइयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	मैनुअल / एच.पी. द्वारा संचालित	एच.पी.
1	बड़ा				
2	मध्यम	5	28	HP	3400
3	लघु	2200	12500	HP	22000
4	घरेलू				
5	खतरनाक				

**तालिका 21 उद्योगों के प्रकार**



**ग्राफ 23 लघु उद्योग**

**ग्राफ 24 मध्यम पैमाने के उद्योग**

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि बस्ती में लघु उद्योगों की संख्या अधिक है और केवल 5 मध्यम स्तर के उद्योग हैं। लघु और मध्यम उद्योगों में श्रमिकों की औसत संख्या लगभग बराबर है,

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 2015 से, लघु उद्योग भी सालाना कम हो रहे हैं जिससे नागरिकों के लिए आजीविका के अवसर भी कम हो रहे हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह पता चला है कि बस्ती में तीन चीनी मिलें थीं जो शहर की बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान कर रही थीं। हालांकि तीन चीनी मिलों में से दो वर्तमान में चालू नहीं हैं। इसका कारण यह है कि किसानों को गन्ने का पर्याप्त मूल्य नहीं मिल रहा था और इन मिलों को समर्थन देने के लिए उचित नीतियों भी नहीं थी जिसके कारण इन मिलों ने काम करना बंद कर दिया था।

### **निष्कर्ष**

प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि 1976 से बस्ती में प्लास्टिक और चीनी मिलें चल रही थी, लेकिन औद्योगिक रुझान अब चावल और खाद्य आधारित उद्योगों की ओर अधिक हो गया है। वर्तमान में उद्योगों की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नलिखित कारणों से हैं –

- जीविका के लिए सरकार से उचित समर्थन का अभाव।
- उद्योगों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के निपटान के लिए उचित विधि का अभाव।
- मौजूदा मिलों के लिए पुनरुद्धार योजना का अभाव होना।
- उद्योगों के विकास के लिए नीतियों का अभाव।
- अन्वोन्याश्रित सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी।

चूंकि एक समय बस्ती में लघु उद्योग प्रचलित थे, इसलिए उन्हें सीधे कृषि उपज से जोड़ा जा सकता है क्योंकि किसान अपनी नकद फसल को आसानी से उगा पाएंगे और उत्तर प्रदेश के नए एएमपीसी संशोधनों के अनुसार उन्हें सीधे पास के लघु उद्योगों में बेच सकेंगे।

### **3.7.3 तृतीयक**

#### **3.7.3.1 व्यापार (थोक / खुदरा व्यापार)**

शहर में थोक व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं।

1. "खुदरा व्यापार" या अन्य "थोक व्यापार" को माल का विक्रय।
2. "निर्माण", "विनिर्माण", "परिवहन", "भोजन और पीने के स्थानों", "आवास", "अस्पतालों", "स्कूलों", "सरकार और लोक संगठना" के औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को भारी मात्रा में माल का विक्रय।
3. मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए सामानों का विक्रय – कार्यालय मशीनों और उपकरणों जैसे सामान, अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली सुविधाएं, ब्यूटी सैलून, रेस्तरां और होटल, और औद्योगिक मशीनरी (कृषि मशीनों या उपकरणों को छोड़कर), साथ ही निर्माण सामग्री (लंबर, सीमेंट) शीट ग्लास, छत टाइल, आदि।
4. अपने सामान की थोक बिक्री जिसका विनिर्माण में एक कंपनी ने अपने प्रबंधन के तहत एक अलग स्थान पर उत्पादित किया है। मुख्य रूप से प्रबंधन मामलों के समग्र नियंत्रण में लगे प्रतिष्ठानों को बाहर रखा गया है।
5. अन्य प्रतिष्ठानों की ओर से माल की बिक्री, या माल की बिक्री के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।

खुदरा व्यापार में मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में लगे प्रतिष्ठान शामिल हैं –

- व्यक्तियों को या घरेलू खपत के लिए माल की बिक्री।
- औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को कम मात्रा या छोटी मात्रा में माल की बिक्री। "खुदरा व्यापार" आमतौर पर मुख्य सामान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

#### **3.7.3.2 होटल और रेस्टोरेंट**

शहर के भीतर होटल और रेस्तरां होने से, विकास क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अवसर मिलता है। होटल और रेस्तरां यात्रियों के लिए आवास और भोजन सेवाएं प्रदान करते हैं और साथ ही नागरिकों के लिए कुछ मनोरंजक गतिविधि का उद्देश्य भी पूरा करते हैं।

घर के दूर होने पर होटल घर का एक स्वरूप होता है। यह वह स्थान है जहां पर्यटक यात्रियों से अतिथि के लिए अपनी भूमिका बदलता है। एक होटल का प्राथमिक कार्य उन जरूरतों को समायोजित करना और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करना है। होटल की सुविधाएँ काफी हद तक स्थानीय आबादी की भी सेवा करती हैं। इसकी कमाई का दायरा अनंत है। यह अर्थव्यवस्था के पर्यटन बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह एक व्यक्तिगत या एक अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय हो सकता है। यह अपने मालिक के परिवार के सदस्यों को रोजगार दे सकता है या हजारों नौकरियां पैदा कर सकता है। यह एक छोटा या बहु मिलियन उद्यम हो सकता है। यह "श्रम-गहन" और "पूंजी केन्द्रित" दोनों प्रकार की गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन होटल स्थान में उतने ही प्रभाव रूप से और कुशलता चल सकता है जितना कि से व्यापक राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय संचालन में हैं। इस प्रकार इसमें परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने का लचीलापन होता है।

होटल और रेस्तरां की कुल संख्या 93 है।

**बस्ती शहर में बने नए होटलों और रेस्तरां की सूची नीचे दी गई है:**

क्रमांक	वर्ष	होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस की संख्या
1	20-21	6
2	19-20	55
3	18-19	32

**तालिका 22 बस्ती शहर में बने नए होटलों और रेस्तरां की सूची**

### 3.7.4 अनौपचारिक क्षेत्र

अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, अथवा ग्रे अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है जिस पर न तो कर लगाया जाता है, न ही सरकार के किसी भी रूप से निगरानी की जाती है। अनौपचारिक क्षेत्र को श्रम के क्षेत्र में एक प्रकार के ग्रे बाजार के रूप में बताया जाता है।

यद्यपि अनौपचारिक क्षेत्र विकासशील देशों में अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है – लगभग 41% या कभी-कभी 50%, तक किन्तु इसे अक्सर परेशानी पैदा करने वाला और असहनीय मानकर हीन दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि, अनौपचारिक क्षेत्र गरीबों के लिए महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के अवसर प्रदान करता है और 1960 के दशक से तेजी से विस्तार कर रहा है। इस प्रकार, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को औपचारिक क्षेत्र में एकीकृत करना एक महत्वपूर्ण नीतिगत चुनौती है।

इसके अलावा, अनेक विकासशील देशों में अनौपचारिक क्षेत्रों के विकास और पैमाने को पारंपरिक रूप से श्रमिकों के विस्थापन का परिणाम ठहराया गया है। वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन की सूची अनुबंधन में दी गई है।

## 3.8 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक

### 3.8.1 सामाजिक आधारभूत संरचना

सामाजिक बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास और समाज के जीवन स्तर के विकास दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक बुनियादी ढांचा सामाजिक भलाई को बढ़ाता है और बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं को प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ाता है जो व्यवसायों को विकसित करने और फलने-फूलने की अनुमति देता है।

#### 3.8.1.1 शैक्षणिक सुविधाएं

शिक्षा हमेशा से एक सभ्यता में बदलते कारक के रूप में समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। विभिन्न शिक्षा सुविधाओं का विकास शहरी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महत्वपूर्ण शिक्षा सुविधाओं में से एक उच्च शिक्षा संस्थान या विश्वविद्यालय है।

सार्वजनिक / अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का मतलब उन शहरी सुविधाओं से है, जिनकी आपूर्ति सामूहिक स्तर पर की जाती है। मनुष्यों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक सामुदायिक सुविधाओं की उपलब्धता बहुत आवश्यक है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन से संबंधित सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, लोगों की सुविधा के लिए डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज, पुलिस थाना और दमकल केन्द्र, आदि जैसी कुछ अन्य सुविधाएं भी आवश्यक हैं।

नर्सरी / प्राथमिक स्कूलों से स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा के साथ-साथ विकास क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। शहर में चलाए जा रहे इन शैक्षणिक संस्थानों में एक समान

सुविधाओं का अभाव है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके पास मानक के अनुसार पर्याप्त कमरे नहीं हैं, न ही उनके पास पढ़ने और पढ़ाने के लिए पर्याप्त बेंच हैं और न ही व्यायाम / मनोरंजन के लिए क्रीडा स्थल है। जो भी सुविधाएं हैं, वे भी असंतोषजनक और जर्जर स्थिति में हैं।

### 3.8.1.2 नर्सरी / प्राथमिक स्कूल

आमतौर पर, 6 से 11 वर्ष की आयु के लड़के / लड़कियां इस श्रेणी के स्कूलों में एक साथ शिक्षा लेते हैं। बस्ती नगर के तहत परिषदीय और मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों की संख्या 32 है, जिसमें छात्रों की कुल संख्या 3652 है, जिसके आधार पर प्रति विद्यालय छात्रों की औसत संख्या लगभग 114 है। वर्तमान में, एक प्राथमिक विद्यालय की सुविधा लगभग 3363 व्यक्तियों पर उपलब्ध है, जो विभागीय मानक के अनुसार है, लेकिन इन स्कूलों को स्थानीय वितरण, इमारतों की स्थिति और उपलब्ध अन्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

### 3.8.1.3 जूनियर हई स्कूल

आमतौर पर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के आयु वर्ग के छात्र इस श्रेणी के स्कूलों में पढ़ते हैं। इस प्रकार, शहर में जनसंख्या मानकों के आधार पर 15 स्कूलों का अभाव है। शहर में जो शैक्षणिक संस्थान हैं, उनमें यथोचित भवन व क्रिडागंगन नहीं है।

क्र मांक	शहर का नाम	प्राइमरी स्कूल	मिडिल स्कूल	माध्यमिक विद्यालय	सीनियर सेकेंडरी स्कूल	आर्ट्स / साइंस / कॉलेज	चिकित्सा महाविद्यालय	इंजीनियरिंग महाविद्यालय
1	बस्ती	63	32	4	70	4	1	शून्य

तालिका 23 बस्ती के मौजूदा स्कूल

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020

### 3.8.1.4 उच्च शिक्षा सुविधाएं

वर्तमान में इंटरमीडिएट कॉलेज की सुविधा व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। विभागीय मानक के आधार पर अतिरिक्त महाविद्यालय की आवश्यकता होगी। इन विद्यालयों में प्रयोगशाला, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय और खेल के मैदान जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है।

क्रमांक	शहर का नाम	पालीटेक्निक	प्रशिक्षण संस्थान	सर्वशिक्षा अभियान केंद्र	विकलांगों के लिए स्कूल
1	बस्ती	0	1	0	1

तालिका 1 मौजूदा उच्च शिक्षा आँकड़ें

स्रोत - नगर पालिका पालिका 2020

### 3.8.1.5 स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं

स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध करवाने, उनके उपयोग और स्वास्थ्य परिणामों को प्रभावित करने के तरीके को निर्धारित करने में स्वास्थ्य प्रणालियों और नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणालियों को इसके सभी आयामों में मजबूती देना और प्राथमिकता देना है - स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन, बीमारियों की रोकथाम और क्रॉस-क्षेत्रीय कार्यों के माध्यम से अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकियों तक पहुंच, मानव संसाधन विकसित करना, प्रोत्साहित करना, चिकित्सा बहुलवाद, ज्ञान के आधार का निर्माण, बेहतर वित्तीय सुरक्षा रणनीति विकसित करना, विनियमन और स्वास्थ्य आश्वासन को मजबूत करना।

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक सुविधाओं से युक्त त्रि-स्तरीय संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान बस्ती शहरी क्षेत्र में कुल 571 बिस्तर हैं जो पर्याप्त हैं क्योंकि आदर्श के अनुसार प्रत्येक अस्पताल में 100% अधिभोग के साथ 60 बिस्तर होने चाहिए।

### 3.8.1.6 मनोरंजन की सुविधाएं

मनोरंजन को भावनात्मक स्थिति के पुनर्सृजन एवं पुनस्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार और स्वयं के साथ कुछ गुणवत्ता पूर्ण समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण होता है, ताकि वे अपने कार्य जीवन की व्यस्तता से निजात पा सकें। मनोरंजक सुविधाएं न केवल लोगों को परिवार के समय का आनंद लेने के लिए पलायन सुलभ करवाती हैं, बल्कि यह लोगों को बसने और काम करने के लिए इन मनोरंजक सुविधाओं के आसपास के इलाकों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। मनोरंजन की सुविधा तनाव निवारक के रूप में तो होती ही है, साथ ही मनोरंजन सुविधाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार अवसर भी उत्पन्न करती है। मनोरंजक सुविधाओं को लोगों को शहर के निवासियों के बीच सांप्रदायिक संबंध को बढ़ावा देने के लिए और जीवन में सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को हरित स्थान प्रदान करने चाहिए। लगभग दो तिहाई उत्तरदाता सहमत हैं और बौद्धिक सहमति देते हैं कि नगर के विस्तार के लिए मनोरंजन का विक्रय वांछित है। इमारतों के आसपास शहरी पर्यावरण की गुणवत्ता और एक शहर में जीवन की समृद्धि के कई पहलुओं पर एक उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक क्षेत्रों की उपस्थिति कई मायनों में जीवन की गुणवत्ता में योगदान करती है। शहरी प्रकृति मानव समाजों को महत्वपूर्ण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जो मानव जीवन को अर्थ और भावनाओं के साथ समृद्ध करती है। शहरी क्षेत्र के भीतर एक अच्छी तरह से डिजाइन और प्रबंधित मनोरंजक केंद्र और खुले स्थान बच्चों के लिए खेल क्षेत्रों की पेशकश कर सकते हैं, जो जीवन की गुणवत्ता और निवासियों की भलाई में योगदान करते हैं। बस्ती के पार्क और खुले स्थान अनुलग्नक डी में दिए गए हैं।

### 3.8.1.7 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

एक समाज की संस्कृति व्यक्त करती है कि समाज के सदस्य अपनी उत्तरजीविता की समस्याओं को कैसे हल करते हैं और यह उस तरीके से परिलक्षित होता है जिस तरह से उनके समाज में स्थित संगठन अपनी समस्याओं को हल करते हैं। समाज को आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ बातचीत करने के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आपस में संवाद करते हैं और जो सहकारी आधार पर गठित होता है और एक सामान्य संस्कृति साझा करता है। एक समाज एक सामाजिक समूह है, जबकि एक संस्कृति एक समाज की साझी विरासत की प्रणाली है। इसकी संस्कृति के बिना कोई समाज नहीं हो सकता और समाज के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में पैदा होता है; वह समाज को प्राप्त करता है और समाज द्वारा बनाए गए कुछ नियमों का पालन करके एक सुसंस्कृत व्यक्ति बन जाता है। संस्कृति को दैनिक जीवन और व्यक्तियों के दैनिक जीवन और व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक के तौर पर देखा जाता है।

क्र. सं.		अनाथालय	कामकाजी महिला छात्रावास	वृद्धाश्रम	स्टेडियम	सिनेमाथियेटर	सभागार	सार्वजनिक पुस्तकालय	पढने के कमरे
1	बस्ती	1	NIL	NIL	1	1	2	1	1

तालिका 24 बस्ती में वर्तमान सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

### 3.8.1.8 अग्निशमन


उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज ने 1944 में 8 दमकल केन्द्रों और 198 फायर सर्विस कर्मियों के साथ काम करना शुरू किया और वर्तमान में 75 जिलों में 349 दमकल केन्द्र हैं, जिनमें 8278 से अधिक फायर सर्विस कार्मिक हैं। उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज वर्तमान में एक हजार से अधिक फायर इंजन से लैस है और आग की घटनाओं और आग से संबंधित आपदाओं से निपटती हैं।

बस्ती में वर्तमान में 46 कर्मचारियों वाला 1 दमकल केन्द्र है। दमकल केन्द्र 03 फायर टेंडर, 02 वॉटर मिक्सर, 02 बॉयलर से लैस है। उपलब्ध फायर ट्रक 8000 लीटर की क्षमता वाले पानी के ब्राउजर, 5000 लीटर 2500 लीटर क्षमता के फायर टेंडर और 400 लीटर क्षमता वाली हाई प्रेशर वाटर मिक्सड और पंप सहित बोरवेल भी है। शहर में आग की आपदाओं की संख्या निम्नवत् है -

आग से खतरे	
वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2020	178
2019	865
2018	643
2017	534
2016	606

तालिका 25 शहर में आग दुर्घटनाओं की संख्या

स्रोत : अग्निशमन विभाग बस्ती 2020



ग्राफ 25 बस्ती में आग दुर्घटनाओं की संख्या

#### निष्कर्ष

मानदंडों के अनुसार दमकल केन्द्र को आपदा स्थल तक आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह पाया जाता है कि मौजूदा दमकल केन्द्र अग्नि आपदा को निपटाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके नवीनीकरण की आवश्यकता है और यदि उन्हें आवश्यक हो तो वे अधिक उपकरण तैनात कर सकते हैं। आग जनित दुर्घटनाओं के उपरोक्त रेखांकन वर्ष 2019 तक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है और वर्ष 2020 में यह घटती संख्या को दर्शाता है इसलिए आने वाले वर्ष के लिए अग्नि दुर्घटनाओं की संभावना भिन्न हो सकती है। इसके अलावा आग आपदाओं की बढ़ती संभावनाओं के अनुसार आने वाले वर्षों के लिए एक और दमकल केन्द्र प्रदान किया जा सकता है।


#### 3.8.2 शहर में अपराध दर

बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ते आधुनिक शहरों में विभिन्न व्यक्तिगत हितों वाली शहरी आबादी ने गरीबी, यातायात, अपराध, प्रदूषण और भीड़भाड़ वाले आवासों ने हर तरह की शहरी समस्या में भूमिका निभाई है। इनमें से अपराध ऐसी मूल समस्या है जो नागरिकों की चिन्ता बढ़ाकर और सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम करके समाज के सभी सदस्यों के लिए खतरा बन जाती है। इसलिए अपराध निवारण संबंधी विभिन्न अध्ययन शहरी जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उस क्षेत्र की आबादी गिरफ्तार किए गए अपराधों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब है कि आधिकारिक अपराध दर को पुलिस कार्यालय जैसे आपराधिक न्याय संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त और संसाधित किया जाता है, पुलिस की अपनी निहित समस्याएं होती हैं। इनमें से एक विलुप्त और छिपे हुए अपराधों को याद करना जो संसाधित नहीं होते हैं उनमें से एक हैं। कुछ अपराधों का न तो पता चला और न ही रिपोर्ट किया गया। कुछ को पुलिस द्वारा नजरअंदाज किया जाता है या हल नहीं किया जाता है।

विकास क्षेत्र को अधिक शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपराध डेटा का विश्लेषण करना आवश्यक है और तदनुसार कुछ नीतियों की आवश्यकता की पहचान की जानी चाहिए।

इसलिए, बस्ती के अपराध डेटा को एकत्र किया गया था और अपराध दर की गणना अपराधों की संख्या को कुल अपराधों से विभाजित करके की गई थी, जो परिणाम आया उसे 100,000 से गुणा किया गया।

## बस्ती की अपराध दर



ग्राफ 26 बस्ती की अपराध दर

स्रोत : पुलिस विभाग बस्ती (उपरोक्त चार्ट में डेटा प्रतिशत में)

### निष्कर्ष

उपरोक्त चार्ट से यह देखा जा सकता है कि उच्चतम अपराध दर वर्ष 2017 में 112% के साथ सभी संबंधित वर्षों में चोरी की है। दूसरी सबसे बड़ी अपराध दर महिलाओं के खिलाफ अपराध है जो वर्ष 2015 में 42.7% है और तीसरी सबसे अधिक गैर-घातक दुर्घटनाएं हैं जो वर्ष 2018 में 48% हैं। हालांकि, डेटा से यह भी कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों के आंकड़ों की तुलना में अपराध दर अपेक्षाकृत कम हो गई है, इसका मतलब शहर के भीतर उचित कानून और व्यवस्था प्रवर्तन है।

### 3.8.3 भौतिक आधारभूत संरचना

भौतिक बुनियादी ढांचे में जल आपूर्ति, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली और परिवहन और संचार शामिल हैं।

#### 3.8.3.1 जल आपूर्ति

##### मौजूदा जल आपूर्ति की स्थिति

वर्तमान में, 114657 की आबादी के लिए पानी की आपूर्ति की उपलब्धता लगभग 19.6 MLD है। वितरण प्रणाली की लंबाई 220 किलोमीटर है। शहर में कुल 8 ओवरहेड टैंक, 22 नलकूप और 527 हैंडपम्प टाउन एरिया के भीतर हैं। केवल 32% घर घरेलू नल जल प्रणाली से जुड़े हैं। 170 एलपीसीडी पानी बस्ती के नागरिक को विभिन्न पानी के टैंकों से आपूर्ति की जाती है।

क्रमांक	मौजूदा जल आपूर्ति की स्थिति					
	नल का जल	हैंडपंप	कुएं / ट्यूबवेल	टैंक / तालाब	नदियाँ / नहर	अन्य
	5604	-	22	-	1	-

तालिका 26 मौजूदा जल आपूर्ति

स्रोत: जलकल विभाग बस्ती 2020

क्रमांक	जल आपूर्ति की मात्रा	प्रतिदिन आपूर्ति की आवर्तिता / घंटे	संयोजनों की संख्या	आच्छादित क्षेत्र (लंबाई)	हासिल मीटरिंग
	19.6MLD	प्रतिदिन 2 बार	5604	77.76किमी	शून्य

तालिका 27 जल आपूर्ति की मात्रा

स्रोत: जलकल विभाग बस्ती 2020

	ओवर हेड टैंकों की संख्या	डब्ल्यू टीपीएस की संख्या	डब्ल्यू टीपीएस की क्षमता	उपचारित आपूर्ति कुल जल आपूर्ति के % के रूप में
बस्ती	8	शून्य	शून्य	केवल क्लोनिरीकरण

तालिका 28 ओवर हेड टैंकों की संख्या

स्रोत : जलकल विभाग बस्ती 2020


क्रमांक	ओवरहेड टैंकों की संख्या	क्षमता
1	कटरा	1500 किलोलीटर
2	जलकल	250 किलोलीटर
3	आवास विकास	250 किलोलीटर
4	कटेश्वर पार्क	1800 किलोलीटर
5	गौशाला, संजय कॉलोनी	500 किलोलीटर
6	काशीराम, शहरी आवास योजना-1	300 किलोलीटर

क्रमांक	ओवरहेड टैंकों की संख्या	क्षमता
7	काशीराम, शहरी आवास योजना-2	0.25 किलोलीटर
8	काशीराम, शहरी आवास योजना-3	25 किलोलीटर


तालिका 29 ओवरहेड टैंकों की संख्या और क्षमता

स्रोत : जलकल विभाग बस्ती 2020

### जल आपूर्ति के स्रोत



### पीने के पानी की गुणवत्ता



ग्राफ 27 जल आपूर्ति के स्रोत व पीने के पानी की गुणवत्ता

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण 2020

उपरोक्त चार्ट प्राथमिक सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए डेटा को दिखाते हैं – यह देखा जा सकता है कि प्रमुख जल आपूर्ति स्रोत भूजल है जो पीने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त गुणवत्ता के साथ 71% है। साथ ही प्राथमिक सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि शहर में कोई जल उपचार संयंत्र नहीं है और पीने के पानी को स्रोत पर ही क्लोरीनेट किया जाता है और फिर वितरण किया जाता है।

### 3.8.3.2 जलनिकासी

बस्ती में जल निकासी की कुल लंबाई 34900 मीटर (बस्ती नगरपालिका परिषद) है और शहर में मल जल और वर्षा जल निकासी के लिए कोई अलग लाइन नहीं है।

### वर्षा जल निकासी

क्रमांक	खुली नालियां	ढकी हुई नालियां	भूमिगत सीवेज	अन्य
बस्ती	हां	हां	नहीं	—

तालिका 30 वर्षा जल निकासी

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

क्रमांक	क्षेत्र	लंबाई (मीटर में)
1	गांधीनगर	16250
2	पुरानी बस्ती	18650
	कुल	34900

तालिका 31 बस्ती में वर्षा जल निकासी

स्रोत : बस्ती नगर पालिका परिषद 2020

चूंकि बस्ती में कोई मलजल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, सारा उत्पन्न मलजल सीधे नदी में बहा दिया जाता है। इसलिए, नदी जल प्रदूषण के आंकड़ों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।


**स्वच्छता**

क्रमांक		शौचघर			शौचघर	गदूढे वाला शौचालय	अन्य शौचालय / फलश
		पाइप वाली सिवर प्रणाली	सेप्टिक टैंक	अन्य प्रणाली			
1	बस्ती		-	-	7000	10107	NA

**तालिका 32 स्वच्छता**

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

**SANITATION FACILITY**



**3.8.3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**

सॉलिड वेस्ट मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न कचरे की मात्रा है। यह विभिन्न जानवरों और मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कचरा सामग्री को इंगित करता है—जिन्हें अवांछित और बेकार के रूप में त्याग दिया जाता है। जैविक और अकार्बनिक कचरे के आधार पर कचरे का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा, वर्गीकरण भी खतरनाक कचरे पर आधारित हो सकता है, जिसमें रेडियोधर्मी, ज्वलनशील, संक्रामक, विषाक्तता गैर विषैले अपशिष्ट शामिल हैं। इसके अलावा खतरनाक कचरे के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है, चाहे अपशिष्ट औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक, संस्थागत या निर्माण और विध्वंस हो।

सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरह से ठोस अपशिष्ट पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, संग्रह, परिवहन या हस्तांतरण, प्रसंस्करण और निपटान के नियंत्रण से जुड़ी प्रक्रिया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, संरक्षण, आर्थिक, सौंदर्य, इंजीनियरिंग और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों जैसे अनेक विषयों का समाधान करना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में नियोजन, प्रशासनिक, वित्तीय, इंजीनियरिंग और कानूनी कार्य भी शामिल हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उचित प्रबंधन ढांचे से शहर का आर्थिक विकास हो सकता है।

**बस्ती में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना**

बस्ती विकास क्षेत्र में पहले से ही एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना है। शहर में कुल 25 वार्ड हैं और कचरे को वार्ड-वार एकत्र किया जाता है। प्रति वार्ड उत्पन्न कुल अपशिष्ट लगभग 1.80 टीपीडी है। उत्पन्न ठोस अपशिष्ट दैनिक आधार पर एकत्र किया जाता है और सूखे और गीले कचरे के बीच आंशिक रूप से अलग किया जाता है। शहर में एकत्र किया गया कुल सूखा कचरा 20 टीपीडी है और एकत्र किया गया कुल गीला कचरा 27 टीपीडी है। प्रत्येक वार्ड में अलग-अलग सूखे और गीले कचरे को इकट्ठा करने के लिए कुल 10-15 कूड़ेदान के जरिये लगाये गए हैं। शहर के भीतर उत्पन्न और एकत्र किए गए कुल कचरे को तालिका में नीचे दिखाया गया है।

क्रमांक	औसत अपशिष्ट	औसत संग्रह	घर-घर संग्रह के लिए आच्छादित घरों की संख्या	कुल गीला कचरा एकत्र किया गया	तैनात जन शक्ति	भूमि भरने के लिए उपयोग लिये जाने वाले स्थलों की संख्या
1	47 TPD	47 TPD	22280	27 TPD	405	1 (अमहट)

**तालिका 33 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन**

स्त्रोत : बस्ती नगर पालिका परिषद 2020

**स्वच्छता भराई की विधि**

बस्ती में लैंडफिलिंग कंपोस्टिंग की मदद से की जाती है। कंपोस्टिंग को बैक्टीरिया, सूक्ष्म और उच्च स्तर के जीवों द्वारा ठोस कचरे में विघटित कार्बनिक घटकों (कृषि, शहरी वाणिज्यिक कचरे आदि) के जैव-निम्नीकृत स्थिर और खनिजयुक्त ह्यूमस परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।

शहरी क्षेत्र में कम्पोस्टिंग अमहट गांवों में की जाती है।

**तैनात वाहन का प्रकार**

शहर में ठोस कचरे के संग्रह के लिए तैनात वाहन के प्रकार 3 ट्रक, 28 टैंपो, 6 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी, 1 लोडर, 1 हिबा हैं।

क्रमांक	वार्ड का नाम	ट्रक-टेम्पो	रिक्शा ट्रॉली	डम्पर
1	नरहरिया	1	3	1
2	मिश्रौलिया	1	3	
3	मुरलीजोत	1	3	
4	पांडेबाजार	1	3	
5	पिकौरा शिव गुलाम	1	3	
6	चिकवा टोला	1	3	1
7	सुरतीहट्टा	1	3	
8	तुर्कहिया	1	3	
9	विशुनपुरवा	1	3	
10	माली टोला	1	3	1
11	पठान टोला	1	3	
12	रौतापार	1	3	
13	महरीखावां	1	3	
14	गड़गोड़िया	1	3	
15	पिकौरा दत्तूराय	1	3	1
16	कंपनी बाग	1	3	
17	पुराना दखना	1	3	
18	बेलवादड़ी	1	3	
19	ओरिजोट	1	3	1
20	इटियालिया	1	3	
21	रामेश्वरपुरी	1	3	
22	बैरिहवा	1	3	
23	आवास विकास	1	3	
24	कटरा	1	3	
25	पिकौरा बरखा 12	1	3	

तालिका 34 ठोस अपशिष्ट संग्रह के लिए तैनात वाहन

स्त्रोत : बस्ती नगर पालिका, 2020

**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड**

म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (MSW) एक कचरा है जिसे मानव बस्ती में दिन-प्रतिदिन त्याग दिया जाता है। MSW रूल्स 2000 के अनुसार MSW में औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर उपचारित जैव

मेडिक कचरे सहित या तो ठोस या अर्ध-ठोस रूप में एक नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट, शामिल हैं। अपशिष्ट उत्पादन उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें सामग्रियों को अब मूल्य के रूप में पहचाना नहीं जाता है (वर्तमान रूप में) और या तो फेंक दिया जाता है या निस्तारण के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। निम्न तालिका नियोजन उद्देश्यों के लिए भविष्य के लिए अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और पूर्वानुमान के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन अपशिष्ट उत्पादन को इंगित करती है:

अनुक्रमांक	भू-उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति
1	आवासीय कचरा	0.3 जव 0.6 किग्रा / व्यक्ति / दिन
2	वाणिज्यिक कचरा	0.1 जव 0.2 किग्रा / व्यक्ति/ दिन
3	सड़क की सफाई	0.05 जव 0.2 किग्रा / व्यक्ति/ दिन
4	संस्थागत कचरा	0.05 जव 0.2 किग्रा / व्यक्ति / दिन

तालिका 35 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड

### 3.8.4 विद्युत

विद्युत मनुष्यों की बुनियादी जरूरतों में से एक है। शहरी क्षेत्रों में विकास के साथ विद्युत की मांग में भी वृद्धि देखी जाती है।

विद्युत का स्रोत	दूरी (किमी.)	कुल बिजली की मांग (किलोवाट)	कुल बिजली आपूर्ति (किलोवाट)	कुल खपत (किलोवाट)
220KV	8 km	165000	165000	165000

तालिका 36 बस्ती में बिजली की आपूर्ति

### स्रोत : विद्युत विभाग, बस्ती

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कुल बिजली की मांग कुल बिजली आपूर्ति के बराबर है जो प्रति व्यक्ति प्रति दिन 1.43 किलोवाट है।

शहर में विद्युत संयोजनों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी गयी है।

प्रकार	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	रोड लाइट व्यवस्था	अन्य	कुल
कनेक्शनों की संख्या	25322	55254	266	2300	1027	
बिजली की खपत	128 MW	10 MW	20 MW		7 MW	165MW

तालिका 37 बस्ती शहर में बिजली कनेक्शनों की संख्या

### स्रोत : विद्युत विभाग, बस्ती

## 4 पर्यटन

- **संत रविदास वन विहार** (राष्ट्रीय वन जागरूकता केंद्र) कुवानो नदी के तट पर स्थित है। यह जिला मुख्यालय से सिर्फ तीन किलोमीटर दूर गणेशपुर रोड पर स्थित है। इस साइट में एक आकर्षक बच्चों का बगीचा और एक झील है, जिसे सरकार द्वारा एक पिकनिक स्थल के रूप में स्थापित किया गया है। इस स्थान की सुंदरता वन विहार के साथ बहने वाली कुवानो नदी द्वारा और भी बढ़ जाती है। पर्यटक संत रविदास वन विहार में झील पर नौकायन का आनंद ले सकते हैं, और छुट्टियों और रविवार को यहां अधिक भीड़ होती है।
- **रामरेखा मंदिर (अमोढ़ा)** जिला मुख्यालय से 41 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कभी राजा जालिम सिंह का राज्य था और उनके महल पर आज भी अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल की गई गोलियों के निशान मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, प्रसिद्ध रामरेखा मंदिर, जो भगवान राम और माता सीता को समर्पित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, यहां पाया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम जनकपुर से अयोध्या की यात्रा के दौरान इस स्थान पर आये थे। यह मंदिर प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का पहला प्रमुख पड़ाव है।
- **भद्रेश्वर नाथ** जिला मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर, कुवाँव नदी के तट पर स्थित, भद्रेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किंवदंती है कि इस मंदिर की स्थापना लंकापति रावण ने की थी। प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि और श्रावण माह के दौरान यहां मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
- **बाबा जागेश्वरनाथ मंदिर (तिलकपुर)** जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के पास तिलकपुर गांव पर स्थित, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर अत्यंत भव्य है। लोकप्रिय। इसमें एक स्वयंभू शिवलिंग है, और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से बधनी नामक क्षेत्र में स्थित था, जो प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ का पौराणिक आश्रम था।
- **बाबा मोक्षेश्वर नाथ मंदिर** जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर लालगंज थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर ग्राम सभा में स्थित इस शिव मंदिर का एक समृद्ध इतिहास है। माना जाता है कि इसकी स्थापना भगवान राम के काल में प्रसिद्ध ऋषि महर्षि उदायलक ने की थी। इस क्षेत्र में तीन नदियों (मनावर, कुवनो और सरस्वती) का संगम, ऋषि की तपस्या के साथ, मार्च या अप्रैल में पांच दिवसीय मेले के वार्षिक उत्सव की ओर जाता है। यह मेला अपने देशी केले के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हर साल लाखों रुपये का व्यापार होता है।
- **मखौड़ा धाम (मख भूमि)** प्राचीन मनोरमा नदी के तट पर जिला मुख्यालय से लगभग 57 किलोमीटर पश्चिम स्थित, मखौड़ा धाम प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। रामायण. ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां कौशल राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। मखौड़ा उस काल में कौशल महाजनपद का हिस्सा था। मखौड़ा धाम प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ स्थल है।
- **श्रृंगीनारी ऋषि श्रृंगी** का आश्रम और निवास स्थान अयोध्या धाम से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्थल में माता सीता और श्री हनुमान को समर्पित एक प्रतिष्ठित मंदिर शामिल है, जहां हर साल एक महत्वपूर्ण मेला आयोजित किया जाता है, खासकर ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार को।
- **बराह छतर बराह**, पश्चिम कुवानो नदी के तट पर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर, स्थित है, जो मुख्य रूप से बराह मंदिर के लिए जाना जाता है। बराह छत्रों को वियाग्रापु कहा जाता है भगवान शिव के साथ. किंवदंतियों के अनुसार निकटता में बराह कुंड भगवान विष्णु के बराह अवतार का भी प्रतीक है।
- **चंदो ताल** जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित चंदो ताल को प्राचीन काल में चंद्र नगर के नाम से जाना जाता था। समय के साथ, यह प्राकृतिक रूप से एक झील में तब्दील हो गया, जिसे चंदो ताल के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि पांच किलोमीटर लंबी और चार

किलोमीटर चौड़ी इस झील के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल से धातु की कलाकृतियां मिलती रही हैं।

- **श्री कृपाल मंदिर (हनुमान गढ़ी)** बस्ती जिले में प्रसिद्ध श्री कृपाल मंदिर ट्रस्ट, जिसे हनुमान गढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी द्वारा किया गया था। बस्ती जिले के स्वर्गीय श्री राम कृपाल कसौधन जी ने आषाढ़ शुक्ल 2 विक्रमी संवत् 2022, जो कि 30 जून सन् 1965 ई. के अनुरूप है। मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री हनुमान जी, श्री शिव पार्वती जी, माता दुर्गा जी, माता सरस्वती जी, श्री कृष्ण जी, श्री अर्जुन जी, श्री तिरूपति बालाजी और श्री वावन महाराज जी जैसे देवता हैं। श्री कृपाल मंदिर हर साल महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार मनाता है, जिसमें एक भव्य शिव बारात, शिव विवाह समारोह और एक भव्य भंडारा होता है, जहां सभी धर्मों के भक्त भगवान के पवित्र प्रसाद में भाग लेते हैं। मंदिर में श्री राम जन्म उत्सव, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, श्री बावन द्वादशी, श्री अन्नकूट उत्सव और तीज भी मनाया जाता है। झूलन उत्सव विशेष रूप से सावन उत्सव और महीने के दौरान मनाया जाता है।
- **महादेव मंदिर** बस्ती जिले से 20 किलोमीटर पश्चिम में कुवानो नदी के तट पर स्थित, एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे भगवान महादेव को समर्पित एक मंदिर है। हर साल, शिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो भगवान महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस मंदिर का एक प्राचीन इतिहास है, और किंवदंती है कि यह एक निश्चित अवधि के लिए देवरहा बाबा के पूजा स्थल के रूप में कार्य करता था।
- **भारत-इजराइल फल उत्कृष्टता केंद्र** गोटवा के पास बंजरिया गांव में, भारत-इजराइल कृषि परियोजना के हिस्से के रूप में एक फल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। यह केंद्र किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह फलों और सब्जियों के स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराता है, जिससे किसान अतिरिक्त मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र की हाई-टेक नर्सरी सालाना दस लाख पौधे तैयार कर सकती है।
- **तापसी धाम हरैया** के कसैला गांव में स्थित, तपसी धाम, तपसी बाबा से जुड़ा पवित्र स्थल है, जहां उन्होंने अंतिम बलिदान दिया था। तापसी बाबा को उनकी तपस्वी जीवनशैली के लिए याद किया जाता है और माना जाता है कि उनके पास दैवीय शक्तियां थीं। उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों की स्थापना में भी भूमिका निभाई।
- **गायत्री मंदिर** गायत्री मंदिर का निर्माण 1977 में श्रीराम शर्मा आचार्य के मार्गदर्शन में पूरा हुआ था। मंदिर की प्रतिष्ठा 29 अप्रैल 1981 को हुई थी। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बस्ती जिले में गायत्री मंदिर के निर्माण और उसके सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी राजपुर गांव के श्री रामचन्द्र शुक्ल जी को सौंपी थी। यह मंदिर मां गायत्री की पूजा पर जोर देते हुए लोगों को यज्ञ का महत्व बताता है।
- **अमहट घाट** शहर के बाहरी इलाके में कुवानो नदी के तट स्थित है। कुवानो नदी पुल के पास एक शिव मंदिर स्थित है, जहां स्थानीय लोग पूजा के लिए आते हैं। सुबह के समय, लोग सैर, व्यायाम और विश्राम के लिए आते हैं।
- **वशिष्ठ मंदिर (बढ़नी)** बढ़नी मिश्र गांव में स्थित हैं, ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ मुनि का पौराणिक आश्रम स्थित था। यह स्थल अयोध्या गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोटवा से मात्र 02 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न को शिक्षा दी थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में बसे वशिष्ठ गोत्र के सभी ब्राह्मण वंशज यहीं से निकले हैं। भगवान शिव के मंदिर के अलावा, इसी क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ मुनि को समर्पित एक मंदिर भी है।
- **कादर शिव मंदिर** बस्ती चीनी मिल के निकट स्थित यह शिव मंदिर, क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है।
- **झुंगीनाथ मंदिर (पंडुलघाट)** कप्तानगंज-पंडुलघाट रोड पर जिला मुख्यालय से 23 किमी दूर स्थित, झुंगीनाथ मंदिर पूरे बस्ती जिले में आस्था का एक केंद्रीय स्थान रखता है। किंवदंतियों के

अनुसार, पांडवों ने अपने निर्वासन का एक बड़ा समय इस क्षेत्र में बिताया था और पूजा के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यहीं पर संत रविदास का मंदिर भी स्थित है।

- **हनुमान बाग चकोही** रामायण के युग के दौरान, पर यह स्थान, अयोध्या साम्राज्य के उत्तरी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था, जहां हनुमान जी प्रहरी के रूप में खड़े थे। हर साल देश और दुनिया भर से साधु-संत इस पवित्र स्थान पर आते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। यह मंदिर प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा का दूसरा प्रमुख पड़ाव है।
- **बैदवा समय माता मंदिर** जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर डुमरियागंज रोड पर स्थित बैदवा समय माता मंदिर गहरी आस्था और विश्वास का स्थान है। मंगलवार को सैकड़ों भक्त आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में आते हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इसका इतिहास 150 साल से अधिक पुराना है। मंदिर परिसर के भीतर, भगवान शिव और भगवान हनुमान को समर्पित एक मंदिर भी है।
- **हनुमान मंदिर हरदिया** हनुमान नगर में छम् 233 लुंबिनी-दुद्धी रोड पर स्थित, यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। हनुमान जयंती पर विशाल मेला लगता है।
- **अमर शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम** यह स्टेडियम बस्ती कलेक्टरेट के निकट स्थित है। इसका उद्घाटन 26 जुलाई 1978 को माननीय खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी श्री हरिमूर्ति सिंह की उपस्थिति में किया गया था। विभिन्न खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए जाना जाने वाला यह स्टेडियम वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी जैसे कई खेलों के साथ-साथ बैडमिंटन जैसे इनडोर खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को आकर्षित करता है। पिछले कुछ वर्षों में, कई खेल प्रेमियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, खिताब जीते हैं और गर्व से राष्ट्रीय खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया है।

## 5 पर्यावरण रूपरेखा

शहर की महायोजना न केवल अपने नागरिक की आवश्यकता की गणना करता है, बल्कि पर्यावरणीय खतरों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है। पर्यावरण में जलवायु परिस्थितियां भी शामिल हैं जिन्हें महायोजना के प्रस्तावों से सुधार किया जा सकता है।

शहर को टिकाऊ बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को पर्यावरण और ऊर्जा लक्ष्यों के साथ लागू किया जाना चाहिए और इस प्रकार शहरी परिवर्तनों के स्थायित्व को आश्वस्त करना चाहिए। ये शहर प्राकृतिक संसाधनों का एक कुशल उपयोग, पारिस्थितिक छापों की कमी और उनकी आबादी के लिए रहने की स्थिति की पर्याप्त गुणवत्ता प्राप्त करते हैं। सतत शहरी विकास पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की मांग पर आधारित है।

शहरों और अन्य निर्मित क्षेत्रों का नेटवर्क बहुत घना है और पर्यावरण पर दबाव तेजी से आत्म-सफाई क्षमताओं से अधिक है। शहरी आबादी का घनत्व और शहरी क्षेत्रों का आकार जितना अधिक होगा, पर्यावरण में विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रतिक्रिया प्रभाव और बहुपरत परिणाम उतने ही अधिक होंगे। सबसे अधिक संबंधित हवा, शोर और यातायात के बोझ की गुणवत्ता है।

शहरी विकास को पारिस्थितिक तंत्र की क्षमताओं के अनुकूल होना चाहिए। सतत विकास को आश्वस्त करने के लिए, सुरक्षा रणनीति को संसाधनों के प्रबंधन में शहरी प्रणाली की दक्षता और संसाधनों के समान पहुंच के आश्वासन से जोड़ा जाना चाहिए।

उत्तर-प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके पास भूमि के बड़े हिस्से हैं और पानी की भारी मात्रा वाली कई नदियों के साथ पार किया जाता है। ये संसाधन किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए भारी आर्थिक लाभ और उपयोगी हैं।

### 5.1 जल निकाय

#### 5.1.1 घाघरा, कुवानो और राप्ती नदी

मानसरोवर के पास की यह नदी नेपाल में हिमालय से होकर भारत के ब्रह्मघाट में सरदा नदी के साथ अभिसरण के रास्ते पर कटती है जहाँ यह घगरा नदी बनाती है। घाघरा नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। भारत में, घाघरा जलग्रहण क्षेत्र के प्रशासनिक जिलों में अंबेडकरनगर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, बाराबंकी, बलिया, बहराइच, गोंडा, अयोध्या और गोरखपुर जिले जैसे स्थान शामिल हैं। प्रमुख सहायक नदियाँ— कुवानो, राप्ती और लिटिल गंडक नदियाँ— सभी पहाड़ों से उत्तर की ओर घाघरा में बहती हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर, इसने उत्तरी उत्तर प्रदेश के विशाल जलोढ़ मैदान को बनाने में मदद की है। कुवानो नदी बस्ती शहर के पश्चिमी किनारे पर बहती है।

#### 5.1.2 प्रदूषण स्तर

पर्यावरणीय मुद्दे अनियोजित बस्तियां, अपशिष्ट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, तथा जल और भूमि संसाधनों एवं वायु गुणवत्ता का क्षरण और प्रदूषण हैं। शहरी क्षेत्रों में वाहनों की वृद्धि और सड़कों का प्रावधान कार्बन मोनोआक्साइड (सी.ओ.) प्रदूषण का बड़ा कारक है। तेजी से शहरीकरण के कारण, भारी मात्रा में वनस्पति को कंक्रीट की इमारतों और कम एल्बेडो सतहों से बदल दिया जाता है। (सिंह और ग्रोवर, 2015) यह भारत के घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा है। (वॉंग एट अल, 2010)

शहरीकरण, अपर्याप्त उपचार क्षमता, और अनुपचारित कचरे के निस्तारण से शहरी और पेरी-शहरी क्षेत्रों में गंभीर प्रदूषण होता है। इसके अलावा, बस्ती में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और सभी अनुपचारित मलजल को नदी में बहा दिया जाता है इसलिए नदी के पानी की गुणवत्ता का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

### 5.2 ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण, हाल के दिनों में, दुनिया भर में शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले प्रमुख संकटों में से एक के रूप में भलीभांती स्वीकार किया गया है। औद्योगिकरण, शहरीकरण और अन्य संचार और परिवहन प्रणालियों में तेजी से वृद्धि के कारण, ध्वनि प्रदूषण वर्षों में एक परेशान करने वाले स्तर तक पहुंच गया है। वर्तमान में, शोर स्रोतों से दूर और मूक माध्यमिक सड़कों के पास निवास बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं और अत्यधिक महत्व प्राप्त कर रहे हैं। आम जनता शोरगुल वाले शहरी वातावरण से

दूर स्थानों पर रहना पसंद करती है। ध्वनि प्रदूषण अपने स्रोत और प्रसार विशेषताओं के कारण अन्य प्रदूषण श्रेणियों से अलग है, जो शहरी वातावरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। किसी शहर में ध्वनि प्रदूषण के स्तर की पहचान करने के लिए इसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा दिए गए मानकों से की जानी चाहिए। नीचे दी गई तालिका उन मानकों को दर्शाती है जिन पर विचार किया जाना है:

#### ध्वनि प्रदूषण मानक

क्रमांक	श्रेणी का नाम	दिन के समय (डीबी)	रात के समय (डीबी)
1	औद्योगिक क्षेत्र	75	70
2	व्यवसायिक क्षेत्र	65	55
3	आवसीय क्षेत्र	55	45
4	शांति क्षेत्र	50	40

तालिका 38 ध्वनि प्रदूषण मानक

स्रोत : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB).

\* दिन का समय सुबह 6 बजे से होगा। रात 10.00 बजे तक।

\* रात का समय 10.00 से सुबह 6.00 बजे तक होगा।

\* साइलेंस जोन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के आसपास 100 मीटर से कम नहीं है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया है।

\* सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त चार श्रेणियों में से एक के रूप में क्षेत्रों की मिश्रित श्रेणियों को घोषित किया जा सकता है।

क्षेत्र	ध्वनि प्रदूषण का स्तर (डीबी)			
	आवासीय	व्यावसायिक	संस्थागत	औद्योगिक
आवास विकास कॉलोनी	62.0	-	-	-
कंपनी बाग	-	73.0	-	-
सिविल लाइन	-	-	-	57.0
प्लास्टिक संकल	-	-	76	-

तालिका 39 मौजूदा ध्वनि प्रदूषण स्तर

स्रोत : प्रदूषण विभाग बस्ती, 2020

#### निष्कर्ष

अतः उपरोक्त आँकड़ों से यह देखा जा सकता है कि सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण बस्ती के आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्र में है। इसके पीछे संभावित कारण शहर का रैखिक विकास पैटर्न हो सकता है क्योंकि प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रवाह के कारण शोर की अधिक संभावना है।

#### 5.3 जल प्रदूषण

21वीं शताब्दी में जल गुणवत्ता मुद्दे मानवता के सामने बड़ी चुनौती बन गये हैं। पिछले तीन दशकों में पर्यावरण प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों पर वैश्विक चिंता बढ़ रही है। आज, सभी ज्ञात मानव रोगों का लगभग 25 प्रतिशत पर्यावरण से संबंधित प्रदूषण के कारण होता है। अनुपचारित अपशिष्ट पदार्थ आमतौर पर मिट्टी और भूजल गुणों को बदल देते हैं जो इसकी गुणवत्ता में गिरावट का कारण बन सकते हैं। बस्ती के जल निकायों की जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए इसकी तुलना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए मानकों से की जाती है। प्राकृतिक जल निकायों में जल प्रदूषण को विभिन्न मापदंडों के आधार पर पहचाना और परिमाणित किया जा सकता है, जैसे कि घुलित ऑक्सीजन (डीओ), जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग (बीओडी), कोलीफॉर्म जीव, पीएच आदि। जल गुणवत्ता मानदंड के अनुसार, डीओ स्तर पीने के पानी में 6 mg / L से अधिक और बीओडी का स्तर <2 mg / L

से कम होना चाहिए। इसके अलावा पानी में कोलीफॉर्म का स्तर 50 एमपीएन / 100 एमएल से अधिक नहीं होना चाहिए जो पीने के लिए सुरक्षित है। यदि किसी स्रोत की जल गुणवत्ता इन मानदंडों का पालन नहीं कर रही है, तो पानी का पूर्ण उपचार किए बिना पीने के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जा सकता है।

मानदंड	सीमा (नदी)
BOD	<3 mg/l
DO	>5 mg/l
pH	6.5-8.5
COD	<10mg/ l
TDS	<30 NTU

**तालिका 40 नदी के जल गुणवत्ता मानक**

जल गुणवत्ता डेटा प्रदूषण विभाग, बस्ती से एकत्र किया गया था।

स्थान : - अमहट घाट बस्ती के निकट कुआनो नदी

दिनांक	बीओडी स्तर	सीओडी स्तर	पीएच स्तर	टीडीएस (एनटीयू)	कठोरता	कॉलीफॉर्म स्तर
27.06.2019	3.5	27.6	7.65	280	213	-
12.09.2019	3.4	14.8	7.74	186	292	-
4.12.2019	3	18.6	8.09	172	274.8	-
16.4.2020	2.8	13.2	7.84	148	156	-

**तालिका 41 कुआनो नदी की मौजूदा जलगुणवत्ता**

**स्रोत : प्रदूषण विभाग बस्ती, 2020**

\* नोट: बस्ती में कोई वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र नहीं है इसलिए वायु प्रदूषण के आंकड़ों पर विचार नहीं किया गया है।

#### निष्कर्ष

उपरोक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि नदी की पानी की गुणवत्ता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण के बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक सीमा से अधिक है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से क्षेत्र के शहरीकरण के कारण है, इसलिए शहर के जल निकायों को क्षरण से बचाने के लिए इन जल निकायों के कायाकल्प के प्रावधान प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही, आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक जल निकायों के और क्षरण से बचने के लिए मलजल उपचार संयंत्र की आवश्यकता है।

## 6 वर्तमान भू-उपयोग एवं महायोजना-2021 का तुलनात्मक अध्ययन

### 6.1 वर्तमान भूमि उपयोग 2020

भूमि उपयोग	वर्तमान भू-उपयोग 2020	प्रतिशत (%)
आवासीय	713.83	47.37
व्यावसायिक	79.91	5.30
मिश्रित	35.53	2.36
औद्योगिक	58.65	3.89
सरकारीसंपत्ति	88.08	5.85
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	4.16	
सार्वजनिक सुविधाये	189.13	0.28
		12.55
परिवहन	142.99	9.49
मनोरंजन	194.56	12.91
कुल	<b>1506.84</b>	<b>100.00</b>

तालिका 42 मौजूदा भूमि उपयोग 2020

वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण पर कुल विकसित क्षेत्र 1506.84 हेक्टेयर है। जिसमें अधिकतम क्षेत्रफल आवासीय 713.83 हेक्टेयर है।







बस्ती महायोजना वर्ष 2021 तक के लिए बनायी गयी थी। महायोजना में 2.35 लाख जनसंख्या हेतु निर्मित क्षेत्र सहित कुल 2853.98 हे० भूमि (जी.आई.एस. आधारित क्षेत्रफल) का प्रस्ताव किया गया था। वर्ष 2020 तक निर्मित क्षेत्र सहित 1294.17 हे० भूमि का विकास हुआ जो प्रस्तावित क्षेत्रफल का 45.34 प्रतिशत है। वर्ष 2020 तक कुल वास्तविक अनुकूल विकास 677.61 हे० भूमि का हुआ जो कुल विकसित क्षेत्र का 52.36 प्रतिशत है। 616.56 हे० भूमि का विकास प्रस्तावित भू-उपयोग के प्रतिकूल हुआ है जो कुल विकसित क्षेत्र का 47.64 प्रतिशत है। बस्ती महायोजना वर्ष 2021 में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोगों में हुए अनुकूल एवं प्रतिकूल विकास को तालिका में दर्शाया गया है।

- **आवासीय:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 1361.07 हे० भूमि का प्रस्ताव आवासीय प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 339.52 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 291.01 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास जिसमें मिश्रित उपयोग अधिक हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 334.8 हे० आवासीय क्षेत्र का विकास हुआ है।
- **वाणिज्यिक:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 156.84 हे० भूमि का प्रस्ताव वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 19.85 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 36.28 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 72.42 हे० वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास हुआ है।
- **औद्योगिक:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 155.81 हे० भूमि का प्रस्ताव औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 39.8 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 33.48 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 33.86 हे० औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है।
- **सरकारी भूमि:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 170.67 हे० भूमि का प्रस्ताव सरकारी भूमि प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 55.62 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 43.28 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 58.62 हे० का विकास हुआ है।
- **सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 136.49 हे० भूमि का प्रस्ताव सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 32.95 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 33.64 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 80.11 हे० का विकास हुआ है।
- **सार्वजनिक उपयोगिताएँ:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 19.25 हे० भूमि का प्रस्ताव सार्वजनिक उपयोगिताएँ प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 1.7 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 1.71 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 3.61 हे० का विकास हुआ है।
- **परिवहन:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 331.21 हे० भूमि का प्रस्ताव परिवहन प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 102.65 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 83.22 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 140.9 हे० का विकास हुआ है।
- **मनोरंजनात्मक:** महायोजना 2021 के प्रस्ताव में 434.16 हे० भूमि का प्रस्ताव मनोरंजनात्मक प्रयोजन हेतु किया गया था जिसमें 39.26 हे० भूमि पर अनुकूल विकास तथा 76.12 हे० भूमि पर प्रतिकूल विकास हुआ है। अन्य प्रस्तावित भू-उपयोगों में 91.84 हे० का विकास हुआ है।

### निष्कर्ष

तालिका से ज्ञात होता है कि महायोजना 2021 में कुल प्रस्तावित 2853.98 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 1294.17 हेक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है। 23.74 प्रतिशत विकास प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुसार हुआ है जबकि 21.64 प्रतिशत विकास भू-उपयोग के विरुद्ध हुआ है। शेष भूमि का क्षेत्र अविकसित या रिक्त भूमि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। महायोजना के बाहर 215.47 हेक्टेयर भूमि पर विकास हुआ है, जिसमें से 21.15 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग, 7.49 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग एवं 1.67 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत आती है।

## 7 नियोजन की समस्यायें

---



### शक्ति

- पर्याप्त सामाजिक अवसंरचना।
- अच्छी कनेक्टिविटी और परिवहन।
- रैखिक विकास।
- शहर के मुख्य श्रमिक 75% हैं।
- साक्षरता दर 83% है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री खेती।
- महिला कार्यबल भागीदारी में वृद्धि।



### दुर्बलता

- मनोरंजन क्षेत्रों का अभाव।
- मार्ग प्रकाश आच्छादन खराब।
- रोजगार के अवसरों की कमी।
- यातायात जाम।
- पार्किंग स्थलों का अभाव।
- अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट संग्रह।
- सार्वजनिक परिवहन अपर्याप्त।



### अवसर

- जीवन स्तर में सुधार।
- रोजगार सृजन।
- व्यापार और वाणिज्य।
- महिला सशक्तिकरण।
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं।



### जोखिम

- पड़ोस के अपराधों में वृद्धि।
- दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि।
- यात्रा के समय में वृद्धि।
- असमान या बेतरतीब पार्किंग की वृद्धि।
- अनहेल्दी परिस्थितियों में वृद्धि।

## 8 महायोजना की अवधारणा एवं उद्देश्य

### 8.1 दृष्टि

**"नागरिक के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए संतुलित विकास को बढ़ावा देना" ।**

जीवन की गुणवत्ता पूरी आबादी के सापेक्ष कल्याण के एक सामाजिक वैज्ञानिक सूचकांक से व्यक्तिगत व्यक्तिपरक के एक औसत दर्जे का पहलू होने के नाते विकसित हुई है जो सतत विकास, या वैकल्पिक रूप से, स्थायी जीवन शैली, मनुष्य और प्रकृति के बीच मानवता और सद्भाव के आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास है । यह एक जीवन शैली है जो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों और अन्य लोगों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की तलाश करती है और सतत विकास का मुख्य उद्देश्य अन्य जीवित प्राणियों के संबंध में लंबे समय तक क्षितिज में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। लेकिन सतत विकास को आमतौर पर समझने योग्य, औसत दर्जे का और प्रबंधनीय बनाने के लिए, हमें संकेतकों के सेट की आवश्यकता है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) की सिफारिश के अनुसार, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने 1995-96 में संकेतकों का सेट (सतत विकास के संकेतक) तैयार किया था, जिसमें चार मुख्य क्षेत्रों में विभाजित 134 संकेतक शामिल हैं – सामाजिक (41), आर्थिक (23), पर्यावरण (55) और संस्थागत (15)। 1997-99 में इन संकेतकों का परीक्षण 22 देशों में किया गया था। 2000 में 57 संकेतकों का संशोधित सेट प्रस्तावित किया गया था, जो कि सतत विकास की दिशा में व्यक्तिगत देशों की प्रगति को मापने के लिए साधन के रूप में काम करना चाहिए। यह पूरी तरह से सही है जिसमें अगली पीढ़ी की जिम्मेदारी भी शामिल है। साहित्य में जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता के बीच संबंध इस क्षेत्र में समान अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता, जीवन जीने की क्षमता, जीवन की गुणवत्ता और स्थिरता जैसे शब्दों के निरंतर आदान-प्रदान से स्पष्ट होता है ।

### 8.2 उद्देश्य

- मास्टर प्लान में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को शामिल करना ।
- यातायात की आवाजाही में आसानी के लिए संचालित नेटवर्क का सुझाव देना ।
- संशोधित मास्टर प्लान में आगामी परियोजनाओं और चल रहे परियोजनाओं के प्रस्तावों को शामिल करना ।
- आम तौर पर आपदा संभावित क्षेत्र और सार्वजनिक सुरक्षा के नकारात्मक प्रभाव के लिए रणनीति की पहचान करें ।
- प्राकृतिक व्यवस्था का संरक्षण ।
- नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए व्यवस्थित नियोजित विकास के प्रस्ताव ।
- विकास क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना ।
- बाजारों, मंडियों, शैक्षिक गतिविधियों जैसी गतिविधियों का विकेंद्रीकरण करना ।
- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि सुनिश्चित करना ।
- विकास और वित्त के चरणबद्धता का प्रस्ताव ।

## 9 आंकड़ों का विश्लेषण एवं प्रक्षेपण

### 9.1 जनसंख्या प्रक्षेपण

बस्ती का जनसंख्या प्रक्षेपण							
	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2021	विकास दर 2021(%)	जनसंख्या 2031	विकास दर 2031(%)
नगर सीमा	87371	107601	114657	149000	29.95%	193000	29.53%
नगर पालिका में शामिल करने के लिए प्रस्तावित 69 गांव	38785	52039	67113	88500	31.87%	116000	31.07%
शहरीकरण योग्य गांव	19311	24369	28235	36500	29.27%	47500	30.14%
राजमार्ग के साथ	24207	30602	35560	46000	29.36%	60000	30.43%
ग्रामीण	39697	49030	55718	72000	29.22%	93500	29.86%
कुल	<b>209371</b>	<b>263641</b>	<b>301283</b>	<b>392000</b>	<b>30.11%</b>	<b>510000</b>	<b>30.10%</b>

#### तालिका 44 जनसंख्या प्रक्षेपण

जनसंख्या प्रक्षेपण की गणना श्रेणी के अनुसार की जाती है ताकि इसकी आसानी से व्याख्या की जा सके। प्रस्तावित महायोजना 2031 के लिए 69 गांवों को प्रस्तावित बस्ती नगर पालिका परिषद के तहत शामिल किया गया है और इसकी जनसंख्या प्रोजेक्शन की गणना अलग से की जाती है। इसी तरह, शहरीकरण योग्य गांवों एवं राजमार्ग के किनारे बसे गांवों का जनसंख्या प्रक्षेपण किया जाता है, जिसे उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है।

#### 9.2 प्रस्तावित गांवों का परिचय

सोनूपार, बेलवादार, देवपार खास नाम के इस तीन गांवों को जोड़ना आवश्यक है, जो बस्ती विकास प्राधिकरण में शामिल नहीं किए गए हैं, लेकिन बस्ती विकास प्राधिकरण सीमा के बीच उनके स्थान की पहचान की जाती है, इसलिए मौजूदा बी.डी.ए. सीमा क्षेत्र में इस तीन गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है। बस्ती पुनरीक्षित महायोजना -2031 में इन तीन गांव को सामील कर लिया गया है पर इन पर प्रस्तावित भू-उपयोग तभी लागू होंगे जब ये शासन स्तर से विकास प्राधिकरण में सम्मिलित कर लिए जाएंगे।

#### 9.3 जनसंख्या घनत्व


जैसा कि 2031 में अपेक्षित है, बस्ती विकास क्षेत्र की कुल अनुमानित जनसंख्या 510000 के आसपास है और बस्ती शहर की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है,

#### 9.4 प्रवास

2011 की जनगणना के अनुसार बस्ती में प्रवासियों की कुल संख्या 43444 है, जिसमें 36.8% (15632) पुरुष हैं और 64% (27812) महिलाएं हैं।


शहर का नाम	2001			2011		
	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला
बस्ती	24602	8290	16312	43444	15632	27812

#### तालिका 45 बस्ती में अप्रवासी



**ग्राफ 28 महिला बनाम पुरुष आप्रवास**


उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि महिला प्रवासियों की संख्या 2001 में 64% से बढ़कर 2011 में 66% हो गई है, जबकि पुरुष प्रवासियों की संख्या 2011 में 35.9% से घटकर 33.7% हो गई है। इसके पीछे के कारण को न्यायोचित ठहराने के लिए कारणों का विश्लेषण नीचे दिखाया गया है –



**ग्राफ 29 अप्रवासन**

शहर का नाम	आप्रवासन के कारण						
	कामगार / रोजगार	व्यवसाय	शिक्षा	विवाह	जन्म के बाद आगमन	घर के साथ आगमन	अन्य
बस्ती	4845	515	1319	18270	1678	8907	7910

**तालिका 46 आप्रवासन के कारण**



ग्राफ 30 आप्रवासन के कारण

इसलिए, ऊपर के आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि विवाह की वजह से बड़ी संख्या में महिलाएं बस्ती में आईं (42%) और 11% लोग रोजगार के कारण चले गए हैं जबकि केवल 1% लोग व्यापार के लिए आये। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि बस्ती में आर्थिक अवसरों की कमी है और इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

#### 9.5 आवास प्रक्षेपण

बस्ती नगर में भविष्य में जनसंख्या पूर्वानुमान के आधार पर, योजना अवधि के वर्ष 2031 में कुल जनसंख्या 510000 होगी, जिसके लिए प्रति परिवार पांच व्यक्तियों के मानक के आधार पर 102000 आवास इकाइयों की आवश्यकता होगी। इसके लिए, विभिन्न आय समूहों के अनुसार आवासीय उपयोग और सहायक उपयोग के लिए लगभग 678.3 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, वर्ष 2031 तक, बस्ती नगर के महायोजना के तहत कुल 678.3 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसके संबंध में भूमि प्रस्तावित की गई है।

आवास की मांग					
	जनसंख्या	परिवार	मकान	चित्रित	मांग
शहरी 2011	114657	22931	17894	1789	6826
ग्रामीण 2011	69779	12687	11041	1104	2750
कुल	184436	35618	28935	2894	9577
शहरी 2021	318000	27939	20250		7689
ग्रामीण 2021	72000	13091	11006		2085
कुल	390000	41030	31256		9774
					0
शहरी 2031	416500	83300	20250		63050
ग्रामीण 2031	93500	17000	11006		5994
कुल	510000	102000	31256		69044
मांग					69044
आय वर्ग	प्रतिशत	आवास की मांग	प्रति घर (वर्गमीटर)	क्षेत्र	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग	30	30600	50		153
अल्प आय समूह	30	30600	100		306
मध्यम आय समूह	30	30600	200		612
उच्च आय समूह	10	10200	300		153
कुल	100	102000			1224

तालिका 47 आवास की मांग

9.6 औद्योगिक मांग

बस्ती महायोजना 2031		
औद्योगिक मांग ( यूआरडीपीएफ दिशा निर्देशों के अनुसार)		
कुल प्रक्षेपित जनसंख्या 2031 (अर्बन)		356500
कार्यबल भागीदारी	कुल जनसंख्या का 33%	117645
कुल कार्यबल में औद्योगिक श्रमकाकों प्रतिशत	25 %	29411
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र	100 व्यक्ति / हेक्टेयर	294.11 हेक्टेयर

स्रोत: यू.आर.डी.पी.एफ.आई दिशानिर्देश 2014

9.7 जल आपूर्ति के लिए मानदंड

URDPFI दिशानिर्देश और CPHEEO मैनुअल 1999 के अनुसार शहर के लिए आवश्यक जल आपूर्ति की अधिकतम मात्रा नीचे दर्शायी गई है।

क्रमांक	नगर / नगरों का वर्गीकरण	अधिकतम जल आपूर्ति स्तर
1	जिन कस्बों में पाइप से पानी की आपूर्ति की गई लेकिन सीवरेज सिस्टम के बिना	70
2	जिन शहरों में पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्था है, जहां सीवरेज सिस्टम मौजूद / विचारित है	135
3	मेट्रो नगर तथा महानगर जहां पाइप से जलापूर्ति की व्यवस्थाएं हैं और जहां सीवरेज प्रणाली मौजूद/विचारणिय है।	150

तालिका 48 जल आपूर्ति प्रक्षेपणों के लिए मानदंड

स्रोत : यूआरडीपीएफआई2014

वर्ष 2031 के लिए पानी की आपूर्ति प्रोजेक्शन URDPFI दिशानिर्देशों 2014 के लिए मानदंडों के आधार पर किया जाता है। जहां शहरी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की मांग 135 एलपीसीडी मानी जाती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी मानी गई है।

नगर क्षेत्र

2031 में बस्ती में 46 शहरीकरण योग्य गाँवों सहित अपेक्षित जल की आपूर्ति नीचे दर्शायी गयी है।

क्रमांक	प्रक्षेपण जल आपूर्ति	2021	2031	इकाई
1	जल आपूर्ति की मात्रा	38.3	49.8	MLD
2	उन्नत सेवा जलाशय	6	8	L/ D
3	भूमिगत संप	12	16	L/ D

तालिका 49 बस्ती शहरी क्षेत्र की जल आपूर्ति के लिए प्रक्षेपण

स्रोत : उत्तर प्रदेश के भवन उपविधि

ग्रामीण क्षेत्र

योजना सीमा के भीतर बस्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 2031 में अपेक्षित पानी की आपूर्ति नीचे दिखाई गई है

क्रमांक	अनुमानित जल आपूर्ति	2021	2031	इकाई
1	जल आपूर्ति की मात्रा	6.4	8.4	MLD
2	उन्नत सेवा जलाशय	1	1.4	L/ D
3	भूमिगत संप	2.1	2.8	L/ D

## तालिका 50 बस्ती ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति के लिए प्रक्षेपण

### स्रोत : उत्तर प्रदेश के भवन उपविधि

उपरोक्त अध्ययन और विश्लेषण के आलोक में साथ ही साथ अगले 10 वर्षों की मांग को पूरा करने के लिए संपूर्ण जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति परियोजना का विस्तार करना नितांत आवश्यक है। 80 और 60 एलपीसीडी पानी की मांग के आधार पर और जिसे अब (135 + 15% नुकसान) एलपीसीडी पानी की मांग पर संशोधित किया गया है।

मौजूदा सिस्टम पाइप के विभिन्न व्यासों के साथ वितरण नेटवर्क के 60% से 70% कवरेज के साथ कवर किया गया है। डिजाइन वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

विचाराधीन जल आपूर्ति परियोजना के संवर्धन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

- यथार्थवादी जनसंख्या अनुमान और प्रति व्यक्ति जलापूर्ति आवश्यकता की गणना करने की मांग।
- मांग के वास्तविक इनपुट के साथ-साथ मौजूदा पाइपों और सहायक कार्यों आदि के जीवन के साथ नेटवर्क वितरण का ओवरहॉलिंग।

1. ओ एवं एम लागत को कम करने के लिए।

2. भूजल की गुणवत्ता में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए।

प्रस्तावित योजना कुवानो नदी के सतही स्रोत पर आधारित है। भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पूरे बस्ती शहर और आसपास के गांवों के लिए 58.2 एमएलडी जलापूर्ति के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है। मूर घाट से सटे जल शीर्ष कार्यों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का कुल 0.4 हेक्टेयर। पीने के पानी के प्रदूषण के मुद्दे को कम करने के लिए सीवरेज लाइनों के विपरीत पाइप डालने के प्रावधान के साथ सभी प्रमुख सड़कों, मुख्य सड़कों और शाखा सड़कों पर जलापूर्ति लाइनें प्रस्तावित की गईं।

भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए शहर के नए विकास में वर्षा जल संचयन प्रणाली को अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है।

### 9.8 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

"नगरपालिका ठोस अपशिष्ट" (एमएसडब्ल्यू) एक शब्द है जो आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में उत्पादित कचरे के एक विषम संग्रह पर लागू होता है, जिसकी प्रकृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। किसी क्षेत्र में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की विशेषता और मात्रा न केवल क्षेत्र के निवासियों की जीवित मानक और जीवनशैली का एक कार्य है, बल्कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के बहुतायत और प्रकार का भी है। बस्ती विकास क्षेत्र में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना 2016 है, योजना के मुताबिक ठोस अपशिष्ट शहर के सभी पच्चीस वार्डों से एकत्र किया जाता है। हालांकि, डेटा विश्लेषण से पाया गया था कि दरवाजा ठोस अपशिष्ट संग्रह के दरवाजे की कमी के साथ-साथ स्रोत पर शुष्क और गीले अपशिष्ट का कोई अलगाव नहीं है। बस्ती का नागरिक ठोस कचरे को डंप करने के लिए एक आम साजिश का उपयोग करता है जहां से यह निपटान के लिए एकत्रित होता है।

वर्तमान में जेनरेट की गई ठोस अपशिष्ट प्रति दिन 47 टन है और वर्ष 2031 तक बस्ती शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट की अपेक्षित पीढ़ी प्रति दिन 153 टन है। इसलिए, मौजूदा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में परिवर्तन की आवश्यकता होती है और इसमें के दरवाजे-दरवाजे के ठोस अपशिष्ट संग्रह भी शामिल होना चाहिए।

#### 9.8.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड

नगर ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) कूड़ा या कचरा है जिसे मानव बस्ती में दिन-प्रतिदिन त्याग दिया जाता है। एमएसडब्ल्यू रूल्स 2000 के अनुसार एमएसडब्ल्यू में औद्योगिक खतरनाक कचरे को छोड़कर या तो ठोस या अर्ध-ठोस रूप में एक नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्रों में उपचारित जैव मेडिकल कचरे सहित उत्पन्न वाणिज्यिक और आवासीय अपशिष्ट शामिल हैं। अपशिष्ट उत्पादन उन गतिविधियों को शामिल करता है जिसमें सामग्रियों को अब मूल्य के रूप में नहीं पहचाना जाता है (वर्तमान रूप में) और या तो फेंक दिया जाता है या निपटान के लिए एक साथ इकट्ठा किया जाता है। निम्न तालिका नियोजन उद्देश्यों के लिए भविष्य के लिए अपशिष्ट उत्पादन के अनुमान और पूर्वानुमान के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन अपशिष्ट के हिसाब से दर्शाती है—

अनुक्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पादन
1	आवासीय कचरा	0.3 जव 0.6 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
2	वाणिज्यिक कचरा	0.1 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
3	सड़क की सफाई	0.05 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन
4	संस्थागत कचरा	0.05 जव 0.2 कि. ग्रा. / क्षमता / प्रति दिन

तालिका 51 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मानदंड

### 9.8.2 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान

दी गई तालिका अनुमानित जनसंख्या के अनुसार ठोस अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा को दर्शाती है।

अनुक्रमांक	भू-उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति		
		2021	2031	इकाई
1	आवासीय	162084	221631	किलो / दिन
2	व्यावसायिक	54028	73877	किलो / दिन
3	सड़क सफाई	54028	73877	किलो / दिन
4	संस्थागत	54028	73877	किलो / दिन
	कुल	324168	443262	किलो / दिन

तालिका 52 शहरी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2031 में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा प्रति दिन 443262 किलोग्राम होगी, इसलिए ठोस अपशिष्ट संग्रह के प्रावधान तदनुसार किए जाने चाहिए। वर्तमान में ठोस अपशिष्ट को वार्ड-वार एकत्र किया जाता है और प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि ठोस अपशिष्ट संग्रह कवरेज पर्याप्त है।

### 9.8.3 ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमानित ठोस अपशिष्ट उत्पत्ति

क्रमांक	भूमि उपयोग प्रकार	अनुमानित अपशिष्ट उत्पत्ति		
		2021	2031	इकाई
1	आवासीय	55580	72809	किलो / दिन
2	व्यावसायिक	18527	24270	किलो / दिन
3	सड़क सफाई	18527	24270	किलो / दिन
4	संस्थागत	18527	24270	किलो / दिन
	कुल	111161	145619	किलो / दिन

तालिका 53 ग्रामीण क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रक्षेपण

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2031 में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा 145619 किलोग्राम प्रति दिन होगी। अतः ठोस कचरा संग्रहण के प्रावधान तदनुसार किए जाने चाहिए।

स्थान : अमहत माफी गाँव का 0.5 हेक्टेयर के क्षेत्र का प्रावधान पूरे बस्ती टाउन क्षेत्र के ठोस कचरे के वैज्ञानिक निपटान प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित है।

### प्रस्तावित एसडब्ल्यूएम प्रणाली की प्रक्रिया

- **अपशिष्ट उत्पादन:** उन सामग्रियों की पहचान करना जो अब उपयोग में नहीं हैं और या तो व्यवस्थित निपटान के लिए एकत्र की जाती हैं या फेंक दी जाती हैं।
- **ऑनसाइट हैंडलिंग, भंडारण और प्रसंस्करण:** ये आसान संग्रह की सुविधा प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए – कचरे के डिब्बे उन जगहों पर रखे जाते हैं जो पर्याप्त कचरा उत्पन्न करते हैं।
- **अपशिष्ट संग्रह:** कचरा प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण चरण में कचरा संग्रह डिब्बे रखने, उन डिब्बे से कचरा इकट्ठा करने और उस स्थान पर कचरा जमा करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं जहां संग्रह वाहन खाली हैं। हालांकि संग्रह चरण में परिवहन शामिल है, यह आमतौर पर अपशिष्ट परिवहन का मुख्य चरण नहीं है।
- **अपशिष्ट स्थानांतरण और परिवहन:** स्थानीय कचरा संग्रह स्थानों से कचरे को बड़े कचरा परिवहन वाहनों में क्षेत्रीय कचरा निपटान स्थल तक ले जाने में शामिल गतिविधियां हैं।
- **अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति:** अपशिष्ट धारा से पुनः प्रयोज्य या पुनः प्रयोज्य सामग्री को पुनर्प्राप्त करने और अपशिष्ट प्रबंधन के अन्य कार्यात्मक तत्वों की प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए नियोजित सुविधाओं, उपकरणों और तकनीकों का संदर्भ लें।
- **निपटान:** यह अपशिष्ट प्रबंधन का अंतिम चरण है। इसमें लैंडफिल या कचरे से ऊर्जा सुविधाओं जैसे स्थानों में अपशिष्ट पदार्थों के व्यवस्थित निपटान के उद्देश्य से गतिविधियां शामिल हैं।

### 9.9 बिजली के लिए मानदंड

2005 में प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार बिजली आपूर्ति की अनुमानित आवश्यकताओं के आधार पर, अनुशंसित खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1000 यूनिट या प्रति दिन 2.74 kWh प्रति व्यक्ति की मांग है जिसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं।

इसलिए, बस्ती शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की मांग 2031 तक बढ़ने की उम्मीद है और 2031 में मानदंडों के अनुसार प्रति दिन 2.74 kWh प्रति व्यक्ति बिजली की आवश्यकता होगी।

बस्ती नगर की सभी प्रमुख और छोटी सड़कों पर प्रत्येक 30 मीटर के फासले पर बिजली के खंभे लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जायेगा।

### 9.10 डाकघर और संचार के लिए आवश्यकताएँ

मानदंडों के अनुसार मौजूदा आबादी हेतु 5 टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता है, जबकि बस्ती में पहले से ही 4 टेलीफोन एक्सचेंज सुविधाएं हैं। इसके अलावा, मानदंडों के अनुसार आवश्यक डाकघरों की संख्या

51

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
3	डाक और संचार	जनसंख्या	क्षेत्रफल	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	इकाई	क्षेत्रफल	
	उप डाकघर	10000	100	वर्ग.मी.	30	39	51	12	1180	वर्ग.मी.
	टेलिफोन एक्सचेंज	100000	4000	वर्ग.मी.	3	4	5	1	4720	वर्ग.मी.
	पुलिस थाना (कर्मचारी आवास)	50000	4000	वर्ग.मी.	6	8	10	2	9440	वर्ग.मी.

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
3	डाक और संचार	जनसंख्या	क्षेत्रफल	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	इकाई	क्षेत्रफल	
	पुलिस चौकी (कर्मचारी आवास)	15000	1500	वर्ग.मी.	20	26	34	8	11800	वर्ग.मी.
	दमकल केन्द्र (कर्मचारी आवास)	200000	8000	वर्ग.मी.	2	2	3	1	4720	वर्ग.मी.
	ई-सुविधा केंद्र	15000	50	वर्ग.मी.	20	26	34	8	393.33	वर्ग.मी.

### 9.11 शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता

नीचे दिखाई गई प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाएं वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या अनुमान पर आधारित हैं, आवश्यकता बढ़ या घट सकती है, इसलिए प्रावधान तदनुसार दिए जाने चाहिए और प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधित करके सुधार किया जाना चाहिए।

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
शिक्षा सुविधा		जनसंख्या	क्षेत्रफल	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	इकाई	क्षेत्रफल	
	नर्सरी स्कूल	2500	500	वर्ग. मी.	121	157	204	47	23600	वर्ग. मी.
	प्राथमिक विद्यालय	5000	1000	वर्ग. मी.	60	78	102	24	23600	वर्ग. मी.
	जूनियर हाई स्कूल	7500	2000	वर्ग. मी.	40	52	68	16	31467	वर्ग. मी.
	इंटर कॉलेज	10000	4000	वर्ग. मी.	30	39	51	12	47200	वर्ग. मी.
	डिग्री कॉलेज	80000	5000	वर्ग. मी.	4	5	6	1	7375	वर्ग. मी.
	इंजीनियरिंग कॉलेज	1000000	4	हेक्ट.	0	0	1	0	0.472	हेक्ट.
	चिकित्सा महाविद्यालय	1000000	10	हेक्ट.	0	0	1	0	1.18	हेक्ट.
	डेंटल कॉलेज	1000000	2	हेक्ट.	0	0	1	0	0.236	हेक्ट.
	आंगनवाड़ी	5000	250	वर्ग. मी.	60	78	102	24	5900	वर्ग. मी.

### 9.12 स्वास्थ्य सुविधाएं

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
		जनसंख्या	क्षेत्रफल		संख्या	संख्या	संख्या	इकाई	क्षेत्रफल	
2	स्वास्थ्य सुविधा									
	स्वास्थ्य केंद्र	15000	800	वर्ग. मी.	20	26	34	8	6293.3	वर्ग. मी.
	बाल कल्याण एवं प्रसूति केंद्र	45000	2000	वर्ग. मी.	7	9	11	3	5244.4	वर्ग. मी.
	सामान्य अस्पताल (बिस्तर-100)	100000	2	हेक्ट	3	4	5	1	2.36	हेक्ट

### 9.13 मनोरंजन सुविधाएं

यद्यपि बस्ती शहर में छोटे पार्क और खुले स्थान हैं, लेकिन इन स्थानों को मनोरंजन और पर्यटन के उद्देश्य से सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है।

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
		जनसंख्या	क्षेत्रफल		संख्या	संख्या	संख्या	इकाई	क्षेत्रफल	
	खेलकुद सुविधा									
	नगर खेल क्षेत्र	100000	20	हेक्ट	0	0	1	0	2.36	Hec
	जोनल खेल क्षेत्र	100000	8	हेक्ट	3	4	5	1	9.44	Hec
	पड़ोस खेल क्षेत्र	15000	1.5	हेक्ट	20	26	34	8	11.8	Hec
	आवासीय इकाई खेल क्षेत्र	5000	5000	वर्ग. मी.	60	78	102	24	118000	Sq. m
	पार्क और खुले स्थान	1000	1.6	हेक्ट	301	392	510	118	188.8	Hec
	क्रीडागंगन	100000	8	हेक्ट	3	4	5	1	9.44	Hec

### 9.14 सामाजिक/आर्थिक सुविधाएं

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
		जनसंख्या	क्षेत्रफल					संख्या	संख्या	संख्या
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं									
	बारात घर / सामुदायिक केंद्र	25000	1500	वर्ग. मी.	12	16	20	5	7080	Sq.m
	क्लब	25000	1000	वर्ग. मी.	12	16	20	5	4720	Sq.m
6	व्यावसायिक सुविधा दुकानें	400	5%			980	1275	295		
	सेक्टर खरीदारी	200	25	वर्ग. मी.	1506	1960	2550	590	14750	Sq.m
	बूथ / कियोस्क	500	7.5	वर्ग. मी.	603	784	1020	236	1770	Sq.m
	नगर केंद्र	300000	7.5	हेक्ट.	1	1	2	0	2.95	Hec
	उपनगर केंद्र	100000	5	हेक्ट.	3	4	5	1	5.9	Hec
	अन्य वाणिज्यिक केंद्र	1 Per Zone	2.5	हेक्ट.						Hec

### 9.15 फायर स्टेशन

क्रमांक	सुविधा	मानक			2011	मौजूदा स्थिति (2021)	आवश्यकता (2031)	अन्तर		
		जनसंख्या	क्षेत्रफल					संख्या	संख्या	संख्या
	जनसंख्या				301283	392000	510000			
	दमकल केन्द्र (कर्मचारी आवास)	200000	8000	वर्ग. मी.	2	2	3	1	4720	वर्ग. मी.

नियमों के अनुसार दमकल केंद्र आपदा स्थल तक आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। एकत्र किए गए आंकड़ों से यह पाया गया है कि, बस्ती शहर में 3 फायर स्टेशनों की आवश्यकता होगी।

### 9.16 यातायात एवं परिवहन

मुख्य रूप से रेलवे क्षेत्र, बस / ट्रक स्टेशन और सड़क यातायात और परिवहन के अंतर्गत आते हैं। बस्ती नगर पूर्वोत्तर रेलवे की गोरखपुर-लखनऊ वाया गोंडा रेलवे लाइन पर बड़ा रेलवे स्टेशन। शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के साथ भारतीय शहरों की तेजी से शहरीकरण प्रक्रिया में गतिशीलता प्रवाह महत्वपूर्ण बन गया है, जो शहरी रूप के कंकाल का निर्माण करता है। भारतीय शहरों में शहरी आबादी की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले प्रमुख रुझान तेजी से शहरीकरण, बढ़ती मोटराइजेशन और गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) के घटते मोडल शेयर हैं। इन कारकों के

परिणामस्वरूप यात्रा की मांग में अचानक वृद्धि हुई है। इसी समय, मोटर वाहन के स्वामित्व और उपयोग के तेजी से बढ़ते स्तर के परिणामस्वरूप नकारात्मक बाह्यताओं जैसे सड़क की भीड़, वायु प्रदूषण, सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं और इक्विटी और सुरक्षा के सामाजिक मुद्दों की खतरनाक वृद्धि हुई है।

निजी परिवहन की अप्रभाविता या सार्वजनिक पारगमन विकल्पों की कमी शहरी आबादी के इस खंड को लंबी दूरी तक चलने या साइकिल चलाने के लिए मजबूर करती है, और, परिणामस्वरूप, गंभीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। जैसा कि भारतीय शहर बाहर की ओर फैलते रहते हैं, वे निवासी जो गरीबी के कारण मोटरचलित वाहन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, उनका नुकसान बढ़ता रहेगा, और रोजगार, मनोरंजन, शैक्षिक, चिकित्सा और अन्य गतिविधि स्थलों से दूर हो जाएंगे। एजो उन्हें शहर में उपयोग करने की आवश्यकता है।

बस्ती में मौजूदा आबादी 114657 के आसपास मानी जाती है और 193000 के आसपास इसके बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, यह भी ध्यान में रखा जा रहा है कि बस्ती के विकास के भीतर भविष्य के ग्रामीण क्षेत्र शहरी जनसांख्यिकी में बदल सकते हैं। इस ग्रामीण से शहरी जनसांख्यिकीय संक्रमण के परिणामस्वरूप 2031 तक शहरी आबादी में लगभग 510000 होने की उम्मीद है। इस प्रकार, आने वाले वर्षों में शहरी परिवहन की आवश्यकता भी बढ़ने की उम्मीद होगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान मोटराइजेशन स्तर अपेक्षाकृत टिकाऊ हैं, लेकिन उच्च मोटराइजेशन प्रवृत्ति निश्चित रूप से अस्थिर है और इसलिए, विभिन्न परिवहन साधनों में बेहतर संतुलन की मांग पर जोर महत्वपूर्ण है।

गैरमोटर चालित परिवहन जिसे सक्रिय परिवहन के रूप में भी जाना जाता है, में चलना, साइकिल चलाना, अन्य प्रकार जैसे छोटे-पहिये वाले परिवहन (पुश स्कूटर, स्केट्स और हाथ गाड़ियां) शामिल हैं। जैसे-जैसे शहर फैलते हैं, एनएमटी का हिस्सा परिवहन के निजी साधनों पर बढ़ती निर्भरता को कम करता है।

जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है, औसत यात्रा दूरी और तीव्रता बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि दो संकेतकों के बीच सीधा संबंध है। बस्ती में औसत यात्रा की लंबाई 2 किमी से 8 किमी के बीच है। यात्रा की लंबाई और आवृत्ति में यह प्रवृत्ति केवल बढ़ती आय के स्तर, प्रवासन, महिलाओं की भागीदारी और एक सेवा-उन्मुख अर्थव्यवस्था के साथ बढ़ने की उम्मीद है। चूंकि अधिक लोग रोजगार और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, इसलिए अनिवार्य रूप से यातायात की भीड़ को बढ़ावा मिलेगा।

बस्ती में के व्यावसायिक विकास में बस्ती में मंगल बाजार रोड, गांधीनगर रोड और मालवीय रोड पर व्यवस्थित योजना प्रक्रियाओं का पालन किए बिना व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग विकास हुआ है। यह शहर में स्थानीय भीड़ और पार्किंग मुद्दों के लिए भारी यातायात को प्रेरित करता है।


इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी) नोडल एजेंसी रही है जो मुख्य रूप से इंटरसिटी सड़कों के लिए लेकिन शहरी सड़कों के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए डिजाइन दिशानिर्देश और तकनीकी मानक निर्धारित करती है। इन मानकों का स्वेच्छा से सभी सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा पालन किया जाता है, जिसमें शहरों के लोक निर्माण विभाग भी शामिल हैं। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि शहरी सड़क विकास के लिए आईआरसी कोड का पालन नहीं किया जाता है, वे नगर पालिकाओं या सार्वजनिक कार्य विभाग के लिए अनिवार्य नहीं हैं और इसलिए वे ठेकेदारों पर इन मानकों को लागू करने में विफल रहते हैं। नतीजतन, अधिकांश शहरी सड़कें न तो अच्छी तरह से डिजाइन की गई हैं और नही उनमें मानकों को अच्छी तरह से लागू किया गया है। ये सड़कें सड़क को पूरी तरह से मार्गों से अपेक्षित सभी जरूरतों को पूरा नहीं करती मार्ग के अधिकार का एक हिस्सा विकसित किया जाता है, जब कि शेष को अविकसित नहीं छोड़ दिया जाता है, जिससे अनियंत्रित और असंगठित हो जाता है— जो मार्ग दुर्घटनाओं और मार्ग दुर्घटनाओं में मौतों की उच्च दर के वृद्धि का प्रमुख कारण है।

9 जंक्शनों पर अधिकांश यातायात देखा जाता है और जिनमें से 6 को जोड़ने वाली प्रस्तावित अतिक्रमणित सड़कों को खोलकर इन 6 जंक्शनों में यातायात का दबाव कम किया जा सकता है।


वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्र का भी प्रस्ताव है। मौजूदा वाणिज्यिक विकास पर यातायात को कम करने के प्रस्ताव में गतिविधि के विकेंद्रीकरण पर भी विचार किया जाता है।

शहर के व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रक टर्मिनल विकसित करना आवश्यक है। भारी वाहनों के लिए नए पार्किंग स्थल का प्रस्ताव महायोजना में शामिल है।






चित्र 9 - 24 मीटर रोड




चित्र 10-30 मीटर सड़क खंड



चित्र 11 45 मीटर सड़क खंड

कई बार देखा गया है की जब किसी प्रकार का भौतिक अवरोध जैसे की रेलवे लाइन जब सहर के बीच से गुजरत है तो उस वजह से यातायात में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके निवारण हेतु बस्ती सहर में दो र . ओ . बी का प्रस्ताव किया गया है जो की पांडे बाजार रोड और शुगर मिल के समीप की गई है।



## 10 भू-उपयोग प्रस्ताव

### 10.1 नगर के विकास /विस्तार की दिशा

बस्ती विकास क्षेत्र का शहरी विकास मुख्य रूप से सड़कों के दोनों ओर है। यह भी कहा जा सकता है कि बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र का विकास पैटर्न रिबन विकास है। ज्यादातर शहरी विकास सड़कों के किनारे देखा जा सकता है

संभावित विकास दिशा सड़कों के साथ इस प्रकार है -

1. बस्ती-गोरखपुर एनएच 28
2. बस्ती-बंसी रोड एनएच 233
3. बस्ती-डुमरियागंज
4. बस्ती-महदावल मार्ग


### 10.2 भू-उपयोग एवं प्रस्ताव

बस्ती मास्टर प्लान द्वारा शहर के भविष्य के विकास के प्रस्तावों के तहत मुख्य रूप से नगरपालिका क्षेत्र और इसके उपनगरों में पड़ने वाले कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को तैयार किया गया है। योजना अवधि 2031 के अंत तक प्रस्तावित भावी शहरी विकास क्षेत्र के तहत कुल 4879.93 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। बस्ती मास्टर प्लान में प्रस्तावित विभिन्न भू-उपयोग के तहत आने वाले पूरे क्षेत्र का विस्तृत विवरण नीचे दिखाया गया है-

भू-उपयोग	प्रतिशत	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर)
आवासीय	55.23	2695.20
व्यावसायिक	3.20	156.23
औद्योगिक	4.97	242.42
कार्यालय	3.02	147.54
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	3.85	188.01
परिवहन	15.06	735.12
पार्क एवं खुले स्थल	14.66	715.40
<b>कुल (A)</b>	<b>100</b>	<b>4879.93</b>
राजमार्ग सुविधा क्षेत्र		1835.70
रेल्वे		61.33
यू . पी . सी . डा		34.56
कृषि		6974.80
अन्य		1427.12
<b>कुल(A+B)</b>		<b>15213.44</b>

तालिका 54 बस्ती का प्रस्तावित भूमि उपयोग 2031

  
2-7-24  
(अनिल कुमार मिश्र)  
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0

  
(डॉ० अनिल कुमार मिश्र गोकर्ण)  
अपर मुख्य सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रस्तावित भू-उपयोग का विवरण नीचे दिया गया है:

### 10.2.1 आवासीय

मौजूदा निर्मित क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र सहित टाउनशिप शहरी आबादी की आवासीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महायोजना में उपयुक्त स्थलों पर कुल 2695.20 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव बनाया गया है, जो कुल शहरी प्रस्ताव के क्षेत्रफल का 55.23 प्रतिशत क्षेत्र है।

### 10.2.2 निर्मित क्षेत्र

निर्मित क्षेत्र से तात्पर्य विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र से है, जिसका अधिकांश भाग व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा अन्य क्षेत्र के रूप में विकसित हो चुका है तथा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं यथा-सड़क जलापूर्ति, सीवरेज, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की जा चुकी है और महायोजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया है।

### 10.2.3 वाणिज्यिक

बस्ती शहर की भावी आबादी के लिए विभिन्न स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया है। नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के लिए आवश्यक व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिला केंद्र 156.2 हेक्टेयर क्षेत्र को मास्टर प्लान में इंगित कर प्रस्तावित किया गया है जो कुल महायोजना क्षेत्रफल का 3.2 % है।

### बाजार स्ट्रीट-

निर्मित क्षेत्र के बाहर ऐसे मार्ग जहाँ पर वाणिज्यिक क्रियाओं का विकास तीव्र गति से हुआ है, को बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित है। वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार नगर के निर्मित क्षेत्र में विद्यमान ऐसे मार्ग जिनके दोनों ओर वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियां क्रियाशील हैं ऐसे मार्गों पर 15 मीटर गहराई तक बाजार स्ट्रीट के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नगर के निर्मित क्षेत्र को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस प्रतिबन्ध के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित करने का सुझाव है कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाए। महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमत्य की जायेगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई या फिर 100 मीटर गहराई तक, जो भी काम हो जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमत्य होगा। प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत ले-आउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।

### 10.2.4 औद्योगिक

वर्ष 2031 के मास्टर प्लान में बस्ती नगर के वर्तमान औद्योगिक विकास एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को मास्टर प्लान-2021 के अनुसार प्रस्तावित किया गया है। महायोजना-2021 में प्रस्तावित औद्योगिक भूमि के आंशिक भाग पर ही औद्योगिक विकास इसका मुख्य कारण है। शेष भूमि भविष्य के औद्योगिक विकास के लिए खुले क्षेत्र में स्थित है। जो वर्ष 2031 तक औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है। मास्टर प्लान के तहत नगर के वर्तमान औद्योगिक विकास सहित औद्योगिक विकास के लिए 242.42 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो महायोजना के कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.97 प्रतिशत है।

### 10.2.5 खुले स्थल और हरित क्षेत्र

2031 में बस्ती की अनुमानित जनसंख्या (5,10,000) को ध्यान में रखते हुए, खुले स्थल और हरित क्षेत्र प्रस्तावित 715.40 हेक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 14.66% है। साथ ही, प्रस्तावित सड़क और राजमार्ग के साथ दोनों ओर 30 मीटर का ग्रीन बफर प्रस्तावित किया गया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/पोखरे/जलाशय को यथावत आरक्षित कर इनके चारों ओर 10 मीटर हरित पट्टी का प्रस्ताव किया गया है।

महायोजना-2031 में जितना संभव हो सके पार्क और खुले स्थान का प्रावधान इस तरह किया गया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसका वितरण समान हो। पार्क और खुले क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जो नागरिकों को शुद्ध हवा, प्राकृतिक सुंदरता, खेल, मनोरंजन और व्यायाम के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उनका विकास आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होने के कारण, न ही सरकारी संस्थानों द्वारा इस भू-उपयोग का विकास, न ही निजी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में पार्कों और खुले क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्राविधान किया गया है की महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित

भू-स्वामियों को शासन द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022 के प्रविधानों के अनुसार ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स देय होगा।

#### 10.2.6 सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं

निम्नलिखित भूमि उपयोग श्रेणियों को सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक श्रेणी के तहत माना जाता है— शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, अग्निशमन, डाक और संचार केंद्र, सामुदायिक सुविधाएं, संस्थागत, विद्युत, सीवेज फार्म, डंपिंग ग्राउंड और खेल का मैदान।

सार्वजनिक सुविधाएं नागरिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो किसी भी शहर के सामाजिक, आर्थिक और भौतिक संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पर्यावरण संतुलन के लिए शहर की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पर्याप्त सुविधाओं का विकास बहुत आवश्यक है। नगर की जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमावर्ती क्षेत्र की प्रगति आदि के कारण संख्यात्मक एवं गुणात्मक स्तर पर सुविधाओं का पर्याप्त विकास न होने के कारण नगर में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनके शहर के विकास और पर्यावरण की स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान जनसंख्या विस्तार और एक पर्यटन स्थल होने के कारण बस्ती शहर में सामुदायिक सुविधाएं अपर्याप्त हैं। बस्ती महायोजना में विभिन्न सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान में प्रचलित मानकों के आधार पर भविष्य की आबादी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। महायोजना-2031 में इस उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का कुल क्षेत्रफल 188.014 हेक्टेयर है, जो महायोजना के कुल क्षेत्रफल का 3.85 प्रतिशत है। शैक्षिक/संस्थागत सुविधाओं आदि की कमी को दूर के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान हेतु इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार मान्य होगा।

#### 10.2.7 यातायात और परिवहन

यातायात एवं परिवहन : बस्ती महायोजना-2031 के प्रस्तावित क्षेत्र में यातायात एवं परिवहन के सुचारु प्रवाह के लिए मौजूदा यातायात व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करते हुए नगर में भविष्य के यातायात के लिए एक मजबूत यातायात मार्ग संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत वर्तमान मार्गों की चौड़ाई बढ़ाने के साथ-साथ नए मार्ग और बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट टाउन, ओवरहेड ब्रिज आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। यातायात एवं परिवहन भू-उपयोग के अंतर्गत महायोजना में 735.12 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें वर्तमान प्रस्तावित मार्ग, बस स्टैंड शामिल है। परिवहन शहर और वर्तमान हवाई पट्टी, आदि का सम्मिलित क्षेत्रफल कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का 15.06 प्रतिशत है। बस-स्टेशन, पार्किंग स्थल, संस्थागत सुविधाओं आदि की कमी को दूर के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान हेतु इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार मान्य होगा।

#### 10.2.8 ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर

ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर एक ऐसे नेटवर्क को संदर्भित करता है जो लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे, पारिस्थितिक बहाली और शहरी डिजाइन के संयोजन द्वारा शहरी और जलवायु संबंधी चुनौतियों को हल करने के लिए सामग्री प्रदान करता है। जैसे-जैसे जलवायु संबंधी खतरों का खतरा बढ़ता जा रहा है, कई वैश्विक शहरों ने नीले तत्वों (उदाहरण के लिए, समुद्र, नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमि और पानी) का उपयोग करके पारंपरिक बुनियादी ढांचे की प्रथाओं के जवाब में प्रकृति-संचालित समाधानों को शामिल करने के लिए अपनी शहरी योजना और डिजाइन दृष्टिकोण में बदलाव किया है। उपयोगिताएँ हरियाली के साथ-साथ (जैसे पेड़, पार्क, बगीचे, खेल के मैदान और जंगल)। यह भारत के शहरों को जलवायु खतरों का जवाब देने, समानता और लचीलेपन को बढ़ावा देने और टिकाऊ शहरी भविष्य के लिए आर्थिक बदलाव को उत्प्रेरित करने में मदद करने के लिए नीले-हरे स्थान में अवसरों की पहचान करता है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार, सदी के अंत तक कुल तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखने के लिए वैश्विक ब्2 उत्सर्जन को 2030 तक 2010 के स्तर से लगभग 45 प्रतिशत कम करने और 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। . भारत में, अत्यधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण 1901 और 2018 के बीच औसत तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यहां तक कि तत्काल उत्सर्जन शमन की सबसे इष्टतम दर पर भी, भारत का तापमान 2099 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा सबसे खराब स्थिति में, सदी के अंत तक यह 4.4°C बढ़ जाएगा।

जलवायु परिवर्तन में शहरों का प्रमुख योगदान है। पृथ्वी की सतह का 2 प्रतिशत से भी कम हिस्सा होने के बावजूद, शहर दुनिया की 78 प्रतिशत ऊर्जा की खपत करते हैं और 60 प्रतिशत से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं। शहरी क्षेत्र बढ़ते जलवायु जोखिमों और मानव आराम और पर्यावरणीय न्याय के

लिए खतरों का सामना कर रहे हैं। तापमान वृद्धि के माध्यम से देशों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले चार प्रमुख वैश्विक जोखिमों में से तीन मुख्य रूप से पर्यावरणीय हैं – प्राकृतिक आपदा, चरम मौसम और जैव विविधता की हानि, और चौथा जलवायु कार्रवाई विफलता है। इन चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में, हरे (जैसे पेड़, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान और जंगल) और नीले (समुद्र, नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमि और जल उपयोगिताएँ) स्थानों की संभावित भूमिका पर ध्यान दिया जा रहा है, जिन पर अक्सर ध्यान दिया जाता है। हरे और नीले बुनियादी ढांचे की अवधारणा के माध्यम से।

2050 तक, वैश्विक आबादी का लगभग 68 प्रतिशत शहरी समूहों में निवास करने की उम्मीद है। उस वर्ष तक प्रत्येक दो भारतीयों में से एक के शहरों में रहने की उम्मीद है। भारत में सूखा, चक्रवात, जंगल की आग, हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है, जो जीवाश्म ईंधन और एरोसोल के उपयोग के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और भूमि उपयोग में बदलाव से प्रेरित है। और भूमि आवरण। मौजूदा शहरी बुनियादी ढांचे को प्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के लिए सुदृढ़ और लचीला बनाने और जलवायु परिवर्तन के परिणामों के रूप में अपेक्षित भविष्य के झटकों और आपदाओं का सामना करने की आवश्यकता होगी। नीले हस्तक्षेपों और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से सतत जल प्रबंधन जलवायु लचीलापन बनाने में मदद कर सकता है।

कई भारतीय शहरों में तेजी से शहरीकरण के कारण हरे और नीले रंग की विशेषताओं में गिरावट देखी गई है, भूमि उपयोग परिवर्तन पर अध्ययन से पर्यावरणीय नुकसान का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए, बंगलुरु में 1973 और 2013 के बीच निर्मित क्षेत्र में 925 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जिसमें हरे रंग की विशेषताएं 68 प्रतिशत से घटकर 14 प्रतिशत हो गई हैं, और नीली विशेषताएं 3 प्रतिशत से घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गई हैं। इसी तरह, 1977 से 2017 तक, मुंबई में वनस्पति में 60 प्रतिशत की हानि और जल निकायों में 65 प्रतिशत की कमी देखी गई। 2020 में जारी ग्रेटर मुंबई के लिए एक तकनीकी भूमि-उपयोग भूमि कवर मूल्यांकन 1999-2019 की अवधि में वनस्पति में 2.5 प्रतिशत की हानि और जल निकायों में 1.4 प्रतिशत की हानि का संकेत देता है। और अनुमान है कि अहमदाबाद में 2010 और 2030 के बीच वनस्पति में लगभग 50 प्रतिशत की हानि देखी जाएगी। शहरीकरण प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित, विनियमित और मॉनिटर करने में असमर्थता इस विशाल पर्यावरणीय हानि के लिए अनजाने में जिम्मेदार है।

बस्ती सहर से कुवनों नामक नदी जो घाघरा नदी की ट्रिब्यूटेरी है बहती है जो की सहर के वेयस्टर्न परत मे स्थित: है । इस नदी के ऊपर कोई बांदा मौजूद नहीं है। इस वजह से बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस लिए महायोजना मे बाढ़ के स्तर को अंकित किया गए है और उसे नो कन्स्ट्रक्शन जोन बनाया गया है।

सहर म्यू मौजूद सभी रेविन्यू तालाब नाले नहर को महायोजना मे अंकित किया है और नगर के क्षेत्र मे पढ़ने वाले सभी रेविन्यू तालाब के उपरान्त 10 मीटर का ग्रीन बेल्ट भी प्रस्तावित है

सहर मे सा भी मौजूद तालाब और जो की निजी भूमि पर स्थित है उसे भी मायोजन मे ग्रीन बेल्ट के रूप मे अंकित किया गया है। खलिहान और पसुचर भूमि को भी ग्रीन बेल्ट के रूप मे अंकित किया है ।

महायोजना मे वाटर्शेड मानचित्र उसके साथ contour जो की सहर के निचली ढलान क्षेत्र को प्रदर्शित करता है उसे भी महायोजना प्रतिवेदन मे अलग मानचित्र में दिखाया गया है।

शासकीय समिति के सुझावानुसार पूर्व महायोजना-2021 के नगरीकरण क्षेत्र के अन्दर राजस्व विभाग के तालाबों के अतिरिक्त बेसमैप के अनुसार निचले क्षेत्र जिनका पूर्व महायोजना में भू-उपयोग निर्धारित है, को तालाब चिन्हित करने से विधिक कठिनाई हो सकती है। अतः बस्ती विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार समस्त तालाब, पोखरा, पोखरी, जलाशय ताल, तलैया को महायोजना-2031 में तालाब/जलाशय के अन्तर्गत रखे जाने का प्रस्ताव है तथा पूर्व महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र के बाहर राजस्व विभाग के तालाब/जलाशयों के अतिरिक्त अन्य वॉटरबॉडीज को ग्रीन बेल्ट के रूप में रखे जाने का प्रस्ताव है।

## 10.2.9 विशिष्ट उपयोग

### 1. राजमार्ग सुविधा क्षेत्र:

राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए, रेस्तरां, होटल, ढाभा, समारोह हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि जैसी उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए; जिससे बस्ती शहर में ट्रैफिक की भीड़ कम होगी, साथ ही हाईवे फ़ैसिलिटी जोन कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए टाउन एरिया के बाहर हाईवे फ़ैसिलिटी जोन प्रस्तावित है।

## 2. सड़क के किनारे हरित पट्टी:

सड़कों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरणीय लाभ के लिए सड़कों के किनारे हरित पट्टी प्रस्तावित है जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

अनुक्रमांक	सड़क	हरित पट्टी	राजमार्ग सुविधा क्षेत्र
1	राष्ट्रीय राजमार्ग	30 Mt	300 मीटर
2	राज्य मार्ग	30 Mt	300 मीटर

**तालिका 55 हरित पट्टी**

ऊपर का नक्शा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और बस्ती के बाहरी रिंग रोड के प्रमुख मार्ग पर सौंदर्यीकरण और अन्य हरित क्षेत्र गतिविधियों के लिए ग्रीन बफर दिखाता है।

ग्रीन बफर के बाद 300 मीटर तक राजमार्ग सुविधा क्षेत्र का प्रावधान है जो वाणिज्यिक और पार्किंग स्थान के रूप में उपयोग किया जाना है। राजमार्ग सुविधा क्षेत्र का उपयोग कृषि उपयोग/क्षेत्र के लिए भी किया जाता है।

## 3. जलनिकाय :

पुराने मास्टर प्लान (2021) के अनुसार 3 जल निकाय हैं जिनकी सुरक्षा और समुचित विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जल निकायों की सुरक्षा के लिए जल निकायों की सीमा पर 10 मीटर ग्रीनबेल्ट बफर का प्रावधान किया गया है।

महायोजना प्रस्तावों में विद्यमान नाले के दोनों ओर 12 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान किया गया है। आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव, अवैध निर्माण से नदी की सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी योजना की दृष्टि से नदी चैनल के दोनों किनारों पर 100 मीटर चौड़े बफर जोन का प्रावधान किया गया है। मास्टर प्लान प्रस्तावों में अमहत पार्क के पास कुवानो नदी के किनारे घाटों और गणेशपुर रोड की ओर मूर घाट का प्रावधान शामिल किया गया है।

### 10.2.10 कस्बे में जल आपूर्ति

पानी की आपूर्ति और इसके बाड़ों की प्रस्तावित आवश्यकता अध्याय में काम की है। नए ईएसआर और यूजीएस के साथ-साथ नदी के पास उपचार संयंत्र के लिए आवश्यकताएं पानी की आपूर्ति की भविष्य की मांग के लिए प्रस्तावित हैं। सेवन की व्यवस्था नदी के तल पर बनाई जानी है। सिर के विकास के लिए नदी के पास 1 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है।

भूजल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए शहर के नए विकास में अनिवार्य रूप से प्रदान की जाने वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली को प्रोत्साहित करने का भी प्रस्ताव है। 1 एकड़ भूमि के विकास के लिए एक वर्षा जल संचयन प्रणाली अनिवार्य होनी चाहिए।

### 10.2.11 भूमिगत जल निकासी

खुली नालियां कस्बे और आसपास के क्षेत्र से मैल ढो रही हैं, भूजल को दूषित करती हैं और जल जनित बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। सम्पूर्ण नवीन विकास क्षेत्र में भूमिगत जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जल निकाय के पास दक्षिण पश्चिम की ओर 10000 वर्ग मीटर का निचला क्षेत्र प्रस्तावित है। पम्पिंग स्टेशनों के लिए, चौड़ी सड़कों का उपयोग किया जा सकता है। उपचारित जल के पुनः उपयोग की भी पहले से योजना बनाने की आवश्यकता है।

### 10.2.12 शहरी क्षेत्र के लिए स्ट्रीट लाइट

शहर का क्षेत्र स्ट्रीट लाइटिंग से आच्छादित है और आसपास का शहरीकरण योग्य क्षेत्र भी आंशिक रूप से स्ट्रीट लाइटिंग से आच्छादित है। प्रस्तावित सड़कों में 30 मीटर के अंतराल पर स्ट्रीट लाइट डबल आर्म प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अतिक्रमण वाली सड़कों और नई प्रस्तावित सड़कों के लिए कुल 16000 डबल आर्म स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होगी।

### 10.2.13 वर्षा जल की निकासी

शहर के क्षेत्र की सड़कें खुली वर्षा जल निकासी नालियां प्रदान करने के लिए संकीर्ण और कठिन हैं। यह प्रस्तावित क्षेत्र में पाइप ड्रेन प्रदान करने और प्रस्तावित सड़कों पर आरसीसी बॉक्स वाली नालियों को खोलने का प्रस्ताव है। पानी को वर्षा जल नालियों में एकत्र किया जाएगा और अंततः नदी में छोड़ा जाएगा। इसे प्रति घंटे 50 मिमी वर्षा के लिए डिजाइन किया जाना आवश्यक है।

### 10.2.14 जल संसाधन विकास

जल निकायों को अतिक्रमण से बचाने की आवश्यकता है। जल निकायों के संरक्षण के लिए, जल निकायों से प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में 10 मीटर ग्रीन बेल्ट बनाना प्रस्तावित है। नदियों के संरक्षण के लिए नदी केंद्रित विकास

प्रस्तावित किया गया है जो नागरिकों को मनोरंजन क्षेत्र प्रदान करेगा। नदी सीमा से 100 मीटर मार्जिन के भीतर विकास पर प्रतिबंध प्रस्तावित है।

#### 10.2.15 नदी केंद्रित विकास /फ्लड जोन

रिवरफ्रंट का विकास घाट के किनारे ही किया जाना चाहिए, इसमें तटबंध और सुधार कार्य, सड़क का निर्माण और पानी, सीवर नेटवर्क, वर्षा जल निकासी, आदि जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना, स्लम का पुनर्वास, पैदल मार्गों का निर्माण, उद्यान और सार्वजनिक स्थानों का रखरखाव शामिल होगा। कुवानो नदी के किनारे रिवरफ्रंट का विकास किया जाना है।

बस्ती शहर में कुवानो नदी नगर के पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए नदी केंद्रित शहरी नियोजन पर ध्यान देना आवश्यक है। नदी केंद्रित नियोजन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी नदियाँ सामाजिक-आर्थिक-पारिस्थितिकीय-व्यवस्था के एक जटिल संतुलन के रूप में कार्य करती हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों, मनोरंजन आवश्यकताओं, आजीविका निर्भरता को पुरा करती हैं और साथ-साथ नदी प्रणाली की पारिस्थितिकीय सेवाओं की प्रति भी करती हैं। दीर्घकाल तक नदी की रक्षा और संरक्षण के लिए, उपरिधारा क्षेत्रों में किसी भी शहरी बस्ती, अतिक्रमण और विकास गतिविधियों को सख्ती से नियंत्रित किया जाना चाहिए। भूजल संसाधनों के लिए गुणवत्ता संरक्षण और सुधार और भी अधिक महत्वपूर्ण हेतु हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्थानीय अपशिष्ट, उर्वरकों और रसायनों के अवशेष आदि भूमिगत जल में न रिसने जायें। शहरी प्राकृतिक जल संसाधनों की गुणवत्ता को सुरक्षित करने के लिए जल निकायों के किनारों के साथ एक रिपेरियन क्षेत्र के रूप में हरित बफर प्रदान किया जाना होता है। साथ ही ईको पार्क या रिवरफ्रंट विकास जैसी परियोजनाओं को नदी किनारे लागू किया जा सकता है।

सहर के महायोजना में नदी केंद्रित विकास का समायोजन करना आज की परिसतिथि को देखते हुए करना आती आवश्यक है। इसके लिए महायोजना में नदी विनियमन क्षेत्र में विकास नियम /जोनिंग तैयार करें जाने की आवश्यकता है।

नदी केंद्रित विकास को नियंत्रित करने हेतु बाढ़ के उच्चतम स्तर जो की सिंचाई विभाग और रीमोट सेन्सिंग के निर्देश अनुसार महायोजना मानचित्र में अंकित करते हुए नदी और बाढ़ के उच्चतम स्तर के बीच आने वाले सभी भिखंडों को नो कन्स्ट्रक्शन जोन के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

बस्ती महायोजना-2031 प्रारूप के संबंध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 08.08.2023 को सम्पन्न बैठक में दिये गये सामान्य सुझाव/निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग, (बाढ़ खंड) बस्ती से कुंआनो नदी का डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन प्राप्त किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार चिन्हांकन बस्ती महायोजना-2031 के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र पर कराया गया, जिसके अनुसार बस्ती महायोजना-2031 में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का कुल 136 हे0 भाग डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित हो रहा है। डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित 136 हे0 भू-भाग में से प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 आवासीय भू-उपयोग का 22.60 हे0 भूमि भू-भाग भी सम्मिलित है। बस्ती महायोजना-2021 के 22.60 हे0 क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के अनुसार बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा तथा महायोजना प्रभावी होने से पूर्व विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में पूर्व महायोजना में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग को परिवर्तित किये जाने से विधिक अड़चने उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस क्षेत्र की टोपोलॉजी तथा पूर्व महायोजना के प्रस्तावों के दृष्टिगत डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित बस्ती महायोजना-2021 के आवासीय भू-उपयोग में पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों के आलोक में नये मानचित्रों की नियमानुसार स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जाने पर विचार किया जा सकता है कि भवनों का प्लिंथ लेवल डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन के लेवल से अधिक रहे।

बस्ती विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.10.23 में लिए गए निर्णय के क्रम में बस्ती महायोजना-2031 में चिन्हित डूब क्षेत्र से प्रभावित आवासीय भू-उपयोग को बस्ती महायोजना-2031 से हटाने व बस्ती महायोजना-2021 में डूब क्षेत्र से प्रभावित आवासीय क्षेत्र में मानचित्र की स्वीकृति की कार्यवाही भवनों के प्लिंथ लेवल डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन के लेवल से अधिक रखे जाने के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव है।

#### 10.2.16 ग्रामीण विकास

शासनादेश संख्या-2157 दिनांक 22.07.2011 द्वारा शहरीकरण की प्रक्रिया अतर्गत आने वाले ग्रामों के विकास हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार शहरीकरण की प्रक्रिया अतर्गत आने वाली ग्रामीण आबादियों के विकास हेतु प्रदेश की शहरी आवास नीति-1995 के प्राविधानों के परिपेक्ष्य में शहरों के विस्तार के फलस्वरूप उनके चारों ओर स्थित ग्रामीण आबादियों के समुचित विकास हेतु राजस्व अभिलेखों से पुष्टि कर सजरा मानचित्रों के अनुसार ग्रामीण आबादियों के ले-आउट प्लान तैयार करने, उनके विस्तार के लिए समुचित भूमि छोड़ने के

उपरान्त आबादी के चारो ओर पेरिफेरल रोड बनाये जाने, ग्रामीण आबादियों के पास स्थित तालाबो/पोखरो/जलाशयों तथा अन्य वाटर बॉडीज के संरक्षण, जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण आदि हेतु प्राविधान किये गये हैं। शासनादेश में दिये समस्त निर्देशानुसार महायोजना में प्राविधान किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त महायोजना नगरीय करण क्षेत्र के बाहर स्थित ग्रामीण आबादियों के प्राकृतिक विस्तार हेतु राजस्व अभिलेखों में दर्ज ग्रामीण आबादी के चतुर्दिक 100 मीटर का क्षेत्र आबादी विस्तार हेतु प्रस्तावित किये जाने तथा ग्रामीण आबादी की जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार क्रियाएं/उपयोग अनुमन्य किया गया है।

### 10.2.17 राजमार्गीय सुविधा जोन

पुनरीक्षित महायोजना के नगरीकरण सीमा के बाहर राजमार्गों के किनारे मार्गीय सुविधाओं की पूर्ति तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं हेतु राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय राजमार्गों व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दानों तरफ 30मी0 की हरित पट्टी के पश्चात 300मी0 की गहराई तक राजमार्गीय सुविधा जोन (Highway Facility Zone) भू-उपयोग का प्रस्ताव किया गया है। हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा। हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (FAR), आदि प्राविधान प्रभावी होंगे। बस्ती महायोजना-2031 की स्वीकृति के सम्बन्ध में 11 वी बोर्ड बैठक के निर्णय अनुसार यह निर्णय लिया गया कि हाईवे फैसेलिटी जोन में ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 0.9 तक के प्रकरणों में सामान्य अनुमति से एवं इससे अधिक (भवन उपविधि में निर्धारित सीमा तक) के प्रकरणों में मानचित्र विशेष अनुमति से स्वीकृत किये जाए। महायोजना-2031 की मैट्रिक्स में हाईवे फैसेलिटी जोन में अस्पताल/ट्रॉमा सेन्टर की अनुमन्यता का उल्लेख न होने के कारण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हाईवे फैसेलिटी जोन में अस्पताल/ट्रॉमा सेन्टर को भी अनुमन्य किया गया है।

### विविध

- प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज श्मशान/कब्रिस्तान, नदी, नहरो, प्राकृतिक नालो, जलाशयों, तालाबो, पोखरा, पशुचर/गौचर की भूमि, खलिहान की भूमि, चकरोड तथा आरक्षित/संरक्षित वन की भूमि के प्राकृतिक स्वरूप एवं उनके पुनरोद्धार के लिए इन्हे पुनरीक्षित महायोजना में यथावत चिन्हित किया गया है। राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। साथ ही साथ उक्त भूमियों का क्षेत्रफल कम होने के कारण महायोजना में दर्शित किया जाना सम्भव नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त समस्त भूमियों की सूची राजस्व ग्रामवार आराजी संख्या एवं क्षेत्रफल सहित महायोजना प्रारूप में संलग्न किया गया है। राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/पोखरे/जलाशय/प्राकृतिक नाले, खलीहान की भूमि एवं पशुचर की भूमि को यथावत खुले क्षेत्र के रूप में आरक्षित कर इस पर खुले क्षेत्र से सम्बन्धित जनोपयोगी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित तालाब/पोखरे/जलाशय, श्मशान/कब्रिस्तान, खलिहान की भूमि एवं पशुचर/गौचर की भूमि का वास्तविक उपयोग यथावत माना जायेगा भले ही महायोजना में इन स्थलों का भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।
- वन विभाग के अधीन आरक्षित वनो एवं संरक्षित वनो को यथा सम्भव महायोजना में चिन्हित किया गया है। ऐसे वन क्षेत्र जिन्हे उनके छोटे आकार के कारण चिन्हित किया जाना सम्भव नहीं है, ऐसे समस्त वन क्षेत्र वन विभाग के नियमों के अनुसार मान्य रहेंगे एवं वन अधिनियम के समस्त प्राविधान उन पर प्रभावी रहेंगे भले ही महायोजना में इन स्थलों का भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।
- महायोजना में समस्त स्वीकृत तलपट मानचित्रों/अन्य उपयोगों हेतु स्वीकृत मानचित्रों के उपयोग को दर्शाया जाना संभव नहीं है। महायोजना के अंतर्गत स्वीकृत मानचित्रों के उपयोगों को यथासंभव समायोजित करने का प्रयास किया गया है। महायोजना लागू होने के पश्चात महायोजना में दर्शित भू-उपयोग स्वीकृत मानचित्र से भिन्न होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही माना जाएगा।
- प्राधिकरण द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृत मानचित्रों से सम्बन्धित ऐसे क्षेत्र जिनका भू-उपयोग स्वीकृत मानचित्र के मूल उपयोग के अनुसार नहीं है, ऐसी क्रिया/उपयोग पुनरीक्षित महायोजना में स्वीकृत मानचित्र के अनुसार अनुमन्य रहेगी तथा इसका क्षेत्रफल स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही मान्य होगा।
- ऐसे तलपट मानचित्र/भवन जो पूर्व महायोजना के भू-उपयोगों के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदित/स्वीकृत हैं तथा जिनका भू-उपयोग नियोजन/अन्य कारणों से पुनरीक्षित महायोजना में अन्य भू-उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, ऐसे तलपट मानचित्र/भवन मानचित्र में दर्शित क्षेत्रफल

एवं सीमा के अन्तर्गत यथा-स्थिति में बने रहेंगे। भविष्य में पूर्व स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत इनका विस्तार पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित मार्गाधिकार को छोड़ते हुये स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये गये उपयोग/क्रिया के अनुसार अनुमन्य होगा। इन क्षेत्रों नये विकास की स्थिति में पुनरीक्षित महायोजना के भू-उपयोग प्रभावी होंगे। उक्त प्रतिबन्ध पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं खुले स्थल एवं अन्य समरूप भू-उपयोग में प्रभावी नहीं होंगे।

- शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.01.2016 के माध्यम से धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु विकास प्राधिकरण उपविधि निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा उपविधि में परिभाषित धरोहर भवन के संरक्षण हेतु प्रावधान किये गए हैं। उपविधि के प्रावधानानुसार धरोहर भवनों को सूचीबद्ध कर इनका संरक्षण किया जायेगा।
- शासन द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण (मुख्य मार्ग से सटे कतिपय भवनों के अग्रभाग की अनुरक्षण एवं मरम्मत) उपविधि 2021 निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा मुख्य मार्गों पर किसी रंग योजना अथवा उसके लिए अन्य विशिष्टियों के अनुसार साम्यता सुनिश्चित करना आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत मार्गों को चिन्हांकित करने के उपरांत भवनों के अग्र भाग की रंग योजना एवं नाम पट्टिका, विज्ञापन पट्टिका आदि के आकर एवं रंग रूप में एकरूपता तथा विशिष्टियों के निर्धारण के प्रावधान किये गए हैं। उपविधि के प्रावधानानुसार भवनों के अग्र भाग की रंग योजना एवं नाम पट्टिका, विज्ञापन पट्टिका आदि के आकर एवं रंग रूप में एकरूपता सुनिश्चित की जाएगी।
- शासन द्वारा निर्गत विकास प्राधिकरण (योजना के उल्लंघन में भूमि और भवनों का उपयोग जारी रखने हेतु) मॉडल उपविधि 2021 निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा किसी भूमि अथवा भवन का उपयोग उस प्रयोजन अथवा प्रयोजनों के लिए उस सीमा तक जहां तक उसका उपयोग योजना के लागू होने की दिनांक पर किया जा रहा था, उपविधि में विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अधीन जारी रखने का प्रावधान किया गया है। उपविधि के प्रावधानानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए प्राधिकरण से प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपरोक्त से आच्छादित भूमि अथवा भवन का उपयोग जारी रखा जा सकेगा।
- पुनरीक्षित महायोजना में प्रस्तावित ऐसे भू-भाग जिनका भू-उपयोग पुनरीक्षित महायोजना –2031 तैयार करते समय उच्चिकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रों में जो भवन अनधिकृत रूप से निर्मित/निर्माणाधीन हैं तथा महायोजना 2031 में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप हैं, को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अधिनियम 2023 दिनांक 21.08.2023 के प्रस्तर 8 में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नगरीय उपयोग प्रभार उदग्रहीत किए जाने के उपरांत ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

### 10.3 महायोजना 2031 के लिए नीतियां

#### 10.3.1 आवास नीति, इटीग्रेटेड टाउनशिप नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति

जनसामान्य को आवास उपलब्ध कराए जाने हेतु इन नीतियों का प्रख्यापन किया गया है। बस्ती विकास क्षेत्र की प्रक्षेपित जनसंख्या एवं आवश्यकता के अनुसार URDPFI गाईडलाइंस में दिए गए प्राविधानों के क्रम में बस्ती महायोजना 2031 में 2695.20 हेक्टेयर भूमि आवासीय भू उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है।

#### 10.3.2 एक जिला एक उत्पाद योजना

यह योजना शहर के भीतर एमएसएमई के विकास को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। यह योजनाएं मौजूदा पारंपरिक उद्योगों को कायम रखने और उनका पोषण करने में मदद करती हैं, यह एक विशेष उत्पाद में विशेषज्ञता हासिल करने में सक्षम बनाती है। बस्ती अपने फर्नीचर उत्पादन और लकड़ी शिल्प उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसलिए इन उद्योगों को बढ़ाया जा सके और शहर के लोगों के लिए अधिक आर्थिक अवसर विकसित किए जा सकें। इस योजना को लागू करने से शहर को एक उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया में विशेषज्ञ बनाने में मदद मिलेगी और अंततः ब्रांडिंग, विपणन समर्थन और आसान ऋण के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मान्यता हासिल करने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली भूमि प्रोत्साहन एक जिला एक उत्पाद योजना के प्राविधानों के तहत होंगे

#### 10.3.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

बस्ती पुनरीक्षित महायोजना-2031 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2016 के प्राविधानों को मानते हुए ही प्रस्ताव दिए गये हैं। जिसमें पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी जल-निकायध्वजलाशय, निचली ढलान वाले क्षेत्र में प्रस्ताव नहीं दिए गये हैं। ठोस अपशिष्ट डिस्पोजल साईट के निर्माण हेतु भौतिक परिक्षण उपरांत कृषि भू-उपयोग में अनुमन्य किया गया है। वर्तमान समय में डिस्पोजल साईट ग्राम कोईलपुरा जो की बस्ती विकास क्षेत्र से बाहर स्थित है।

#### 10.3.4 औद्योगिक नीति

शासन द्वारा घोषित औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए बस्ती महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशनस मैट्रिक्स में औद्योगिक क्रियाएं/उपयोग के

अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी / साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क / प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज को विभिन्न भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

### 10.3.5 आईटी स्टार्ट-अप नीति

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट अप नीति में शामिल है। आईटी मूलभूत संरचना का विकास मानव पूंजीधकोशल विकास प्रोत्साहन उद्योग सुविधा यह नीति आईटी से संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है, मानव पूंजी विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करता है, सर्वोत्तम वित्तीयधौर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने पर केन्द्रित है और उससे भी बेहतर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बेहतर शासन पर बल देती है। नीति के अनुसार आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन स्वीकार्य हैं 3 साल के भीतर संचालन शुरू करने की शर्त के साथ आईटी/आईटीईएस उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय की जगह/भवन की खरीद/पट्टे पर स्टांप शुल्क में 100% छूट। अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर भुगतान की गई ब्याज दर पर 7 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष की ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति अधिकतम रु. 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति यूनिट। क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएम) स्तर 2 ऊपर की ओर, सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001] सेवा प्रबंधन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000] सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से संबंधित प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक हासिल करने पर राज्य में काम कर रही एक आईटी /आईटीईएस कंपनी द्वारा व्यय की गई लागत की प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्रों का अधिकतम प्रतिपूर्ति, 25 लाख प्रति इकाई की कुल सीमा के साथ। व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद लगातार 1 साल तक रोजगार के साथ उत्तर प्रदेश के आईटी/आईटीईएस पेशेवरों के लिए भुगतान की गई कुल कर्मचारी भविष्य निधि राशि की 100% प्रतिपूर्ति, प्रत्येक इकाई के लिए 5 साल के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख रुपये के अधीन।

आईटी शहरों/आईटी पार्कों में स्वतंत्र फीडर पर स्थापित आईटी इकाइयों को राज्य उपयोगिता से निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। अलग फीडर और अलग ट्रांसमिशन लाइन के प्रावधान की लागत विकासकर्ता द्वारा वहन की सीमा के अधीन।

### 10.3.6 सौर ऊर्जा नीति

सौर ऊर्जा ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है और इसे गैर-नवीकरणीय स्रोतों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। बस्ती के लोगों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उ.प्र. सौर ऊर्जा नीति का उपयोग किया जा सकता है। प्राधिकरण शहर के भीतर सौर छत परियोजनाओं, सौर स्ट्रीट लाइट, सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंप सेट, किसी भी अन्य ऑफ ग्रीड सौर उत्पाद के विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही प्राधिकरण पीपीपी मोड पर सोलर पार्क स्थापित कर सकता है।

### 10.3.7 वर्षा जल संचयन

जीवन एवं पर्यावरण के अस्तित्व के लिए जल एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है परन्तु ग्राउण्ड वाटर स्रोत के अनियोजित ढंग से मनमानी मात्रा में अति दोहन के कारण ग्राउण्ड वाटर स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है तथा शहरों की बढ़ती हुई आबादी को समुचित पेयजल की व्यवस्था प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा है।

ऐसी स्थिति में यदि पेयजल के उपयोग एवं ग्राउण्ड वाटर स्रोतों के संरक्षण, मितव्ययिता, जल प्रयोग तथा रिचार्जिंग में समुचित जल-प्रबन्धन द्वारा संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पेयजल का भारी संकट उत्पन्न होने की आशंका है। इसलिए जल संसाधन की संरक्षा एवं सुरक्षा हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल और कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-3348/आठ-1-10-17विविध/03टी.सी.-1, दिनांक- 05.08. 2010 में दिये गये प्राविधानों के अधीन विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित प्राकृतिक जलाशयों, नालों एवं झीलों आदि को चिन्हित कर यथावत् प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासनादेश के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकित एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों को भी महायोजना के क्रियान्वयन के समय संरक्षित किया जायेगा। एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के जलाशयों के चारों ओर 10 मी0 चौड़ी हरित पट्टिका भी विकसित की जायेगी।

पार्कों में पक्का निर्माण (पक्के पेवमेन्ट सहित) 5 प्रतिशत से अधिक न किया जाय तथा फुटपाथ एवं ट्रेक्स यथासंभव पर्मीयेबल अथवा सेमीपर्मीयेबल परफोरेटेड ब्लाक के प्रयोग से ही बनाया जाये।

सड़कों/पार्कों तथा खुले स्थानों में वृक्षारोपण हेतु ऐसे पौधों/वृक्षों की प्रजातियों का चयन किया जाय जिनको जल की न्यूनतम आवश्यकता हो ताकि ग्रीष्म ऋतु में भी हरे-भरे रह सकें। यथा संभव मार्गों के किनारों ब्रिक ओन ऐज/लूज स्टोन/इन्टरलॉकिंग टाइल्स पेवमेन्ट का प्रावधान किया जाय ताकि

भू-जल की रिचार्जिंग सम्भव हो सके।

### 10.3.8 पर्यटन नीति

प्रदेश में शासन द्वारा पर्यटन अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु घोषित उ0प्र0 पर्यटन नीति-1998 के अन्तर्गत निहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के प्रमुख मार्गों के चौड़ीकरण का बस्ती महायोजना-2031 में प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु

मार्गों का विकास/सौन्दर्यीकरण, पार्कों-चौराहों का विकास/सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन उद्योग के विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने सम्बन्धी विस्तृत कार्य योजना/प्रस्ताव जोनल डेवलपमेंट प्लान में समाहित किया जायेगा।

### 10.3.9 कपड़ा नीति

नीति का उद्देश्य कपड़ा निर्माण मूल्य श्रृंखला की सभी उप-शाखाओं अर्थात् है। रेशम उत्पादन (चाकी और कोया उत्पादन सहित), रीलिंग, हथकरघा, कताई, बुनाई, बुनाई, बनावट, रंगाई, प्रसंस्करण, परिधान (अर्थात् परिधान निर्माण, कढ़ाई, कढ़ाई वाले कपड़े, मेड-अप, घरेलू वस्त्र, फैशन के सामान, चमड़े के वस्त्र और सहायक वस्तुएं), और सभी प्रकार के तकनीकी वस्त्र और जूट उत्पाद को प्रोत्साहित करना है। उद्योग जगत को गुणवत्तापरक एवं उच्च स्तरीय विश्वसनीय आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

यह निम्नलिखित विधियों से किया जाएगा।

- 1- सरकारी अभिकरणों द्वारा भूमि का आवंटन
- 2- निजी कपड़ा उद्योग इस्टैट या पार्कों को प्रोत्साहित करना
- 3- उपयोग करने के लिए तैयार लगाओ और चलाओ आधारभूत संरचना प्रदान करना
- 4- कर्मचारी क्वार्टरों/छात्रावासों/डॉरमेट्री के लिए प्रोत्साहन

### 10.3.10 वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी

उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में लगभग 8% का योगदान देने वाली तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 200 मिलियन से अधिक आबादी सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है, इसलिए लॉजिस्टिक्स उद्योग ने बढ़ने के लिए राज्य में अपने पैर जमा लिये हैं। उत्तर प्रदेश में तीव्र गति से हो रहे औद्योगीकरण राज्य में अधिक परिष्कृत लाजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे की उच्च मांग पैदा कर रहा है। जीएसटी के साथ, भारत एक एकीकृत बाजार बन गया है, और उत्तर प्रदेश में देश के विनिर्माण और भंडारण केंद्र के रूप में उभरने के लिए अनेक संभावनाएं हैं। जिससे राज्य में एक मजबूत वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स ढांचे का जरूरत है गया। नीति का उद्देश्य राज्य में पीछे की ओर सम्पर्क के साथ लाजिस्टिक्स सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा राज्य के बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार शामिल है, ताकि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। नीति का उद्देश्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रों के हितों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह पाया गया कि बस्ती में गोदाम और रसद के विकास की भी संभावना है। अतः इस नीति की सहायता से मौजूदा गोदाम को उन्नत किया जा सकता है और मांग के अनुसार नए लॉजिस्टिक हब की संभावनाशिल स्थापना की जा सकती है।

### 10.3.11 विकास अधिकार का हस्तांतरण

विकास का हस्तांतरण अधिकार अथवा ट्रांसफर आफ डेवलपमेंट राइट से तात्पर्य ऐसे (टीडीआर) है, जिसे किसी स्थल, या भूखंड का स्वामी महायोजना के अनुसार सार्वजनिक उद्देश्य अथवा सड़क के चौड़ीकरण, मनोरंजन उपयोग क्षेत्र, आदि के लिए अलग रखे जाने के लिए वांछित भूमि शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिका निकाय शहरी सुधार न्यास नगर विकास प्राधिकरण को निशुल्क समर्पित कर देने के कारण भूमि से वंचित हो जाने के बदले या तो बेच सकता है अथवा उसी स्थलपर अन्यत्र उपयोग में ला सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। टीडीआर प्रमाणपत्र में अन्य बातों के साथ-साथ सरेंडर किए गए क्षेत्र और सर्कल रेट के अनुसार उस क्षेत्र की लागत का उल्लेख होना चाहिए। इन प्रमाणपत्रों को समय-समय पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए भवन उप-नियमों या टीडीआर दिशानिर्देशों के अनुसार अथवा भवन उप-विधि के तहत विनियमित किया जाता है।

टीडीआर भूमि विकास की एक तकनीक है, जो किसी भूमि विशेष की विकास क्षमता को इससे अलग करती है और शहर के परिभाषित क्षेत्रों के भीतर कहीं और इसके उपयोग की अनुमति देती है। यह

मालिक को भूमि के एक विशेष पार्सल के विकास अधिकारों को दूसरे को बेचने की अनुमति देता है। यह पात्रता प्रचलित कानूनों और विनियमों के अनुसार भूखंड प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सामान्य एफएसआई से अधिक है, जो एक जमींदार को अपने मौजूदा भवन या खाली भूमि पर अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र का निर्माण करने का अधिकार देता है।

यह आम तौर पर आंतरिक-शहर क्षेत्रों के पुनर्विकास और पुनर्निर्माण-पुनर्विकास के लिए उपयोग किया जाता है और कई शहरों राज्यों में इसका परीक्षण किया गया है।

शासन द्वारा जारी विकास प्राधिकरण (हस्तान्तरणीय विकास अधिकारों की अनुज्ञा) उपविधि, 2022 के प्रविधानों के अनुसार ट्रांसफरबल डेवलपमेंट राइट्स देय होगा।

#### 10.3.12 फिल्म नीति:

शासन द्वारा घोषित उ0प्र0 फिल्म नीति में छविगृहों को उद्योग का दर्जा प्रदान करते हुये फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाओं के प्राविधान किये गये हैं। इन प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए नगर के वर्तमान में स्थित सिनेमाघरों/मल्टीप्लेक्सेज निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक क्रियाएं/उपयोग के अन्तर्गत सिनेमा/मल्टीप्लेक्स हेतु विभिन्न भू-उपयोगों में आवश्यकतानुसार निर्माण की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

#### 10.3.13 आपदा प्रबन्धन नीति:

शासन द्वारा घोषित आपदा प्रबन्धन नीति के सन्दर्भ में गोरखपुर नगर को प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकम्प जैसी त्रासदी से सुरक्षित रखने की दृष्टि से महायोजना में भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं की संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक प्राविधान सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश संख्या: 570/9-आ-1-2001(आ0ब0) दिनांक-03 फरवरी, 2001, 772/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी/2001(आ0ब0) दिनांक-13.02.2001 एवं 3751/9-आ-1-2001-भूकम्परोधी 2001 (आ0ब0) दिनांक-20.07.2001 के अधीन निहित प्राविधानों यथा-भारतीय मानक संस्थान के कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड, अग्निशमन से सम्बन्धित प्राविधान तथा अन्य सुसंगत गाइड लाइन्स इत्यादि को अपनाने के उपरान्त ही विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुज्ञा दी जायेगी।

#### अन्य विषयों पर नीति निर्धारण:

महायोजना में प्रस्तावित भू-उपयोगों, शासन द्वारा निर्गत नीतियों एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव महायोजना में दिये गये हैं। जिन नीतिगत विषयों पर वर्तमान में प्राविधान विद्यमान हैं किन्तु जिनका नीति निर्धारण में समावेश/उल्लेख नहीं हो पाया है अथवा नीतिगत विषयों पर शासन द्वारा भविष्य में नीतिगत प्राविधान निर्गत किये जाते हैं तो शासन के निर्देशानुसार सम्बन्धित अभिकरण द्वारा नियमानुसार अंगीकार किए जाने की स्थिति में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त महायोजना में निर्दिष्ट नीतिगत प्राविधान उस सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

#### 10.4 नियोजन खण्ड

बस्ती विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सम्पूर्ण विकास क्षेत्र को 7 नियोजन खंडों में विभक्त किया गया है। नियोजन खंडों से संबंधित मानचित्र प्रतिवेदन में संलग्न हैं। इन नियोजन खंडों की विस्तृत क्षेत्रीय योजनाएँ महायोजना प्रस्तावों के अनुरूप तैयार की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित नियोजन खंड एवं उनका क्षेत्रफल निम्न तालिका में दर्शित है

क्रमांक	जोन	क्षेत्रफल(हेक्टेर)
1	जोन 1	956
2	जोन 2	809
3	जोन 3	1214
4	जोन 4	969
5	जोन 5	325
6	जोन 6	939
7	जोन 7	753

### 10.5 चरणबद्ध विकास

बस्ती नगर की महायोजना के प्रस्तावों के अनुरूप नियोजित विकास को सुनिश्चित करने हेतु विकास की प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। महायोजना पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। महायोजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्र के जोनल प्लान तैयार किए जाने होंगे। विकास के प्रारम्भिक समय पर ही यदि इन क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार कर विकास को नियोजित दिशा प्रदान की जाए तो वहाँ पर अनाधिकृत निर्माण पर समुचित नियंत्रण हो पाएगा। इसके दृष्टिगत जोनल प्लान निम्नलिखित चरणों में तैयार किए जाने का प्रस्ताव है –

प्रथम चरण – जोन संख्या 1,2,3,7 द्वितीय चरण – जोन संख्या 4,5,6

### 10.6 स्ट्रैटेजिक प्लान एवं वित्त पोषण

बस्ती शहर के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। प्रस्तावित की गई परियोजनाओं का विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है। बस्ती विकास प्राधिकरण हेतु वर्तमान में चल रही परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है :-

वर्तमान में बस्ती विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत करायी जा रही परियोजनायें				
1	2	3	4	5
क्र. सं.	विभाग का नाम	परियोजना/कार्य का नाम	स्वीकृत लागत (रु० करोड़ में)	कार्य समाप्ति की तिथि
<b>(1) कार्यदायी संस्था का नाम-यू०पी०सिडको० बस्ती</b>				
1	राजस्व विभाग	कलेक्ट्रेट	16.02	31.12.2022
2	खाद्य एवं रसद विभाग	बस्ती मण्डल बस्ती के ग्राम अमौली तहसील सदर बस्ती में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	23.25	31.03.2024
<b>(2) कार्यदायी संस्था का नाम-सी०डी०एस०</b>				
3	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजकीय इंजीनियरिंग कालेज बस्ती।	43.46	31.12.2023
<b>(3) कार्यदायी संस्था का नाम-उ०प्र० पुलिस आवास निगम लि० निर्माण ईकाई, गोरखपुर</b>				
4	गृह विभाग	जनपद बस्ती के पुलिस लाइन में ट्रांजिट हास्टल(जी 8) का निर्माण कार्य	14.77	31.03.2023
<b>(4) कार्यदायी संस्था का नाम-लोक निर्माण विभाग, बस्ती</b>				
5	लो०नि० वि० बस्ती	जनपद-बस्ती में बड़ेवन चौराहे से कम्पनी बाग चौराहे तक मार्ग (शहरी भाग) का 2 लेन से 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	16.58	30.06.2024
6	लो०नि० वि० बस्ती	बस्ती महसो महुली मार्ग डारीडीहा से बाबा भदेश्वरनाथ मन्दिर(तीर्थ स्थल) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य	4.33	31.03.2023
7	निर्माण खण्ड-1 लो०नि० वि०	जनपद-बस्ती के निर्माण खण्ड-1 लो०नि०वि० के अन्तर्गत श्रेणी-3 के 12 एवं श्रेणी-4 के 06 आवास का निर्माण कार्य।	4.96	3.03.2024

(5) अवस्थापना निधि से बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये कार्य। (रु० लाख में)				
8	बस्ती विकास प्राधिकरण	शास्त्री चौक के रिमॉडलिंग एवं उस पर 100 फिट उंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना का कार्य	33.62	27.02.2021
9	बस्ती विकास प्राधिकरण	रेलवे स्टेशन तिराहे से पूर्वी केविन सुगर मिल तक हाट-मिक्स प्लांट से सड़क सुधार का कार्य।	226.54	नवम्बर, 2023
10	बस्ती विकास प्राधिकरण	बस्ती महसों महुली मार्ग पर श्री सुनील मौर्या के घर से डारीडीहा नाला तक नाला निर्माण कार्य।	55.82	31.01.2024
11	बस्ती विकास प्राधिकरण	पचपेड़िया पुलिया के आगे से देलही पब्लिक स्कूल होते हुये डूडा कार्यालय तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	26.27	30.11.2022
12	बस्ती विकास प्राधिकरण	कोतवाली के सामने(उद्योग विभाग) के बगल नाला निर्माण।	36.00	30.11.2022
13	बस्ती विकास प्राधिकरण	खीरीघाट भटोलवा स्थित बुद्ध नगर बोर्ड से मडवानगर चौराहे को जोड़ने वाली सड़क तक नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	18.62	13.11.2022
14	बस्ती विकास प्राधिकरण	पचपेड़िया मार्ग से श्री लालशंकर श्रीवास्तव के घर के सामने से बेसिल रोड पर सी०सी० तथा नाली निर्माण कार्य।	4.28	13.10.2022
15	बस्ती विकास प्राधिकरण	मडवानगर में अम्बेडकर पार्क से लेकर नेशनल हाइवे के सर्विस रोड तक 400 मीटर सी०सी० रोड का कार्य।	64.29	नवम्बर, 2023
16	बस्ती विकास प्राधिकरण	मडवानगर काली माता मंदिर से मडवानगर चौराहे तक इण्टरलाकिंग कार्य।	33.05	30.11.2022
17	बस्ती विकास प्राधिकरण	बस्ती दीवानी कचेहरी चौराहे से अटल बिहारी प्रेक्षागृह के सामने होते हुए अमहट शास्त्री चौक को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य।	48.97	31.01.2024
18	बस्ती विकास प्राधिकरण	बैरिहवां मोहल्ले में वेडिंग विला मैरिज हॉल से फूलचन्द्र श्रीवास्तव के घर होते हुए रमेशचन्द्र श्रीवास्तव के घर तक इण्टर लाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	20.38	31.01.2024
19	बस्ती विकास प्राधिकरण	महसों रोड से प्रजापति ब्रम्हाकुमारी भवन की एप्रोच रोड का निर्माण किया जाना।	19.74	दिसम्बर, 2023
20	बस्ती विकास प्राधिकरण	कुआनो नदी स्थित अमहट पार्क को "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" की थीम पर लौह पुरुष सरदार पटेल का म्यूरल स्थापित किये जाने का कार्य।	17.93	31.01.2024
21	बस्ती विकास प्राधिकरण	शास्त्री चौक पर चर्च के पास रिक्त भूमि पर "शक्ति चौक" विकसित किया जाना।	16.94	दिसम्बर, 2023

22	बस्ती विकास प्राधिकरण	शास्त्री चौक के पास पराग बूथ के पास रिक्त पड़ी भूमि पर "समृद्धि चौक" का विकास कार्य।	15.55	दिसम्बर, 2023
23	बस्ती विकास प्राधिकरण	आवास विकास कालोनी के निकट प्रेम सागर तिवारी के घर से राघवेन्द्र द्विवेदी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली का कार्य।	11.39	दिसम्बर, 2023
24	बस्ती विकास प्राधिकरण	अमहट पार्क (कुआँनो नदी के निकट) पार्क में प्रस्तावित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मूर्ति स्थापना(मूर्ति अतिरिक्त) हेतु पेडेस्टल का निर्माण कार्य।	2.00	अक्टूबर,2023

**वर्तमान में चल रही परियोजनाएं और वित्तीय आवंटन**

	कार्य का नाम	लागत (लाखमें)	लंबाई (मीटरमें)
1	वार्ड-4 में पांडे बाजार के गिरिधारी हाउस से लेकर संपत हाउस होते हुए किशोरी लाल हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 5.75 लाख, लम्बाई 70 मीटर	5.75	70
2	वार्ड-11 में पठान टोला के शमीम हाउस से नदीम रामजी हाउस होते हुए दूध नाथ कहाउस तक इंटरलॉकिंग रोड आच्छादित निकासी कार्य। लागत 5.11 लाख, लम्बाई 80 मीटर	5.11	80
3	वार्ड-15 में पिकौरा दत्तुराई में जगराम चौधरी हाउस से लेकर राजेंद्र चौधरी हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित निकासी कार्य। लागत 3.34लाख, लम्बाई 43 मीटर	3.34	43
4	वार्ड-3 में मनोज सोनकर दुकान से दक्षिण दरवाजा अस्पताल चौराहा मुख्य मार्ग मुरली जोत से श्री हंसस्वीट तक आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 8.27लाख, लम्बाई 80 मीटर	8.27	80
5	वार्ड-19 में डीकेपी शुक्ला दुकान, ओरिजोट में पुलिया निर्माण कार्य लागत 4.98 लाख, लम्बाई 6 मीटर	4.98	6
6	वार्ड-5 में द्विजेश रोड पच पीड़िया नगर पालिका सीमा पुलिया, तक मरम्मत कार्य पिकोरा शिव गुलाम लागत 19.91लाख, लम्बाई 486 मीटर	19.91	486
7	वार्ड-24 में राजा राम यादव हाउस कटारा से सरदार पेट्रोल पंप के रास्ते मुख्य नाले तक ड्रेनेज का काम लागत 14.47 लाख, लम्बाई 125 मीटर	14.47	125
8	वार्ड-3 में शौकत अली हाउस, मुरली जोत से अकबर अली हाउस होते हुए अलादीन हाउस तक इंटर लॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 3.99 लाख, लम्बाई 60 मीटर	3.99	60
9	वार्ड-4 में मदन लाल बनवारी लाल हाउस, बंसी रोड, पांडे बाजार से नरेंद्र कुमार जायसवाल हाउस वाया नवीन शुक्ला हाउस तक	9.82	128

	कार्य का नाम	लागत (लाखमें)	लंबाई (मीटरमें)
	इंटरलॉकिंग रोड बांसी रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 9.82लाख, लम्बाई 128 मीटर		
10	वार्ड-5 में गोल्डन बेकरी, पिकौरा शिव गुलाम से दक्षिण दरवाजा मस्जिद तक आच्छादित जल निकासी कार्य लागत 5.7लाख, लम्बाई 80 मीटर	5.7	80
11	वार्ड-5 में, पिकौरा शिव गुलाम मंगला महाकाली मंदिर से सुमन श्रीवास्तव हाउस वाया हेमंत मिश्रा प्लाट तक इंटरलॉकिंग रोड एवं जल निकासी का कार्य लागत 8.07 लाख, लम्बाई 90 मीटर	8.07	90
12	वार्ड-6 में नवीन मंडी के बगल में रेलवे स्टेशन मेन रोड चिकवा टोला से बाला जी प्रकाश बाउंड्री तक सड़क का कार्य। लागत 8.8लाख, लम्बाई 186 मीटर	8.8	186
13	वार्ड-7 में चरणजीत भाटिया हाउस, राजा बाजार सुरतिहट्टा से निर्मली कुंड, दक्षिण सीमा वाल होते हुए संतराम हाउस तक आरसीसी जल निकासी का काम लागत 5.96लाख, लम्बाई 150 मीटर	5.96	150
14	वार्ड-7 में मन्नु यादव हाउस, राजा बाजार सुरति हट्टा सेबाथू हाउस तक आरसीसी की दीवार व इंटरलॉकिंग रोड की मरम्मत का कार्य लागत 4.98 लाख, लम्बाई 45 मीटर	4.98	45
15	वार्ड-8 में आजाद शुक्ला हाउस, तुर्करिया से मोनू तिवारी हाउस तक इंटरलॉकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 5.92 लाख, लम्बाई 65 मीटर	5.92	65
16	वार्ड-8 में नर्मल स्कूल के बगल में सीसी रोड मरम्मत कार्य, गंडा नालरोड तुर्करिया से राजकुमार पाल हाउस लागत 13-79 लाख, लम्बाई 400 मीटर	13.79	400
17	वार्ड-11 में राधा कृष्ण मंदिर पठान टोला से राज भवन वाया मोहराली हाउस तक हॉटमिक्सप्लांट के माध्यम से सड़क मरम्मत का कार्य लागत 11.31 लाख, लम्बाई 500 मीटर	11.31	500
18	वार्ड-13 में केंद्रीय अकादमी विद्यालय मोहरिखवा के बगल में आरसीसी ड्रेनेज वॉल का कार्य लागत 6.45लाख, लम्बाई 35 मीटर	6.45	35
19	वार्ड-19 में राजेंद्र गौड़ हाउस, जैपुरवा ओरीजोत से अशोक चौधरी हाउस तक और सुरेश चौधरी हाउस से डब्लू हाउस तक इण्टरलाकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी का कार्य लागत 8.75 लाख, लम्बाई 177 मीटर	8.75	177

	कार्य का नाम	लागत (लाखमें)	लंबाई (मीटरमें)
20	वार्ड-23 में महेन्द्र सिंह प्लॉट, आवास विकास से लेकर ज्योति पब्लिक स्कूल तक और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 9.87लाख, लम्बाई 145 मीटर	9.87	145
21	वार्ड-24 में सतेंद्र सिंह हाउस कटरा से वीरेंद्र तिवारी हाउस से होकर जे.पी. यादव हाउस तक इंटरलाकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य लागत 9.43 लाख, लंबाई 120 मीटर	9.43	120
22	वार्ड-25 में सुलेह भाई हाउस, पिकौरा बक्स से पर वेजफासी हाउस तक इंटरलाकिंग रोड और आच्छादित जल निकासी कार्य। लागत 4.69 लाख, लम्बाई 34 मीटर	4.69	34

तालिका 56 बस्ती में चल रही परियोजनाओं की सूची

वर्तमान में चल रही परियोजनाएं

अनुक्रमांक	परियोजनाओं का नाम	क्षेत्रफल (वर्गमीटरमें)	लागत
1	कटेश्वर पार्क	7767	3.60 करोड़
2	टीवीटॉवर पार्क	2565	0.41 करोड़
3	शिव कॉलोनी पार्क	8235	18.41 लाख
4	विष्णुदास पोखरा पार्क	6125	22.22 लाख
5	अटल बिहारी पार्क (आवास विकास)	900	52.82 लाख

तालिका 57 चालू परियोजनाओं की सूची

स्रोत : बस्ती नगर पालिका 2020

## 11 जोनिंग नियम

### परिचय

#### 11.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू-उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि, आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू-उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई योजनाओं में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन-स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

#### 11.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, समाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परीपेक्ष्य में अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किये जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किये गये हैं। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं (Salient features) निम्न प्रकार हैं:-

- (i) परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू-उपयोग जोंस में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतिकरण (Matrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User-friendly बनाया गया है।
- (ii) विद्यमान महायोजनाओं में अपनाई गयी परम्परागत “Regimented” भू-उपयोग पद्धति के स्थान पर “Flexible” एवं “मिश्रित भू-उपयोग” कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरो के गतिशील विकास में प्रोत्साहन स्वरूप होगा।
- (iii) जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गयी है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।
- (iv) जोनिंग रेगुलेशन्स में “फ्लोटिंग” भू-उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है, जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं हैं, को भविष्य में गुण-अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (v) प्रमुख भू-उपयोग जोंस में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किये जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति करने के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था की गयी है।

#### 11.3 विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा श्रेणियाँ

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की निम्न अनुज्ञा श्रेणियाँ होंगी:-

##### (क) अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों के अनुषांगिक होंगे तथा सामान्यतः अनुमन्य होंगे।

##### (ख) सशर्त अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो कार्यपूर्ति के आधार पर सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोगों में अनिवार्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य होंगे। अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध भाग-3 में दिए गए हैं।

##### (ग) सक्षम प्राधिकारी की विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो आवेदन किए जाने पर निर्माण के प्रकार के संदर्भ में अवस्थापनाओं की संरचना तथा आस-पास के क्षेत्र पर पड़ने वाले पर्यावरण प्रभाव, आदि अर्थात् गुण-दोष को दृष्टिगत रखते हुए

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से अनुमन्य होंगे। विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं भाग-4 में दी गई हैं।

#### (घ) निषिद्ध उपयोग

वह क्रियाएं/उपयोग जो सम्बन्धित प्रमुख भू-उपयोग जोन में अनुमन्य नहीं होंगे। निषिद्ध क्रियाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त ऐसी सभी क्रियाएं तथा विकास/निर्माण कार्य जो प्रमुख उपयोग के अनुषांगिक नहीं हैं अथवा उपरोक्त (क), (ख) अथवा (ग) श्रेणी के अनुमन्य क्रियाओं की सूची में शामिल नहीं हैं, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### 11.4 फ्लोटिंग उपयोग

महायोजना लागू होने के उपरान्त प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में कतिपय क्रियाएं/उपयोग नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किए जाते हैं जो समय की माँग के अनुसार व्यवहारिक होते हैं, परन्तु महायोजना अथवा जोनिंग रेगुलेशन्स में परिकल्पित नहीं हैं। इस प्रकार के उपयोगों में बस/ट्रक/रेल/हवाई टर्मिनल, थोक मार्केट काम्पलेक्स, सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सेवाएं यथा विद्युत् सब-स्टेशन, ट्रीटमेंट प्लान्ट्स, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को अनुमन्य किए जाने हेतु कई बार अधिनियम के अन्तर्गत भू-प्रयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाया जाना अपरिहार्य हो जाता है जो अन्यथा प्रत्येक मामले में औचित्यपूर्ण न हो। अतः आवश्यकतानुसार ऐसी क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता हेतु "फ्लोटिंग उपयोग" (Floating Use) कान्सेप्ट अपनाया गया है।

"फ्लोटिंग उपयोग"/क्रियाओं की जानकारी विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी और उस उपयोग की प्रकृति तथा उसके कार्यपूर्ति मापदण्ड (Performance Standard) से ही तय हो सकेगा कि उसे किस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य किया जाए। "फ्लोटिंग उपयोग" कान्सेप्ट अपनाए जाने के फलस्वरूप जोनिंग प्रणाली में Flexibility रहेगी। इसका यह भी लाभ होगा कि किसी एक भू-उपयोग जोन में नॉन-कान्फार्मिंग उपयोगों का केन्द्रीयकरण नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त "फ्लोटिंग" उपयोग के फलस्वरूप किसी भू-उपयोग जोन की प्रधान प्रकृति (Dominant Character) पर पड़ने वाले कुप्रभाव अथवा होने वाले ह्रास पर अंकुश लगाने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में अवस्थापनाओं पर अनावश्यक दबाव को नियन्त्रित रखने हेतु यह प्राविधान किया गया है कि फ्लोटिंग उपयोग यदि उस जोन में सामान्यतः अनुमन्य नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्यता के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

#### 11.5 विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन

जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सूचीबद्ध विभिन्न भू-उपयोग जोन्स के अतिरिक्त नगर विशेष की स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट क्षेत्र/हेरिटेज जोन निर्धारित किए जा सकते हैं। इनके अन्तर्गत ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्मारक एवं वास्तुकलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक दृष्टि से संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र (यथा कुम्भ मेला, आदि) अथवा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं जिनके स्वरूप को विकृत होने से बचाया जाना आवश्यक है। ऐसे क्षेत्र चूंकि समस्त नगरों में विद्यमान नहीं हैं, अतः जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों/हेरिटेज जोन हेतु अलग से उपयोग जोन की श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है। वर्णित स्थिति में यह आवश्यक है कि नगर विशेष की महायोजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक चिन्हित किया जाए और उनके अन्तर्गत अनुमन्य उपयोगों/क्रियाओं की अनुज्ञा हेतु उस भू-उपयोग के स्वरूप तथा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्राविधान किए जाएं। यदि ऐसे क्षेत्र महायोजना में पहले से ही चिन्हित हैं, तो उनके प्रस्तावों को इन जोनिंग रेगुलेशन्स में यथावत् समायोजित किया जा सकता है।

#### 11.6 रेन वाटर हार्वेस्टिंग

ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं/जोन्स डेवलपमेंट प्लान्स में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत एक एकड़ एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के प्राकृतिक जलाशय, तालाब व झील, आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यथावत अथवा उसके अनुषांगिक रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो। ऐसे समस्त जलाशयों, तालाबों, झीलों, आदि को

उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर महायोजना/जोनल प्लान/ले-आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

### 11.7 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक क्रियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे। ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। यदि निम्न भू-उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा "प्रभाव शुल्क" (Impact Fee) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद के अवस्थापना विकास फन्ड में जमा किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू-उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली, 2014 में एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार प्रभाव शुल्क वसूल किया जायेगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु उक्त नियामावली में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स का "निम्न" से "उच्च" क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-6 में दी गई है।

**प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :-**

- (i) निर्मित क्षेत्र में "सामान्यतः अनुमन्य" एवं "सशर्त अनुमन्य" अथवा "विशेष अनुमति से अनुमन्य" क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
- (ii) आवासीय भू-उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं/क्रियाओं हेतु,
- (iii) विभिन्न प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से (अधिकतम समय सीमा एक सप्ताह) अनुमन्य की जाने वाली क्रियाओं/उपयोगों हेतु,
- (iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों-पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति, आदि के अधीन जिन क्रियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स, तीन स्टार के होटल तथा पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयां/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क।

### 11.8 अनुज्ञा की प्रक्रिया

1.8.1. प्रमुख भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग (भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समयावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरांत ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

1.8.2. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य क्रियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,
2. विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
3. अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

1.8.3. जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकेगी।

## 11.9 अन्य अपेक्षाएं

- 1.9.1. महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी क्रिया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस क्रिया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।
- 1.9.2. महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं से सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, क्रीड़ा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग वही रहेगा भले ही महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।
- 1.9.3. यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा।
- 1.9.4. प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

## 11.10 परिभाषाएं

- 1.10.1. इन रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास प्राधिकरण बोर्ड से है।
- 1.10.2. "निर्मित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है जिन नगरों की महायोजनाएँ नहीं बनी हैं अथवा "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित नहीं है, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जायेगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित किया जायेगा। जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यवसायिक, औद्योगिक, निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें आवश्यक सुविधाओं यथा सड़को, जल सम्भरण, मल प्रवाहण, विद्युत आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गयी हो।
- 1.10.3. "विकासशील/अविकसित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर, परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत

## 11.11 भू-उपयोग परिसरों/क्रियाओं की परिभाषाये

2.1 आवासीय		
2.1.1	भूखण्डीय आवास	वह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ (भूखण्डीय आवास) हों।
2.1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन होगा एवं प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते की भागीदारी एवं सह-स्वामित्व होगा।
2.1.3	आनुषांगिक कर्मचारी आवास	वह परिसर जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय इकाईयाँ का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो।
2.1.4	चौकीदार/ संतरी आवास	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप-उपयोग की सुरक्षा एवं रख-रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।
2.2 वाणिज्यिक		
2.2.1	फुटकर दुकानें	वह परिसर जहां आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
2.2.2	डिपार्टमेंटल स्टोर	वह परिसर जहां विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही छत के नीचे खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होते हैं।
2.2.3	शापिंग सेन्टर/शापिंग कम्पलेक्स	वह परिसर जहां फुटकर एवं सेवा सम्बन्धी दुकाने सेक्टर/नेबरहूड को सेवित करती है।
2.2.4	शापिंग मॉल	वह परिसर जहां एक ही काम्पलेक्स में विविध वाणिज्यिक क्रियाएं यथा शोरूम, रिटेल आउटलेट्स, फ़ैक्टरी आउटलेट्स, होटल, रेस्तरां, फूड कोर्ट, आदि तथा मनोरंजन क्रियाएं आदि अनुमन्य होंगी।

2.2.5	शो-रूम (मोटर वाहनो के अतिरिक्त)	वह परिसर जहां वस्तुओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.2.6	मोटर वाहनों के शो-रूम/कार्यशाला	वह परिसर जहां मोटर वाहनों का क्रय विक्रय, उपभोक्ताओं को प्रदर्शित करने हेतु वाहनो का शोरूम एवं उनका संग्रह उनकी सर्विसिंग/मरम्मत की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.2.7	मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट की बिक्री हेतु दुकानें	वह परिसर जहां मोटर वाहनों के स्पेयर पार्ट की बिक्री की जाती है।
2.2.8	थोक मण्डी/थोक व्यापार	वह परिसर जहां माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती हैं। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
2.2.9	नीलामी बाजार	ऐसा परिसर जहाँ विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नीलामी के माध्यम से केवल खरीदने व बेचने के लिए लायी जाती हैं। ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भण्डारण अनुमन्य नहीं होता तथा यह स्थान पूर्णतया खुले रूप में होता है जिसमें केवल एक संचालन कक्ष हो सकता है।
2.2.10	बेकरी एवं कन्फेक्शनरी	वह परिसर जहां पर ब्रेड, सूखा मेवा, बिस्कूट आदि की सीधे उपभोक्ता को विक्रय किया जाता है।
2.2.11	आटा चक्की	वह परिसर जहां गेहूँ, मसालों, इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार किया जाता हो।
2.2.12	कोयला तथा लकड़ी के टाल	वह परिसर जहां पर ईंधन के लिए कोयला तथा लकड़ी का विक्रय किया जाता है।
2.2.13	कृषि उपजो के विक्रय केन्द्र	वह परिसर जहां पर कृषि उत्पादो का विक्रय किया जाता है।
2.2.14	शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)	वह परिसर जहां आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
2.2.15	रिसार्ट	नगरी क्षेत्र के बाहर स्थित वह परिसर जहां लोगो के ठहरने, खाने-पीने एवं मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध हो।
2.2.16	होटल	वह परिसर, जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
2.2.17	बैंक्वेट हाल	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों, व्यवसायिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए व्यवसायिक आधार पर किया जाता है।
2.2.18	मोटल, वे साइड रेस्तरां, ढाबा	वह परिसर जो मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहां यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान-पान का प्रबन्ध तथा वाहनो के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
2.2.19	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैन्टीन	वह परिसर जिसे कुकिंग सुविधाओं सहित व्यवसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान, आवृत्त या खुला अथवा दोनों प्रकार का हो सकता है।
2.2.20	कैन्टीन	वह परिसर जिसे संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
2.2.21	सिनेमा	वह परिसर जिसमें दर्शकों के बैठने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रदर्शन सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.2.22	मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर जिसमें न्यूनतम दो सिनेमा हॉल के साथ-साथ वाणिज्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था हो।
2.2.23	मल्टीप्लेक्स कम होटल	वह परिसर जिसमें मनोरंजन सुविधाओं तथा अनुषांगिक व्यवसायिक क्रियाओं की व्यवस्था के साथ साथ ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित व्यवस्था एक ही परिसर में हो।

2.2.24	ड्राइव-इन सिनेमा / ड्राइव-इन थियेटर	वह खुला परिसर जहां मोटर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था के साथ मोटर वाहन में बैठकर चलचित्र प्रदर्शन की व्यवस्था हो।
2.2.25	पी.सी.ओ. / सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर जहां से स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रीय, देश-विदेश इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किये जाने की व्यवस्था हो।
2.2.26	साइबर कैफे	वह केन्द्र या स्थान जहां शुल्क अदा करके नागरिकों द्वारा इंटरनेट की सुविधा का उपयोग किया जाता है।
2.2.27	पेट्रोल / डीजल / सी0एन0 जी0 / पी0एन0जी0 फिलिंग / ई-चार्जिंग स्टेशन	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें आटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
2.2.28	गैस गोदाम / गैस अधिष्ठान	वह परिसर जहां कुकिंग गैस या गैस सिलिण्डरों का भण्डारण किया जाता है। वह परिसर जहां रसोई गैस की केवल बुकिंग की जाती हो।
2.2.29	भण्डारण, गोदाम, वेयर हाउसिंग, संग्रहण केन्द्र	वह परिसर जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो, ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़ाने और उतारने की सुविधाएँ शामिल हैं।
2.2.30	जंक यार्ड / कबाड़खाना	वह परिसर जहां निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिक्री और खरीद सहित आवृत्त अथवा अर्द्धआवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
2.2.31	ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का भण्डार	वह परिसर जहां ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का सावधानीपूर्ण रूप से भण्डारण किया जाता हो।
2.2.32	सर्विस अपार्टमेंट	सर्विस अपार्टमेंट्स पूर्णतयः सुसज्जित एवं "सेल्फ कन्टेन्ड अपार्टमेंट्स" होंगे, जिसमें भोजन बनाने की सुविधा (किचन / रसोई घर) होगी तथा जो अल्प एवं दीर्घ अवधि की रिहायश के लिए उपयोग में लाए जायेंगे।

### 2.3 औद्योगिक

2.3.1	प्रदूषण रहित सेवा / कुटीर उद्योग	वह आवासीय परिसर जहां पर छोटे पैमाने पर परिवार के सदस्यों द्वारा सामान (मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन आदि) तैयार किया जाता है।
2.3.2	सूचना प्रौद्योगिकी / साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	वह परिसर जहां सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रौद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
2.3.3	बायोटेक पार्क	ऐसा औद्योगिक पार्क जहां पूर्ण रूप से जैव-प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित शोध एवं विकास कार्य तथा उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।
2.3.4	लघु उद्योग	वह परिसर जहां पर लघु स्तर पर छोटी मशीनों और कम श्रमशक्ति की मदद से सेवाओं का निर्माण एवं उत्पादन किया जाता है।
2.3.5	वृहद उद्योग, शुगर मिल, राइस मिल, फ्लोर मिल	वे उद्योग जिनमें बड़ी मशीनों एवं संयन्त्रों तथा अधिक श्रमशक्ति की मदद से वस्तुओं का उत्पादन वृहद स्तर पर होता है
2.3.6	संकटपूर्ण / खतरनाक / प्रदूषणकारक उद्योग	वे उद्योग जिनमें उत्पादित वस्तुओं से जान जाने एवं भयंकर बीमारी की आशंका होती है। जैसे गैस भरने का उद्योग, पटाखा, उर्वरक उद्योग आदि।
2.3.7	ईट, चूने का भट्ठा, क्रेशर	वह परिसर जहां ईट, चूने का भट्ठा आदि एवं पत्थर तोड़ने का कार्य किया जाता हो।
2.3.8	खनन सम्बन्धी उद्योग	वह परिसर जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
2.3.9	तेल डिपो / एल0पी0जी0 रिफिलिंग प्लांट	वह परिसर जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डार किया जाता हो।
2.3.10	पाश्चराइजिंग प्लांट / दुग्ध संग्रहण केन्द्र	वह परिसर जहां पर दुग्ध का परिशोधन एवं भण्डारण किया जाता है।

2.3.11	विद्युत उत्पादन संयंत्र केन्द्र	वह स्थान जहां पर विभिन्न तकनीको से विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है।
2.3.12	लॉजिस्टिक पार्क	ऐसा औद्योगिक परिसर जिसके अन्तर्गत गोदाम, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन, पैकेजिंग लेवलिंग एवं सार्टिंग, लोडिंग/अनलोडिंग आदि की व्यवस्था हो।
<b>2.4 कार्यालय</b>		
2.4.1	राजकीय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.2	अर्द्ध-राजकीय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद, आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.3	स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.4	निजी कार्यालय	वह परिसर जिसमें किसी एक या छोटे गुप द्वारा व्यवसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्सी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट, अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद, डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेण्ट, इत्यादि।
2.4.5	बैंक	वह परिसर जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
2.4.6	वाणिज्यिक/ व्यवसायिक कार्यालय	वह परिसर जो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।
2.4.7	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहां श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.8	बिजनेस पार्क	वह परिसर जहां व्यवसायिक गतिविधियों/कार्यकलापों हेतु व्यवसायिक कार्यालय भवन स्थित हो।
2.4.9	डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर	वह परिसर जहां कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधी सूचना(डाटा) के विश्लेषण इत्यादि की प्रोसेसिंग की जाती है, ऐसे केन्द्रों में कम्प्यूटर्स, सर्वर, इंटरनेट सर्वर स्थापित किये जाते हैं तथा इनका संचालन साफ्टवेयर व हार्डवेयर इन्जीनियर्स द्वारा किया जाता है।
2.4.10	काल सेन्टर	वह परिसर जहाँ बड़ी संख्या में लोग ग्राहकों की समस्याओं/प्रश्नों का समाधान/मार्गनिर्देशन ई-कन्स्यूकेशन के माध्यम से किया जाता है।
2.4.11	मौसम अनुसंधान केन्द्र	वह परिसर जहां मौसम और उससे सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन/अनुसंधान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.12	माइक्रोवेव तथा वायरलेस केन्द्र	वह परिसर जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित हैं।
<b>2.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं</b>		
2.5.1	अतिथिगृह/ निरीक्षणगृह	वह परिसर, जहां सरकारी/अर्द्ध-सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2.5.2	पेइंग गेस्ट	वह परिसर जहां भुगतान के आधार पर अल्प अवधि के लिए खाने पीने एवं ठहरने की व्यवस्था हो।
2.5.3	धर्मशाला	वह परिसर, जिसमें लाभरहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
2.5.4	रैन-बसेरा/नाईट शेल्टर	वह परिसर जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
2.5.5	बोर्डिंग/ लॉजिंग हाऊस	वह परिसर, जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
2.5.6	छात्रावास	वह परिसर जिसमें छात्र शिक्षा की अवधि तक के लिए निर्धारित शुल्क अदा करके निवास करते हैं। इसमें छात्रों के रिहायशी कमरों के अतिरिक्त छात्रों हेतु खान-पान, कैंटीन, शौचालय, इन्डोर गेम्स, वार्डन हाउस, इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते हैं।

2.5.7	अनाथालय	वह परिसर, जहां अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओं की भी व्यवस्था हो सकती है।
2.5.8	सुधारालय	वह परिसर जहां अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.9	कारागार	वह परिसर जहां विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.10	हेण्डिकैप्ड चिल्ड्रन हाऊस	वह परिसर जहां अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.11	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केंद्र	वह परिसर जहां दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यवसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.12	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	वह परिसर जहां पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यवसायिक अथवा गैर-व्यवसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान-पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.13	प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहां प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा दी जाती है।
2.5.14	माध्यमिक/इण्टर विद्यालय	वह परिसर जहां 10वीं/12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.15	स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय	वह परिसर जहां किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण एवं खेल-कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.16	विश्वविद्यालय	वह परिसर जहां शिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और यह उच्च शिक्षण संस्थान, शैक्षिक डिग्री प्रदान करने के लिए भी अधिकृत होता है।
2.5.17	पॉलीटेक्निक	वह परिसर जहां तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
2.5.18	इन्जीनियरिंग/उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर जहां तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.19	मेडिकल/डेन्टल कालेज	वह परिसर जहां मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों का उपचार हेतु शिक्षण डेन्टल, आपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
2.5.20	प्रबन्धन संस्थान	वह परिसर जहां प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.21	विशिष्ट शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहां किसी विशेष क्षेत्र सम्बन्धित शिक्षण की व्यवस्था हो।
2.5.22	सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहां गैर-तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
2.5.23	प्रशिक्षण संस्थान	वह परिसर जहां एक विशेष क्षेत्र या पेशे के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
2.5.24	कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर जहां घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर, टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
2.5.25	डाकघर	वह परिसर जहां जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.26	पुलिस स्टेशन/चौकी	वह परिसर जहां स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.27	अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर जहां उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.5.28	पुस्तकालय	वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
2.5.29	वाचनालय	वह परिसर जहां सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
2.5.30	स्वास्थ्य / परिवार केन्द्र / हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहां 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर-व्यवसायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
2.5.31	डिस्पेन्सरी	वह परिसर जहां चिकित्सा परामर्श की सुविधाओं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
2.5.32	अस्पताल	वह परिसर जहां अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.33	नर्सिंग होम	वह परिसर जहां 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो।
2.5.34	क्लीनिक / पॉलीक्लीनिक	वह परिसर जहां बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
2.5.35	नैदानिक (पैथोलॉजिकल) प्रयोगशाला	वह परिसर जहां बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जांच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.36	पशु चिकित्सालय	वह परिसर जहां पर पशुओं की बीमारियों का इलाज किया जाता है।
2.5.37	सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर जहां सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
2.5.38	हेल्थ क्लब/ जिम्नेजियम/फिटनेस सेन्टर	वह भवन जिसमें प्राकृतिक रूप से अथवा मशीनी उपकरणों के सहयोग से मानव शरीर को सुदृढ़ करने की व्यवस्था होती है।
2.5.39	विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर जहां शवों को विद्युत दाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.40	शमशान	वह परिसर जहां शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.41	कब्रिस्तान	वह परिसर जहां शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.42	संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र	वह परिसर जहां संगीत, नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
2.5.43	सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि	वह परिसर जहां सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग कंप्यूटर इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
2.5.44	ऑडिटोरियम	वह परिसर जहां संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
2.5.45	खुली नाट्यशाला	वह परिसर जहां खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं, आदि की व्यवस्था हो।
2.5.46	थिएटर/नाट्यशाला	वह परिसर जहां दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
2.5.47	योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	वह परिसर जहां स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.48	धार्मिक भवन	वह परिसर जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता हो।
2.5.49	सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर जहां किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.5.50	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर जहां मुख्य रूप से गैर-व्यवसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.51	कन्वेंशन सेंटर	वह परिसर जहां व्यवसायिक आधार पर सम्मेलनों, औद्योगिक शो, सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनियों का आयोजन होता है, जिसमें सम्मेलन कक्ष, होटल, रेस्तरां, पार्किंग और अन्य अनुषांगिक सुविधाएं की व्यवस्था हो।
2.5.52	बारातघर/मैरेज हॉल/उत्सव भवन	वह परिसर जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
2.5.53	कान्फ्रेंस/मीटिंग हॉल	वह परिसर जहां छोटे स्तर सभा के लिए व्यवस्था हो।
2.5.54	अजायबघर/संग्रहालय (म्यूजियम)	वह परिसर जहां पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला, आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.55	आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर जहां चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तशिल्प या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.56	मेला स्थल	वह परिसर जहां सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.57	टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर, जहां सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.58	रेडियो व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर जहां सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यक्रम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.59	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र /शोध केन्द्र	वह परिसर जहां सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.60	सूचना केन्द्र	वह परिसर जहां राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.61	समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर जहां समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
2.5.62	जन सुविधा केन्द्र	वह केन्द्र जहां जनसाधारण को सरकारी एवं गैर-सरकारी सेवाओं हेतु सूचना/आवेदन/परीक्षा आदि की सुविधा ऑनलाइन डिजीटल माध्यम से प्रदान की जाती है।
2.5.63	ए.टी.एम. कक्ष	वह स्थान/कक्ष जहां पर बैंकों द्वारा नागरिकों की बैंकिंग से सम्बन्धित सुविधा ए.टी.एम. के माध्यम से प्रदान की जाती है। स्थापित किया जाता है।
2.5.64	सार्वजनिक शौचालय	वह परिसर/स्थान जहां जनसाधारण को शौचालय की सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो।
<b>2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं</b>		
2.6.1	ठोस अवशिष्ट/कचरा प्रबन्धन	वह परिसर जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
2.6.2	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट	वह परिसर जहां ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रसायनिक क्रिया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
2.6.3	कूड़ा एकत्रीकरण स्थल	वह स्थल जहां पर घरेलू कूड़ा/कचरा अंतिम निस्तारण स्थल पर पहुंचाने के लिए अस्थायी रूप से एकत्र किया जाता है।
2.6.4	सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित भवन/प्रतिष्ठान	वह परिसर जहां सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक, पम्प-हाउस, आदि, सीवेरेज से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवेरेज पम्पिंग स्टेशन,

		आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल हैं।
2.6.5	वाटर वर्क्स	वह परिसर जिसमें जलापूर्ति हेतु ट्यूबवेल, ओवर हेड/भूमिगत रिजरवायर, संबंधित कर्मचारियों के आवास, संबंधित उपकरणों के रख रखाव इत्यादि की व्यवस्था होती है।
2.6.6	विद्युत् केन्द्र/सब-स्टेशन	वह परिसर जहां बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन, आदि लगे हों।
2.6.7	कम्पोस्ट प्लाण्ट	वह परिसर जहां नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों को मैकेनिकल क्रिया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
2.6.8	सेलुलर/मोबाइल टावर	वह परिसर/स्थान जहां पर संचार (कम्यूनिकेशन) टावर लगाये जाते हैं।
<b>2.7 यातायात एवं परिवहन</b>		
2.7.1	पार्किंग स्थल	वह परिसर जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.2	टैक्सी/टैम्पो/रिक्शा स्टैण्ड	वह परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.3	ट्रान्सपोर्ट नगर	वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉपस तथा गोदाम, आदि भी हो सकते हैं।
2.7.4	बस डिपो	वह परिसर जिसका उपयोग बसों की पार्किंग, रख-रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
2.7.5	बस टर्मिनल	वह स्थान जहाँ से सार्वजनिक सेवा की बसे अपने पूर्व निर्धारित मार्ग हेतु प्रारम्भ तथा समाप्त होती है। यहाँ यात्रियों के बस में चढ़ने व उतरने की सुविधा रहती है। यह स्थान मात्र एक बस प्लेटफार्म से लेकर पूर्ण सुविधा सम्पन्न केन्द्र भी हो सकता है जिसमें यात्री विश्राम स्थल, बस सेवा कार्यालय, टिकट काउन्टर, खान पान सेवा, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि सम्मिलित हैं।
2.7.6	मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	ऐसे स्थान जहाँ मोटर वाहनों की सर्विसिंग, रिपेयर कार्य, डेन्टिंग, पेन्टिंग, इत्यादि कार्य किये जाते हैं। ऐसे स्थानों में उपरोक्त कार्यों हेतु वाहनों को परिसर में ही खड़ा किया जाता है।
2.7.7	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर जहां आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.7.8	लोडिंग/अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाएँ	वह परिसर जहां पर विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.7.9	धर्मकॉटा	वह परिसर जहां भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन किया जाता हो।
<b>2.8 पार्क, क्रीड़ा स्थल/खुले स्थल/मनोरंजनात्मक</b>		
2.8.1	पार्क	वह परिसर जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुले स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू-दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग, आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
2.8.2	क्रीड़ा-स्थल/खेल का मैदान	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
2.8.3	स्टेडियम	वह परिसर जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।

2.8.4	खेल कूद प्रशिक्षण केन्द्र, स्पोर्ट्स कालेज	वह परिसर जहाँ खेल कार्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें आउटडोर/इनडोर खेल क्षेत्र और संबंधित सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें व्यायामशाला, उपकरण और प्रशिक्षण कक्ष, कार्यालय, लॉकर रूम इत्यादि शामिल हैं।
2.8.5	कारवां पार्क	ऐसा स्थान जहाँ समूह में यात्रा करने वाले लघु अवधि के लिये कैम्पिंग के रूप में विश्राम करते हैं। ऐसा यात्री समूह पैदल यात्रियों का होने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का समूह भी हो सकता है। कैम्पिंग स्थल में सार्वजनिक शौचालय के अतिरिक्त आवश्यक सुविधाएं जैसे-यात्री टेन्ट, खान-पान स्थल, इत्यादि पूर्णतया अस्थायी होती है।
2.8.6	पिकनिक स्थल/ शिविर स्थल	पर्यटक/मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिया किया जाता हो।
2.8.7	ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के सम्बन्ध में बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.8.8	मनोरंजन पार्क	वह परिसर जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
2.8.9	क्लब	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
2.8.10	तरण-ताल (स्वीमिंग पूल)	वह परिसर जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे ड्रेसिंग-रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
2.8.11	चिड़ियाघर/ जल-जीवशाला	वह परिसर जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव-जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल-जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
2.8.12	पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परीक्षण और पालन पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।
2.8.13	फ्लाइंग क्लब	वह परिसर जिसका उपयोग ग्लाइडर्स और अन्य छोटे वायुयानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन-राइडिंग के लिए किया जाता हो।
2.8.14	हेलीपैड	वह स्थान जहाँ यात्री हेलीकाप्टर द्वारा लैन्डिंग व टेकआफ किया जाता है। इस स्थान के किनारे उपयुक्त दूरी पर केवल एक कन्ट्रोल/निरीक्षण कक्ष निर्मित किया जा सकता है।
2.8.15	शूटिंग रेन्ज	वह परिसर जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
2.8.16	स्मारक	दर्शकों के लिए सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहाँ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
<b>2.9 कृषि</b>		
2.9.1	बागवानी	वह क्षेत्र जहाँ पर फलदार पेड़ों के साथ ही साथ सुगन्धित पुष्प वाले पेड़-पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जाती है।
2.9.2	नर्सरी/ पौधशाला	वह परिसर जहाँ छोटे पौधों को उगाने और बिक्री के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.9.3	उद्यान	वह परिसर जिसे फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़-पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
2.9.4	वन	वह परिसर जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए, पेड़-पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
2.9.5	फार्म हाउस	वह परिसर जहाँ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
2.9.6	दुग्धशाला/ डेयरी फार्म	वह परिसर जहाँ डेयरी-उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडों के लिए अस्थायी ढाँचा हो सकता है।

2.9.7	कैटल कालोनी	ऐसा परिसर जहां मवेशियों के पालन पोषण, दुग्ध संग्रहण व ट्रीटमेन्ट इत्यादि किया जाता है। ऐसे स्थान पर मवेशी उपचार केन्द्र, कर्मचारियों के आवास व अन्य अनुषांगिक लघु क्रियायें भी सम्मिलित किये जा सकते हैं।
2.9.8	धोबी घाट	वह परिसर जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
2.9.9	सूअर पालन	वह परिसर जहां सूअरों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.10	मत्स्य पालन	वह परिसर या जलाशय जहां मछलियों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.11	कुक्कुटशाला (पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर जहां मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस, आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते हैं।
2.9.12	मधु मक्खी पालन केन्द्र	वह परिसर जहां मधुमक्खियों का पालन, देखभाल और उनका प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है।
2.9.13	कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर जहां कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर, ट्राली, हारवेस्टर, इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
<b>2.10 अस्थायी क्रियाएँ</b>		
2.10.1	साप्ताहिक बाजार	वह स्थान जहां पर मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सप्ताह के किसी निश्चित दिन को समान उपलब्ध होता है।
2.10.2	अस्थायी सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, सभा स्थल	वह परिसर जहां पर समय-समय पर अस्थायी सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी एवं सभा का आयोजन किया जाता है।
2.10.3	वेन्डिंग जोन	वह क्षेत्र जहां पर बिना पूर्व निर्धारित व नियमित लघु अवधि के लिए अस्थाई रूप से लघु व फुटकर सामान/पदार्थों के विक्रय सामग्री व्यावसायिक गतिविधियाँ वेन्डर द्वारा की जाती हैं।

**3. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध**

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 के अन्तर्गत प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैं:-

कोड सं०	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत तक
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो
5	भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों के तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू-विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर *
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्लभ/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील, नाशवान एवं आपात् वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-2 के अनुसार)
16	राईट-ऑफ-वे के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर, केवल तीन स्टार तक
24	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
25	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक-3 के अनुसार)
26	द्वितीय तल एवं उसके उपरी तलों पर

\* निर्मित क्षेत्र में व्यवसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस-पास के विद्यमान प्रधान भू-उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।

#### 4. विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएं

प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं (Activities) उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगी:-

1. विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी:-

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि,
- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर-सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण-अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी -

- (i) प्रमुख भू-उपयोग जोन को आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत-आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
  - (ii) प्रस्तावित क्रिया के कारण अगल-बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राईवेसी भंग न हो।
  - (iii) प्रस्तावित क्रिया के कारण प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुंआ/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।
  - (iv) प्रस्तावित क्रिया यथासम्भव मुख्य भू-उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर, मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।
  - (v) प्रस्तावित क्रिया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि भवन का अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू-उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।
2. किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से किसी क्रिया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग/सेट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण को निशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।
  3. महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हैरिटेज जोन में खान-पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट्स, फोटोग्राफर. रेल/वायु/टैक्सी, इत्यादि के बुकिंग ऑफिस, गाईड कार्यालय, पर्यटन से सम्बन्धित कार्यालय, तथा अन्य आवश्यक किये गए यथा अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।
  4. जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई क्रियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू-उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य क्रियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण-अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

#### टिप्पणी:

- (i) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त क्रियाओं/उपयोगों के मानचित्र, प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क्रियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. सेट-बैक, पार्किंग, आदि के बारे में प्राविधान नहीं हैं, के सम्बन्ध में क्रिया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।
- (ii) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/क्रिया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होंगे तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

## 5. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की (Activities) अनुम्यता

### 5. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की (Activities) अनुम्यता

#### संकेताक्षर

नि.क्षेत्र	नगरीय निर्मित क्षेत्र	यू.उ.	पार्क	पार्क, खुले स्थल एवं क्रीडामग्न	अनुम्य उपयोग
आ.	आवासीय	कार्या.	ह.प.	हरिता पट्टी	सशर्त अनुम्य उपयोग
व्यव.1	बाजार मार्ग/सामान्य व्यावसायिक केन्द्र	सुवि.	ग्रा.आ.	ग्रामीण आवासी	विशेष अनुम्यति से अनुम्य उपयोग
व्यव.2	नगर केन्द्र/उपनगर केन्द्र	उपयो.	रा.सु.	हार्ड-वे फर्सेलिटी जोन	निषिद्ध उपयोग
व्यव.3	शोक व्यापारिक केन्द्र/मण्डार/वेयर हाउसिंग				
ल.उ.	लघु एवं सेवा उद्योग	या.परि.			

क्रियाएँ/उपयोग	नि. क्षेत्र	आ.	व्यव.	व्यव.	व्यव.	व्यव.	व्यव.	ल. उ.	ल. उ.	वृ. उ.	काय त.	सु. व.	उपय त.	या. परि.	पा. क.	ह. व.	ग्रा. आ.	सु. व.	रा. सु.
1	1	2																	
1.1	भूखण्डीय आवास																		
1.2	समूह आवास (धुप हाऊसिंग)	6	26	2	2	3	3	3	3	8	5	2					6		
1.3	सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/संतरी आवास			1	1	1	4	4	4		3	4	1	1					
2	वाणिज्यिक	6																	
2.1	फुटकर दुकानें (अनुलग्नक-1 के अनुसार)	6																	
2.2	डिपार्टमेंटल स्टोर	6																	
2.3	शापिंग सेंटर/शापिंग कम्प्लेक्स	7	7	7	7	7	7	7	7										
2.4	शापिंग मॉल	8	8	8	8														
2.5	शौ-रूम (मोटर वाहनों के अतिरिक्त)	6								20									
2.6	मोटर वाहनों के शौरूम	8	8	24	24					24	24	24		24					
2.7	मोटर वाहनों के स्पे. पार्टस की विक्री हेतु दुकानें		7	7	7									8					

क्रियाएं/उपयोग	नि. क्षेत्र	आ	अव. 1	अव. 2	अव. 3	ल. उ. 7	वृ. उ. 8	काम 9	सु. व. 10	उपय 12	या. परि. 13	पा. क. 14	ह. व. 15	ग्रा. अ. 17	कृ. 18	वा. सु. 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
2.8	भोक मण्डी/भोक व्यापार															
2.9	नीलामी बाजार				7											
2.10	बेकरी एवं कार्पोरेशनरी आटा चक्की (10 हा.पा. तक)	6												6		
2.11	कोयला एवं लकड़ी के टाल	7	7	7	7	7								6		
2.12	कृषि उपजों के थोक विक्रय केन्द्र															
2.13	शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)														8	
2.14	रिसार्ट															
2.15	होटल	23	7	7	7	7		7	7							
2.16	बैकटे हाल		7	7	7											
2.17	मोटल, वे-साइड रेस्तरां (राज)			7	7	8	8		7		8					
2.18	भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेंट, कैंटीन	6														
2.19	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	8	8	8	8	8			8							c
2.20	मल्टीप्लेक्स कम होटल	8	8	8	8	8			8							c
2.21	ड्राइव-इन सिनेमा/ड्राइव-इन थियेटर	8	8	8	8	8			8							c
2.22	पी.सी.ओ./रीयूलर मोबाइल सर्विस	6												6		

क्रियाएं/उपयोग	वि. क्षेत्र	आ	व्यव. 1	व्यव. 2	व्यव. 3	रं. ट. 7	वृ. ट. 8	काय. 9	सु. व. 10	उपय. 12	या. परि. 13	पा. क. 14	ह. प. 15	मा. आ. 17	कृषि. 18	रा. सु. 19		
																	1	2
1 साइबर केंद्र	2	6	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19		
2 प्रदूषण/अंधकार/सौर/जीपीए/एलडीओ फिलिंग/ई-वाशिंग स्टेशन	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8		
2 गैस गोदाम/गैस आधिकारण																		
2 भण्डारण, गोदाम, डैर हार्बरिंग*, संग्रहण केंद्र, जकार्ड/कनाइयाना	6	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
2 ज्वलनशील, नाशकारी एवं आपात वस्तुओं का भण्डार																		
2 सर्विस अमेंटिमेंट	2	6																
3 औद्योगिक																		
3.1 प्रदूषण रहित सेवा/कुटीर उद्योग	15	12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
3.2 सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेकनोलॉजी पार्क	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17		
3.3 बायोटेक पार्क																		
3.4 लघु उद्योग				25	25													
3.5 बुद्धर उद्योग, शुगर मिल, राईस सेलर, पलोर मिल																		
3.6 संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक उद्योग																		
3.7 खाना, ईट/झूने का भटठा, क्रेडर																		
3.8 तेल डिपो/एलडीओ रिफिलिंग प्लांट																		
3.9 पाश्चराइजिंग प्लांट/दुग्ध संग्रहण केंद्र																		

क्रियाएं/उपयोग		पि. क्षेत्र	आ.	व्य. 1	व्य. 2	व्य. 3	ल. र. 7	वृ. र. 8	काय. 9	सु. 10	उपय. 12	या. परि. 13	पा. क. 14	ह. व. 15	आ. आ. 17	कृ. 18	ख. सु. 19
3.	10	विद्युत उत्पादन संयंत्र केन्द्र	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
3.	11	लॉजिस्टिक पार्क/वेयरहाउसिंग**															
4		कार्यालय															
4.1		राजकीय, अर्द्ध-राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	7				20	20		20	20						
4.2		निजी कार्यालय, एजेंट कार्यालय	19							20	20				6		
4.3		बैंक													6		
4.4		वाणिज्यिक/व्यवसायिक कार्यालय															
4.5		श्रमिक कल्याण केन्द्र															
4.6		पी.एस.ओ./पुलिस लाईन्स															
4.7		विज्ञान पार्क															
4.8		डटा प्रोसेसिंग सेन्टर															
4.9		काल सेन्टर															
4.	10	बी.पी.ओ.															
4.	11	मांसम अनुसंधान केन्द्र/माइक्रोपेय तथा वायवलेस केन्द्र															
5		सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाएं															
5.1		अतिथि गृह/निरीक्षण गृह													6		
5.2		पेइंग मेट													6		
5.3		भ्रमणाला, रेल तरेस/गार्ड सेन्टर, कोचिंग/	6												6		

क्रियाएं/उपयोग	वि. क्षेत्र	आ	व्यव. 1	व्यव. 2	व्यव. 3	व्य. 4	व्य. 5	व्य. 6	व्य. 7	व्य. 8	व्य. 9	व्य. 10	उपयुक्त	या. परि.	पा. के.	ह. प.	मा. आ.	कृ. 1	रा. सु.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19			
लाक्षणिक हाऊस																			
5.4 छात्रावास	6	6												6			6		
5.5 अनाथालय, सुधारालय																			
5.6 कारागार																			
5.7 हेल्थीकेड विरुद्धेन हाउस	6	6												6			6		
5.8 विधु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	6	6	19					19						6			6		
5.9 मृदावस्था देखभाल केन्द्र	6	6												6			6		
5.10 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6	6												6			6		
5.11 माध्यमिक/इन्टर विद्यालय	6	7	8											7			7		
5.12 स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय																			
5.13 विश्वविद्यालय																			
5.14 पॉलीटेक्निक/इन्जीनियरिंग/मेडिकल/डेप्टल कालेज																			
5.15 प्रवच्य संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																			
5.16 कुटीर उद्योग प्रशिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान																			
5.17 डाकघर	6	6															6		



क्रियाएं/उपयोग	नि. क्षेत्र	आ.	व्यव. 1	व्यव. 2	व्यव. 3	व्यव. 4	व्यव. 5	व्यव. 6	व्यव. 7	व्यव. 8	व्यव. 9	व्यव. 10	उपय. 1	या. परि.	पा. क.	ह. प.	आ. आ.	कृ. 1	श. सु.
समा/सांस्कृतिक भवन, सांस्कृतिक केंद्र, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	6	6												7			6		
कन्वेंशन सेंटर																			
बायातधर/भरेज हॉल/उत्सव भवन				7															
कॉन्फेन्स/मीटिंग हॉल	6	6																	
अजायबघर/म्यूजियम																			
आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केंद्र	21	21							21					21	21	21		21	
मेला स्थल																			
टेलीफोन कार्यालय/केंद्र, रेडियो व टेलीविजन केंद्र																			
अनुसंधान एवं विकास केंद्र/शोध केंद्र									20										
सूचना केंद्र																			
समाज कल्याण केंद्र																	6		
जन सुविधा केंद्र	6	6															6		
ए.टी.एम, कबा	6	6															6		
सार्वजनिक शौचालय	6	6															6		
सार्वजनिक उपयोगिताएं																			

क्रियाएं/उपयोग	त्रि. क्षेत्र	आ	व्यव.	व्यव.	व्यव.	व्यव.	ल. च.	वृ. च.	काय. त.	सू. व.	उपय. य.	सा. परि.	पा. क.	ह. व.	शा. आ.	सू. त.	रा. सू.
6.1 टॉस अविशेष प्रकरण, सीक्रेट ट्रीटमेंट प्लांट, सूडान एकात्मिकरण स्थल	2	4	1	2	3	7	8	9	10	14	12	13	14	15	17	18	19
6.2 सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बंधित भवन/प्रतिष्ठान		6															
6.3 दृष्टांत, आयर हॉल/रिजल्ट/विद्युत केंद्र/सस-स्टेशन	6	6													6		
6.4 वाटर वर्क्स																	
6.5 कम्प्यूटर प्लांट																	
6.6 पशुवध शाला									14							14	
6.7 सेलुलर/मोबाइल टॉवर																	
7 यातायात एवं परिवहन																	
7.1 पार्किंग स्थल	6	6											21		6		
7.2 मल्टीलेवल पार्किंग	7	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
7.3 टैक्सी, टैम्पो, रिक्शा आदि के स्टैंड/बस स्टॉप	6	6									16	16		6			
7.4 ट्रांसपोर्ट नगर, बस डिपो																	
7.5 बस स्टैंड	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	16	16			7		
7.6 बस टर्मिनल				24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
7.7 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशॉप	7					7	7								6		
7.8 मोटर इन्ड्रिंग प्रशिक्षण केंद्र																	



क्रियाएं/उपयोग		नि. क्षेत्र	आ.	व्य. 1	व्य. 2	व्य. 3	ल. उ. 7	वृ. उ. 8	कय. 9	सु. व. 10	उपय. 12	सा. परि. 13	पा. क. 14	ह. व. 15	आ. आ. 17	कृ. 18	रा. सु. 19
8.	12	स्मारक	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19
9	8.	नौका विहार/वाटर स्पोर्ट्स															
	13																
	9.1	बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बोटिंग गार्डन															
	9.2	फार्म हाउस															
	9.3	घारगाह, दुधशाला (डैरी फार्म), कैंटल कॉलोनी															
	9.4	धोबीघाट															
	9.5	सुअर/मत्स्य/कुक्कुट/शुभमखी पालन, पशु सम्बंधन एवं प्रजनन केन्द्र															
	9.6	कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशॉप															
1	0	प्लॉटिंग उपयोग															
10.	1	सार्वजनिक सुविधायें एवं उपयोगितायें															
10.	2	शोक व्यवसायिक															
10.	3	यातायात एवं परिवहन															
10.	4	सेवा/कुटीर उद्योग															
10.	5	विशेष उद्योग (संकेतपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषण कारक)															
1	1	अस्थायी क्रियाएं															
11.	1	साप्ताहिक बाजार													6		
11.	2	अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनी, समा स्थल															



6. भू उपयोग जोन का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क का निर्धारण

भू-उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क (Impact Fee) का निर्धारण

प्रभाव शुल्क से छूट	1
गैर-व्यवसायिक एवं बैरिस्टबल क्रियायों/उपयोग	2
सेवा एवं कुटीर उद्योग	3
सम्बन्धित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास	

सर्कट	
प्रभाव शुल्क लागू नहीं	
प्रभाव शुल्क देय नहीं	
प्रभाव शुल्क देय	

क्रियायें (Activities)/उपयोग श्रेणी (निम्न से उच्च क्रम में)	भू-उपयोग जोन्स विकासशील/अविकसित क्षेत्र (निम्न से उच्च क्रम में)							
	निर्मित क्षेत्र	कृषि, हॉपटडी, पार्क, क्रिडास्थल	सार्वजनिक सुविधायें	शातायात एवं परिवहन	औद्योगिक	आवासीय ग्रामीण आवादी सहित	कार्यालय	व्यवसायिक
1 कृषि, हरित पट्टी(मीन बर्च), पार्क, क्रिडास्थल		1	2	3	4	5	6	7
2 सार्वजनिक एवं आई सार्वजनिक सुविधायें	0.25	1				0.25	1	
3 यातायात एवं परिवहन	0.3	0.1						
4 औद्योगिक	0.4	2	0.25	2				
5 आवासीय	0.5	0.4	0.4	0.4	0.25	3		
6 कार्यालय	1	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5		
7 व्यवसायिक	1.5	1.25	1.25	1.25	1	1	0.5	

टिप्पणी:- 1 विभिन्न भू-उपयोग जोन्स में अनुमत्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु निर्धारित 'प्रभाव शुल्क गुणांक' की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गयी है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।  
 2 सामान्यतः अनुमत्य एवं सशर्त अनुमत्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमत्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु 50 प्रतिशत देय होगा तथा प्रभाव शुल्क का आकलन सम्बन्धित भू-उपयोग जोन हेतु निर्धारित गुणांक की वैल्यू के आधार पर निम्न फार्मूला के अनुसार किया जायेगा:-  
 2.1 सामान्यतः अनुमत्य एवं सशर्त अनुमत्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुणांक X 0.25  
 2.2 विशेष अनुमति से अनुमत्य क्रियाओं हेतु :- भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुणांक X 0.50  
 3. प्रभाव शुल्क का आकलन विकास प्राधिकरण/आवास परिषद की वर्तमान संकेत (आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू-उपयोग के लिये जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जायेगा।

प्रभाव शुल्क आगणन हेतु उदाहरण

उदाहरण 1	मिश्रित आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की अनुज्ञा हेतु: भू-खण्ड का क्षेत्रफल= 350 वर्ग मीटर प्राधिकरण की वर्तमान आवासीय दर = ₹ 2000 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क :- भूखण्ड के क्षेत्रफल X सर्किल रेट X गुणांक X 0.25 अर्थात् 350 X 2000 X 0.245 X 0.25= ₹ 43,750/-
उदाहरण 2	कृषि भू-उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पम्प की अनुज्ञा हेतु भू-खण्ड का क्षेत्रफल= 500 वर्ग मीटर कृषि भूमि का सर्किल रेट = ₹ 200 प्रति वर्ग मीटर देय प्रभाव शुल्क :- 500 X 200 X 1.5 X 0.50= ₹ 75000/-

अनुलग्नक- 1. दैनिक उपयोग के दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजन स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीडी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटोस्टेट, फैंक्स, आदि
10. किताबें/मैगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी. सी. ओ.
13. रेडीमेड गारमेंट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई-बुनाई एवं पेन्टिंग
20. केबल टी0वी0 संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. कपडे इस्तरी करना
26. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

## अनुलग्नक-2 निर्मित/आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री, ड्राई-क्लीनिंग
2. टी0वी0, रेडियों, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर-साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिंग प्रेस तथा बुक बाइडिंग
6. सोना तथा चाँदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते का फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी, पेन, चश्में की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना (लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की (10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक-3 व्यवसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषण मुक्त लघु उद्योगों की सूची  
(10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चाँदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्म शोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज -सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियों टी0वी0 बनाना
21. पेन, घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पट्टियाँ
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियाँ बनाना
25. दरियाँ बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग एवं मरम्मत
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढई का कार्य
33. तेल निकालने कार्य (शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरल वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के संदूक तथा सूटकेस
38. पेपर पिन तथा यू-क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषण रहित उद्योग

**अनुलग्नक-4 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि**

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रेगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत क्रिया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं। महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर कालम में महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य क्रियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू-उपयोग जोन में किसी क्रिया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X-Axis) पर दर्शायी गई उस क्रिया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y-Axis) पर दर्शाए गए भू-उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) जो Coloured से दर्शाया गया है, में निम्न चार संकेतों का प्रयोग किया गया है:-

(i)		अनुमन्य उपयोग: जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)		सशर्त अनुमन्य उपयोग: जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-3 में कोड संख्या-1 से 26 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)		विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग: जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-4 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमन्य हैं। "सक्षम प्राधिकारी" की परिभाषा जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-1 में कमांक-1.10.1 पर दी गई है।
(iv)		निषिद्ध उपयोग: जो अनुमन्य नहीं हैं।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :-

**उदाहरण-1 :** कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि "फुटकर दुकानें" कार्यालय भू-उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे कमांक-2.1 पर फुटकर दुकानें के सम्मुख X-Axis पर कार्यालय भू-उपयोग जोन के कालम-9 में संकेत  (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ है कि कार्यालय भू-उपयोग जोन में फुटकर दुकानें अनुमन्य हैं।

**उदाहरण-2 :** निर्मित क्षेत्र में "शोरूम" अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे कमांक-2.5 पर शोरूम के सम्मुख X-Axis पर "निर्मित क्षेत्र" के कालम-2 में संकेत  (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-3 में निर्दिष्ट कोड संख्या-6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अनुमन्य है।

**उदाहरण-3 :** लघु एवं सेवा उद्योग भू-उपयोग जोन में "बारातघर" अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे कमांक-5.35 पर बारातघर के सम्मुख X-Axis पर लघु एवं सेवा 

उद्योग के कालम-7 में संकेत (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् लघु एवं सेवा उद्योग भू-उपयोग जोन में बारातघर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

**उदाहरण-4 :** सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में "शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)" अनुमन्य है अथवा नहीं ?

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत Y-Axis पर क्रियाएं के नीचे क्रमांक-2.13 पर "शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज)" के सम्मुख X-Axis पर सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के कालम-10 में संकेत  (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात् सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं में शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) अनुमन्य नहीं है।

**टिप्पणी:-** विभिन्न क्रियाओं/उपयोग परिसरों की परिषाए जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग-2 में दी गयी है।

## अनुलग्नक

1 प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव

क्रमांक	नगर निगम / गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
ए	नगर क्षेत्र				
1	बस्ती नगर पालिका परिषद	87371	107601	114657	1943
बी	प्रस्तावित नगर पालिका ग्राम क्षेत्र				
1	निबिया	267	329	320	24.7
2	बरगदवा	0	92	220	21.17
3	जमदीह पांडेय	853	1143	1416	21.94
4	भदेश्वरनाथ	587	896	1018	47.04
5	धरमपुर (विमपुर)	471	601	792	41.68
6	दिलिया	758	899	1090	56.9
7	भाषिया	885	1192	1445	80.62
8	मूरघाट	971	1503	1831	63.61
9	हवेलीखास	491	1063	1743	84.37
10	तोंगीपारा	277	367	420	37.23
11	लौकिहवा	423	531	766	34.69
12	बदरिया बुजुर्ग	522	649	698	156
13	बेपोखर	613	734	677	47.16
14	रुदौली	592	735	860	56.04
15	बधावर	65	84	128	32
16	महुदर	1150	1703	2226	150.71
17	मर	0	0	0	16.45
18	नौछो	10	0	0	89.07
19	पचौरा	479	364	507	44.34
20	कर्णपुर	273	294	351	28.9
21	जिगना	1006	1232	1470	71.5
22	दरी डीहा	1623	2205	4325	151.7
23	बंदीह उर्फ मिश्रौलिया	546	685	747	54.09
24	दुधौरा	668	713	930	41.08
25	कृष्णा भोगौती	770	986	1161	39.1
26	सोनबरसा	444	553	672	57.14
27	जिगना	423	553	589	43.83
28	झरकटिका	552	571	670	50.88
29	मझवरिया	467	593	736	31.6
30	पिपरा रामकिशुन	319	390	486	36.54
31	हरसोहिया	1107	1409	1845	51.79
32	लखनूरा	1069	2383	1849	52.98
33	परसातकिया	593	805	1044	25.58

क्रमांक	नगर निगम / गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
34	गिधि बुजुर्ग	199	221	245	25.98
35	भूर निरंजनपुर	1438	1926	2013	82.3
36	पारसी	385	466	635	29.51
37	नौवेदार तिवारी	51	66	105	11.85
38	इतैली पाण्डेय	0	0	111	23.52
39	छिदुलिया	143	195	209	14.84
40	पांडे डीह	297	523	504	27.78
41	लबनापार	270	295	358	12.54
42	बैरियाम आवास बैरिहवा	0	32	90	15.74
43	गिधि खुर्द	846	1156	1176	34.16
44	मनहंडीह	720	948	1662	23.05
45	जमदीह शुक्ला	456	663	945	28.06
46	चनानी सिरोबास	644	797	834	48.21
47	मुलदरवा	454	561	650	40.55
48	बेलगारी (180729)	564	657	871	38.79
49	सुपेलवा	365	645	1049	38.56
50	खौराहवा	434	472	1202	23.55
51	बदावन (बरबन)	235	333	440	16.12
52	बरार	0	0	30	41.52
53	उंची भिटि	0	6	0	23.35
54	बडेरिया खुर्द	810	992	1153	16.76
55	डिडौवा	807	974	978	60.29
56	मारवा नगर	3405	4608	7084	192.1
57	खीरीघाटी	2015	3021	4287	66.3
58	संतपुर उरफ गढ़ाखोर	529	905	909	22.12
59	नौदररानी	18	18	80	13.44
60	ददवा	96	7	7	40.07
61	हरदिया बुजुर्ग	625	785	923	55.11
62	खोराखर	584	649	818	65.03
63	दामोदरपुर	0	9	18	16.07
64	बेरवा	513	604	767	50.79
65	मेरवतिया खास	1911	2456	2996	85.81
66	पिपरी	103	124	138	12.95
67	देईपार	376	404	521	30.38
68	बराना	0	0	0	14.39
69	चैनपुर	218	264	273	24.71

तालिका 58 अनुलग्नक (ए) प्रस्तावित नगर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किये गये (69) गांव

## 2 शहरीकरण योग्य गांवों की सूची

क्रमांक	शहरीकरण योग्य गांव का नाम	जनसंख्या 2011	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 1991	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
1	रिथौली	398	306	284	37.05
2	सरायघाट	478	376	331	44.96
3	कादरखास	2000	1938	1523	218.56
4	सराय	1103	1005	781	105.99
5	खुथाना	1334	1025	1041	66.36
6	भुओर	932	804	615	115.8
7	हाथिया गढ़	698	601	462	43.6
8	बनकटा	894	773	643	39.21
9	जोगीपुर	393	338	257	122.78
10	बरिहवातरैनी	1	0	0	81.39
11	चनानी (चंदन)	102	54	0	19.22
12	चमरोहा सिरापार	3560	2914	2416	296.74
13	हरियाजुप्टी	644	526	467	33.17
14	कट्या	1276	1104	938	55.32
15	शेखुईया	350	294	229	47.6
16	मंजरिया विक्रम	562	503	423	46.9
17	भेलखा	442	411	381	64.97
18	बरहुचा	470	355	313	28.38
19	बसिया	664	708	577	44.18
20	पिकौरा	323	246	227	27.94
21	गोअरिया	119	85	9	25.37
22	बनकटा	373	350	247	50.72
23	पटखौली	850	631	561	32.35
24	कैली	251	397	117	37.84
25	जगदीशपुर	841	789	442	78.37
26	जखनी	1313	1130	812	180.79
27	केरिह	822	649	569	59.67
28	धेरिका	1000	877	734	155.11
29	देउरी	0	0	0	58.63
30	आसपुर	206	220	112	205.4
31	छबीला खुर्द	414	313	272	40.29
32	मंगरिया शुक्ल	526	559	457	39.17
33	तेनुइ	551	535	349	30.63
34	अमहुत	15	39	2	86.51
35	हादिया	1235	1094	799	38.19
36	संसारपुर	856	680	552	84.73
37	बंधोजोत	0	2	0	4.71
38	अमूली	2101	1651	1309	135.81
39	हरदिया खुर्द	138	87	60	35.32

तालिका 59 अनुलग्नक बी शहरीकरण योग्य गांवों की सूची

3 राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची

क्रमांक	राजमार्ग के किनारे के गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
1	डंडवा भीम सिंह	179	266	307	50.57
2	महसोखास	6451	8108	9089	179.4
3	जमराव	251	476	641	21.66
4	कट्या खास	395	428	555	100.52
5	उमरी	324	343	450	50.4
6	बनकसाही	0	0	0	25.36
7	परसाजाफेरह	800	984	1135	310.67
8	रामपुर जंगल	1286	1460	1816	98.71
9	पिपरा चंदरयाटी	931	990	1242	56.97
10	बटैला	1104	1336	1549	183.24
11	सोनारजोत	123	207	144	34.61
12	मंजरिया रंजीत	196	228	296	31.53
13	पुरैना	236	316	370	71.03
14	सूसीपार	718	793	1020	109.15
15	तरिजोत	551	739	873	51.18
16	मघरिया गंगाराम	320	389	442	46.51
17	फरदा	313	413	569	43.79
18	दसकोटवान	429	555	668	50.36
19	दासोता	210	295	364	56.38
20	महरीपुर	1967	2283	2510	151.3
21	लोहाटी	708	830	910	52.1
22	जफरजोत	193	215	256	24.83

क्रमांक	राजमार्ग के किनारे के गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल(हेक्टेयर)
23	सुबदेइया कला	747	815	934	77.96
24	सुमदेइया खुर्द	437	555	572	62.12
25	नोहर पार	0	11	21	3.97
26	फर्दा जोत	17	40	95	38.68
27	सिसवा	0	0	10	25.27
28	साहूपार	772	1495	1727	107.03
29	बेलगारी	8	29	29	37.4
30	तिवरिन जोटे	0	7	0	2.41
31	बलुवा	539	621	640	24.33
32	उसका	459	534	739	50.1
33	मनौरी डांडी	193	227	308	14.29
34	रिथिया	534	604	642	74.69
35	दुबखरा	553	658	893	117
36	निपनिया	382	639	795	53.1
37	बाघी	596	787	1048	75.2
38	बशवा	423	740	693	100.64
39	झरमगाँव (आमगाँव)	19	18	21	6.47
40	महमूदपुर	351	454	540	26.63
41	घोडरेहार उर्फ गोयाघाटी	492	689	647	133.93
42	महसोन जोत	0	25	41	7.56

तालिका 60 अनुलग्नकसी राजमार्ग के किनारे के गांवों की सूची

4 गांवों की सूची (ग्रामीण)

क्रमांक	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्ट)
1	सिसवनिया	4	2	5	18.84
2	कुसनापुर	1237	1599	1946	80.35
3	हटवा	711	818	911	99.91
4	श्रीपालपुर	6775	7631	8666	407.03
5	रामनगर	122	171	207	34.35
6	रेण	0	0	0	70.67
7	रक्षा	286	399	442	38.85
8	समसाथपुर	891	1287	1360	81.1
9	शेशपुर	0	5	11	13.25
10	वहलोरवा	428	315	334	39.28
11	पिपरी	278	284	293	40.28
12	चिलवनिया	898	1130	1120	111.25
13	गंगियाकोहल	405	362	373	101.59
14	मस्जिदिया	129	217	327	83.5
15	जमोहारा	678	719	786	60.98
16	करमचुरा	179	171	180	26.64
17	मदारीपुर	42	75	102	17.86
18	पारसाटोरि	0	0	0	39.23
19	लाकड़ा	133	207	230	109.15
20	खकुवा	517	619	813	56.52
21	कोपिया	266	562	757	30.6
22	कोपवा	202	167	229	17.88
23	लढवापार	122	147	177	31.32
24	मचिया	512	563	641	75.73
25	अरियल	33	135	8	31.09
26	दीघा	80	115	139	26.42
27	चीथी नरसिंह	460	677	825	44.94
28	धोधुनपुर	289	421	432	32.93
29	खाद्दी	134	142	208	15.31
30	भुराली	318	350	486	44.18
31	कोल्हुआ	314	412	524	59.79
32	भाथा	363	453	476	34.82
33	भीथाभिखारी	167	204	212	27.07

क्रमांक	गांव का नाम	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या 2011	क्षेत्रफल (हेक्ट)
34	गढ़वाल	198	304	483	123.2
35	बडकुइया	393	506	609	38.16
36	टरोली	420	520	605	63.31
37	बंटाला	517	598	843	65.08
38	गणेशपुर	12085	15534	18013	1465.74
39	भरवलिया	459	476	477	76.44
40	श्रानीपुर	1312	1802	1982	175.91
41	मझीरिया	670	808	944	31.59
42	बंधुवा	634	787	795	164
43	मिश्रोलिया	140	184	201	22.75
44	बंकशी	0	0	0	25.36
45	दुबौली	111	174	284	42.55
46	दसोटी	500	594	595	39.67
47	मालिकपुरवा	543	515	559	47.93
48	पोखरभिटवा	411	500	539	29.22
49	फ्करी हिरदाइ	297	523	504	41.28
50	बरीजोत	0	7	0	12.58
51	अम्हारी	155	157	170	20.4
52	दौलतपुर	392	544	653	32.5
53	बाढपुर	58	68	82	18.64
54	ब्रसाव	763	964	1219	68.2
55	हरिया	0	0	0	29.27
56	कौरिदारी	0	0	0	22.77
57	अरखाबारी	161	173	216	7.67
58	म्हुवापार	0	6	387	20.3
59	टिकरिया	142	169	244	29.55
60	छरूआछा	380	468	557	36.12
61	च्वीसा	251	298	378	33.08
62	खजवा	347	472	587	31.14
63	म्हादेवा	1	0	0	10.2
64	बनियाजूट	24	27	24	7.35
65	चोरभरिया	0	0	0	14.1
66	परसाडफली	800	984	1135	26.03

तालिका 61 अनुलग्न कडी गांवों की सूची (ग्रामीण)

5 डेटा संग्रह

वार्ड-वार जनसंख्या की तालिका

क्रमांक	वार्ड का नाम	क्षेत्र (वर्गकिमी)	जनसंख्या
1	नरहरिया	0.90	5267
2	मिश्रौलिया	0.75	5152
3	मुरलीजोत	0.80	5250
4	पांडेबाजार	0.75	4177
5	पिकौरा शिवगुलाम	0.90	5125
6	चिकवाटोला	0.90	5187
7	सुरतीहट्टा	0.80	4542
8	तुर्खय्या	0.75	4055
9	विष्णुपुरवा	0.80	4210
10	मलीतोला	0.75	4181
11	पठानतोला	0.95	5247
12	रौतापार	0.85	4973
13	महरीखवा	0.80	4726
14	गरगोरिया	0.78	4659
15	पिकौरादत्तूराय	0.82	4751
16	कंपनीबाग	0.70	3990
17	पुरानदखना	0.80	4724
18	बेलवध ाडी	0.80	4564
19	टोरिजोत	0.73	4079
20	इतिअलिया	0.80	4453
21	रामेश्वरपुरी	0.70	4079
22	बैरिहवा	0.72	4294
23	आवासविकास	0.78	4349
24	कटरा	0.75	4121
25	पिकौराबख्खा	0.85	4502

तालिका 62 वार्ड-वार जनसंख्या घनत्व की तालिका

स्रोत : भारत की जनगणना 2011

### 6 पंजीकृत वाहन

वाहनों के प्रकार	वाहनों की संख्या
बस	266
शैक्षणिक संस्थान बसें	535
ई-रिक्शा	85
मलवाहक	4767
मैक्सी कैब	256
मोटर-साइकिल	169679
प्रोवेड	6858
मोटरकैब	181
मोटर कार	10885
तीन पहिया (माल वाहक)	602
तीन पहिया (सवारी)	2889

तालिका 63 पंजीकृत वाहन

स्रोत : आरटीओ, बस्ती 2020

### 7 वर्तमान उपलब्ध कृषि सुविधाएं

गतिविधि	विवरण
मौजूदा सिंचाई आपूर्ति प्रणाली और प्रति व्यक्ति आपूर्ति	NA
मौजूदा आच्छादन मानचित्र	NA
जलापूर्ति वितरण संजाल का व्यास और उसका जीवनकाल	लंबाई = 533.432 km
इसने कितना क्षेत्र आच्छादित किया ?	क्षेत्रफल 66949 हेक्टेयर
वर्तमान सिंचाई नहरों की अवस्थिति एवं क्षमता इसके मानचित्र सहित	NA
पानी का स्रोत और एमएलडी की निकासी पानी की गुणवत्ता के संबंध में डेटा	NA टी.डी.एस. क्लोरिन, नाइट्रेट, फास्फोरस
वार्षिक प्रचालन और अनुरक्षण लागत, जलापूर्ति के लिए कर्मचारी	NA
नदियाँ / नहरें	नहर
अन्य।	
क्षेत्रवार जलापूर्ति विवरण जैसेरू	
• जलापूर्ति की मात्रा	
• प्रतिदिन आपूर्ति की आवृत्ति / घंटे	NA
• संयोजनों की संख्या	
• प्रति व्यक्ति खपत	

• आच्छादित क्षेत्र (वर्गकि.मी.)	
• की गई मीटरिंग (%)	
• संग्रहण शुल्क में दक्षता	
क्षेत्रवार आपूर्ति अवसंरचना	NA
ओवरहेड टैकों की संख्या	
जलाशयों सहित सिंचाई जल आपूर्ति संजाल का मौजूदा नक्शा	NA

तालिका 64 मौजूदा उपलब्ध कृषि सुविधाएं

स्रोत : कृषि विभाग, बस्ती-२०२०

### 8दुकानों की सूची बनाएं

अनुक्रमांक	दुकान का क्षेत्र	दुकानों की संख्या
1	मालवीय मार्केट	25
2	गल्ला मंडी	38
3	सराय गल्ला मंडी	13
4	सब्जी मंडी गांधीनगर बस्ती	78
5	गोश्त मंडी	11
6	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती	11
7	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती के गैरेज के सामने की दुकानें	5
8	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती की छोटी दुकानें	5
9	मोटर गैरेज कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती	2
10	कटेश्वर पार्क गांधीनगर बस्ती की नवनिर्मित दुकानें	23
11	रेलवे स्टेशन रोड बस्ती	16
12	अन्य सड़क	8
13	कटरा पानी टंकी	36
14	समीर चौराहा (कंपनीबाग)	73
15	आरकेबीके पेट्रोल पंप चौराहा बस्ती	43
16	पीपीपी मोड के तहत कटरा पानी की टंकी के पास दुकानें	28
17	पीपीपी मोड के तहत दुकानें आरकेबीके पेट्रोल पंप कटरा पानी की टंकी	22
18	पीपीपी मोड समीर चौराहा (कंपनीबाग)	17
19	पीपीपी मोड हनुमान गढ़ी गांधीनगर बस्ती	7
	कुल	461

तालिका 65 दुकानों की सूची बनाएं

### 9 बस्ती के नॉन-वेंडिंग जोन

क्रमांक	बस्ती के नॉन-वेंडिंग जोन
1	कचेहरी चौराहा
2	कंपनी बाग चौराहा
3	सुभाष तिराहा
4	कटरा पानी की टंकी
5	कटरा चुंगी
6	रौता चौराहा
7	रंजीत चौराहा
8	रोडवेज तिराहा मालवीय मार्ग
9	स्काउट प्रेस से इंदिरा नगर
10	रोडवेज चौराहा से गांधी नगर मार्ग
11	दक्षिण दरवाजा
12	अस्पताल चौराहा
13	करुआ बाबा चौराहा
14	रेलवे स्टेशन के सामने का क्षेत्र
15	सुरती हट्टा रोड
16	पांडे बाजार चौराहा

### तालिका 66 बस्ती के नॉन-वेंडिंग जोन

### 10 बस्ती के वेंडिंग जोन

क्रमांक	बस्ती के वेंडिंग जोन	पथ की लंबाई (मीटर में)
1	जी.आई.सी. (सीतापुर नेत्र अस्पताल से जिला विद्यालय गेट)	68
2	जी.जी.आई.सी. के पास पीपल का पेड़ से आलम कोल डिपो	42
3	कंपनी बाग टेंट हाउस से जजेज कॉलोनी गेट	21
4	कंपनी बाग विद्युत उपकेन्द्र से सरकारी आवास	36
5	कंपनी बाग कृषि गोदाम से वी.मार्ट	40
6	जलापूर्ति विभाग के सामने मंडी	76
7	चौधरी परिसर कार्यालय क्रॉसिंग से दुर्गा मंदिर	70
8	कबीर तिराहा से महाराणा प्रताप क्रॉसिंग	130
9	एसपी आवास के सामने दूसरी जमीन	180
10	आई.टी.आई. दूसरा गेट से आर.टी.ओ. कार्यालय	68
11	आर.टी.ओ. कार्यालय विद्युत ट्रांसफार्मर, डॉ सलीम के सामने पुलिया	36
12	एनएचएआई / पीडब्ल्यूडी कार्यालय के सामने कटरा	82
13	जिला उद्योग केंद्र कोतवाली के सामने	50

14	जिला पशु अस्पताल दक्षिण दरवाजा	40
15	जिला कार्यालय के पास मन वाटिका मैरिज हॉल के निकट	50

**तालिका 67 बस्ती के वेंडिंग जोन**

**11 बस्ती में मौजूदा पार्क**

क्रमांक	नम	क्षेत्रफल(वर्ग मीटर )
1	आवास विकास कॉलोनी टीवी टावर बस्ती	15000
2	पूर्व विधायक श्री रामलखन सिंह के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	15000
3	श्री राम जियावर के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	1350
4	कपिलगनाग के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	4800
5	मकान नं. 115 के पीछे आवास विकास कॉलोनी	4800
6	राजाबस्ती के घर के बगल में आवास विकास कॉलोनी	4800
7	आवास विकास कॉलोनी भोशनाथ पाठक के घर के पास	4800
8	श्री उदयशंकर के पास आवास विकास कॉलोनी	6300
9	श्री बाबूराम दुबे के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	6300
10	श्री अवनि कुमार श्रीवास्तव के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
11	श्री दुबे जी के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
12	श्री सूर्य प्रकाश भुकला के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	1800
13	श्री अनिल सिंह के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
14	श्री भरीफ के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
15	परिषद स्टोर के पास आवास विकास कॉलोनी	1800
16	श्री भर्मा के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
17	श्री कोदई के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
18	पानी की टंकी के पास आवास विकास कॉलोनी	7800
19	श्री तिवारी के घर के पास आवास विकास कॉलोनी	2700
20	नगर पालिका के पास पिकौरादतू राय कटेश्वर पार्क	4046

**तालिका 68 बस्ती में मौजूदा पार्क**

## संलग्नक

1. आपत्ति /सुझाव सुनवाई समिति की संस्तुति।
2. अंतिम बोर्ड की कार्यवृत्त का अनुपालन आख्या।
3. शासकीय समिति की बैठकों की अनुपालन आख्या।
4. कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2021/440/आठ-3-21-06 महा./2014 दिनांक 03 फरवरी 2021 एवं शासनदेश संख्या 2752 /आठ-3-22-06 महा. /2014 दिनांक 21 अक्टूबर 2022 द्वारा जारी चेक लिस्ट की अनुपालन आख्या।
5. शासन स्तर अन्य बैठकों में दिये गये निर्देशों की दिनांकवार अनुपालन आख्या ।
6. बस्ती विकास प्राधिकरण मे ग्राम की सूची

बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.10.2021 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के सभागार में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित सुझावों/निर्देशों का अनुपालन।

क्रमांक	समिति के सुझाव/निर्देश	अनुपालन
(1)	प्रारूप महायोजना संरचना के सम्बन्ध में निम्न सामान्य सुझाव/निर्देश दिये गये:-	
(1.1)	विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले यूपीसीडा के अधिसूचित क्षेत्र की सूची/सीमा को यूपीसीडा से प्राप्त कर विकास क्षेत्र से पृथक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	समायोजित
(1.2)	प्रारूप महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र को विभिन्न जोन्स में विभाजित कर प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया।	समायोजित
(1.3)	सभी महायोजनाओं में प्रस्तावित भू-उपयोग का नॉमनक्लेचर एक समान होना चाहिए, का सुझाव दिया गया।	समायोजित
(1.4)	ऐसे नगर जो नदी के किनारे बसे हैं, में रिवर सेप्टिक प्लानिंग के प्राविधानों के समावेशन प्रारूप महायोजना में किये जाने का सुझाव दिया गया।	समायोजित
(1.5)	समक्ष स्तर से स्वीकृत ले-आउट/तलपट मानचित्रों पर महायोजना के प्रस्ताव एवं जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधान लागू नहीं होंगे।	समायोजित
(1.6)	प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट के सम्बन्ध में निम्नवत् मत स्थिर हुआ-	समायोजित
(1.6.1)	वर्तमान में लागू महायोजना के निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट एवं प्रारूप महायोजना 2031 के अन्तर्गत निर्मित क्षेत्र में प्रस्तावित की जानी वाली बाजार स्ट्रीट हेतु मार्ग की प्रस्तावित/विद्यमान चौड़ाई के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत मार्ग के किनारे से अधिकतम 15 मीटर निर्धारित किये जाने का सुझाव दिया गया।	समायोजित
(1.6.2)	अन्य क्षेत्रों (निर्मित क्षेत्र को छोड़कर) में 24.00 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े प्रस्तावित/विद्यमान मार्गों पर इस शर्त के साथ बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किये जाने का सुझाव दिया गया कि 30 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्गों के निर्माण/चौड़ीकरण के समय सर्विस लेन अनिवार्य रूप से बनायी जाये।	समायोजित
(1.6.3)	प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाजार स्ट्रीट से सम्बद्ध भूखण्ड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य किये जाने का सुझाव दिया गया कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखण्ड की सम्पूर्ण गहराई जो कि प्रश्नगत बाजार मार्ग से सीधे सम्बद्ध हो, पर बाजार स्ट्रीट भू-उपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा।	समायोजित
(1.6.4)	प्राधिकरण की योजनाओं/स्वीकृत लेआउट में महायोजना प्रस्तावों के अन्तर्गत बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित होने की दशा में नियमानुसार ले-आउट में परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव प्रभावी होंगे।	समायोजित
(1.6.5)	बाजार स्ट्रीट हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।	समायोजित

क्रमांक	समिति के सुझाव/निर्देश	अनुपालन
(1.7)	प्रारूप महायोजना-2031 में प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग व निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30-30 मीटर हरित पट्टिका छोड़ने के पश्चात् नगर के विकास की सम्भावित क्षमता का आंकलन करते हुए अधिकतम 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसेलिटी जोन प्रस्तावित किये जाने का मत निम्नलिखित सुझावों के साथ स्थिर हुआ :-	समायोजित
(1.7.1)	हाईवे फैसेलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भू-उपयोग का ही भाग माना जायेगा।	समायोजित
(1.7.2)	हाईवे फैसेलिटी जोन में कोई भूखण्ड/भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रान्तीय राजमार्ग एवं बाईपास से सम्बद्ध होने के साथ-साथ यदि चक मार्ग से भी सम्बद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12.00 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।	समायोजित
(1.7.3)	हाईवे फैसेलिटी जोन हेतु प्रारूप जोनिंग रेगुलेशन्स संलग्न किया जा रहा है जिस पर आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के उपरान्त अन्तिम रूप दिया जाना होगा।	समायोजित
(1.7.4)	उपरोक्त जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसेलिटी जोन के अन्तर्गत स्थित भूखण्डों पर प्रस्तावित किये जाने वाली क्रियाओं हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत अनुमन्य अधिकतम भू-आच्छादन, तल क्षेत्रानुपात (एफ.ए.आर.), आदि के प्राविधानों को लागू किये जाने का सुझाव दिया गया।	समायोजित
(1.8)	वर्तमान में प्रभावी महायोजना के विरुद्ध हुए निर्माण/विचलन का मूल्यांकन करते समय यदि प्रभावी महायोजना के ऐसे प्रस्तावित भू-उपयोग जिन्हें भविष्य में विकसित किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता एवं उनमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय विकास/आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनहित में किया जाना नियोजन की दृष्टि से उचित पाया जाता है तो ऐसी दशा में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि ऐसे सभी भू-उपयोग एवं उनके संशोधित प्रस्ताव सम्पूर्ण औचित्य सहित प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त प्रारूप महायोजना की प्रदर्शनी के समय ऐसे संशोधनों हेतु अलग मानचित्र तैयार कर प्रारूप महायोजना के साथ आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु प्रदर्शित किया जाये जिन पर आपत्ति/सुझावों हेतु गठित समिति की संस्तुति पर बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जाने वाली प्रारूप महायोजना में समायोजित किया जाए।	समायोजित
(2)	बस्ती विकास क्षेत्र की अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी प्रारूप महायोजना-2031 के प्रस्तुतीकरण में दिए गये प्रस्तावों पर समिति द्वारा निम्नलिखित सुझाव प्रदान किये गये हैं :-	
(2.1)	वर्तमान में प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 के विश्लेषण/विचलन के प्रस्तुतीकरण में भू-उपयोग तालिका में दर्शित गणनाओं में टंकण त्रुटि पायी गयी, जिसे सुधार किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।	समायोजित
(2.2)	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं संबंधित विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को महायोजना में दर्शित किये जाने के निर्देश दिये गये।	समायोजित
(2.3)	वर्तमान में प्रभावी महायोजना में प्रदर्शित निर्मित क्षेत्र को यथावत रखने के निर्देश दिये गये हैं।	बस्ती विकास प्राधिकरण की दिनांक-25.06.2022 को

क्रमांक	समिति के सुझाव/निर्देश	अनुपालन
		सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) में समायोजित।
(2.4)	अयोध्या नगर का बस्ती नगर पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन करते हुए यथावश्यक बस्ती महायोजना में प्रस्ताव दिये जाने का सुझाव दिया गया है।	समायोजित
(2.5)	प्रारूप महायोजना के प्रस्तुतीकरण में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि बस्ती विकास क्षेत्र में मध्य स्थित 03 ग्राम यथा सोनूपार, बेलवादर तथा देवापर खास विकास क्षेत्र की अधिसूचना में सम्मिलित होने से छूट गये हैं जो कि विकास क्षेत्र में टापू की तरह विद्यमान है। नियोजन के दृष्टि से इन ग्रामों से आच्छादित क्षेत्रफल पर भी यथोचित प्रस्ताव इस शर्त के साथ दिये जाए कि उन ग्रामों को विकास क्षेत्र में अधिसूचित होने के उपरान्त ही प्रस्तावित भू-उपयोग प्रभावी होंगे। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उल्लिखित छूटे हुए ग्रामों को विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु प्रस्ताव यथाशीघ्र समक्ष स्तर को प्रेषित किया जाए।	समायोजित

बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर बस्ती विकास प्राधिकरण की दिनांक-25.06.2022 को कलेक्ट्रेट सभागार, बस्ती में सम्पन्न 8वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय का अनुपालन।

बैठक में लिए गये निर्णय	अनुपालन
कन्सल्टेन्ट द्वारा बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर किये गये प्रस्तुतीकरण तथा महायोजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श उपरान्त बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णयों/दिये गये निर्देशों तथा शासकीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों के अनुपालन की बिन्दुवार अनुपालन आख्या को महायोजना प्रतिवेदन में संलग्न करते हुए बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-11 के अन्तर्गत एक माह की अवधि के लिए जन-सामान्य/संस्थाओं, हितबद्ध व्यक्तियों/शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय विभागों से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही बस्ती विकास क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र के मध्य ऐसे राजस्व ग्राम जो बस्ती विकास क्षेत्र में अधिसूचित नहीं हैं, को विकास क्षेत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु शासकीय समिति के सुझावानुसार समुचित प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि महायोजना की प्रदर्शनी के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, बैनर एवं मुनादी आदि के माध्यम से किया जाय। साथ ही साथ महायोजना के प्रारूप को प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी अपलोड कर दिया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि महायोजना के प्रारूप की बुकलेट छपवाकर प्राधिकरण में रखी जाय एवं आम जनमानस को नो प्राफिट नो लॉस के आधार पर उपलब्ध करायी जाय।	लिये गये निर्णय अनुसार बस्ती महायोजना-2031 में समायोजित।

शासकीय समिति में दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या

शासनादेश संख्या-2/2021/440/आठ-3-21-06महा/2014 दिनांक 03.02.2021 द्वारा निर्गत प्रारूप महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजनाओं का परीक्षण किये जाने हेतु चेक लिस्ट

क्र.सं.	चेक लिस्ट बिन्दु का विवरण	कन्सल्टेन्ट की अनुपालन आख्या
1.	महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की संरचना में शासन की विभिन्न नीतियों यथा-आवास नीति, हाईटेक टाउनशिप नीति, इन्टीग्रेटेड हाउसशिप नीति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति, पर्यटन नीति, फिल्म नीति, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, तथा आपदा प्रबन्धन नीति, आदि के प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति।	शासन के विभिन्न नीतियों यथा आवास नीति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग नीति, पर्यटन नीति, फिल्म नीति, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, तथा आपदा प्रबन्धन नीति एवं भारत सरकार की विभिन्न गाईडलाइन यथा यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाईडलाइन, रिवर सेन्ट्रिक प्लानिंग आदि के नगर नियोजन एवं विकास से संबंधित प्राविधानों यथा झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन का प्रस्ताव महायोजना के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या-91से94 तक) में समावेश किया गया है।
2.	महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित लैण्डयूज प्लान की अवस्थापना सुविधाओं यथा-यातायात एवं परिवहन प्रणाली, जलापूर्ति ड्रेनेज सीवरेज, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट विद्युत आपूर्ति, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि से सम्बद्धता।	महानगर में यातायात एवं परिवहन को सुगम बनाने हेतु नई रिंग रोड को महयोजन मानचित्र में संयोजित करते हुए उपयुक्त भू-उपयोग का प्रस्ताव दिया गया है। एवं मानचित्र में समायोजित किये गये हैं।
3.	शासन एवं अर्द्धशासकीय विभागों/अभिकरणों द्वारा पूर्व स्वीकृत महायोजना के विपरीत किये गये विकास एवं निर्माण को पुनरीक्षित महायोजनान्तर्गत समायोजित किये जाने के औचित्य के संबंध में बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।	प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासन एवं अर्द्धशासकीय विभागों/अभिकरणों के प्रस्तावों/योजनाओं/सुझावों का नियोजन मानको के अनुसार महायोजना प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या-90 से तक) एवं मानचित्र में समायोजन किया गया है।
4.	पूर्व स्वीकृत महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की अविकसित रिक्त भूमि पर पुनरीक्षित महायोजनान्तर्गत नये भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के संबंध में औचित्य सहित बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।	प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण 2020 के अनुसार प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 के अविकसित भू-उपयोग पर विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये सुझावों के दृष्टिगत नियोजन मानको के अनुसार समुचित भू-उपयोग का प्रस्ताव प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में किया गया है।
5.	महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान हेतु जोन्स के चिन्हांकन की स्थिति।	महायोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार करने हेतु जोन्स का चिन्हांकन प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में किया गया है।

6.	प्रस्तावित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में नये विकास क्षेत्र के समावेशन के फलस्वरूप पूर्व निकायों द्वारा स्वीकृत मानचित्रों/ले-आउट के समायोजन का परीक्षण।	बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वीकृत तलपट मानचित्रों का समायोजन महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में किया गया है।
7.	संशोधित/पुनरीक्षित महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की स्थिति में पूर्व स्वीकृत महायोजना के विपरीत किये गये विकास एवं निर्माण कार्यों का परीक्षण एवं विश्लेषण।	वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण 2020 के अनुसार प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 के प्राविधानों के विरुद्ध हुए विपरीत विकास का चिन्हांकन एवं विश्लेषण प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या-62)
8.	पूर्व स्वीकृत महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में शासन द्वारा स्वीकृत भू-उपयोग परिवर्तनों के महायोजना में समायोजन की स्थिति।	प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार प्रभावी महायोजना में शासन द्वारा स्वीकृत भू-उपयोग परिवर्तनों को महायोजना में समायोजित किया गया है।
9.	मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रम में महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में आवश्यक समावेशन/अनुपालन की स्थिति।	प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख तथा मा0 न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में, वन भूमि, तालाब/पोखरे, पशुचर भूमि, खलिहान की भूमि को प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में समायोजित किया गया है।
10.	जिन नगरों में हवाई अड्डा स्थित है, वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से सम्पर्क स्थापित कर फनल जोन का मानचित्र/विवरण प्राप्त कर महायोजना/जोनल प्लान के मानचित्र में चिन्हांकन की स्थिति।	बस्ती में लागू नहीं है।
11.	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सांविधिक नियमों और आदेशों (एयर फोर्स एरोड्रोम्स/इन्स्टालेशन्स के समीपवर्ती क्षेत्रों में निर्माण प्रतिबन्धित है, जिसकी दूरी अलग-अलग एयर फोर्स स्टेशन्स के लिए अलग-अलग निर्धारित की गयी है), के महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में अनुपालन की स्थिति।	बस्ती में लागू नहीं है।
12.	नदियों के ईको-सिस्टम के संरक्षण हेतु महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावों की उपयुक्तता। नदियों के किनारे स्थित नगरों की महायोजनाओं में नदी तट को संरक्षित कर विभिन्न प्रस्ताव नदी तट के संरक्षण के संदर्भ में ही दिये जायें। नदी तटबन्ध के निर्माण की दशा में नदी तट, तटबन्ध से ही परिभाषित होगा।	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत रिवर सेन्ट्रिक अर्बन प्लानिंग गाईडलाइन के प्राविधानों के दृष्टिगत झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन के प्रस्ताव का प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या-109 से 116 तक) एवं मानचित्र में समावेश किया गया है।
13.	शासनादेश संख्या-957/आठ-3-2020 दिनांक 21.09.2020 तथा शासनादेश	नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत रिवर

	संख्या-977/आठ -3-2020 दिनांक 21.09.2020 द्वारा नदी तटीय विकास तथा नदी केन्द्रित महायोजनाएं तैयार किये जाने की स्थिति।	सेन्ट्रिक अर्बन प्लानिंग गाईडलाइन के प्राविधानों के दृष्टिगत झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन के प्रस्ताव का प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या-89) एवं मानचित्र में समावेश किया गया है।
14.	'दि एनशिएन्ट मानुमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वैलीडेशन) एक्ट, 2010' के अनुसार पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारको/हेरिटेज स्थलों की सीमा से 100मी0 परिधि (रेगुलेटेड एरिया) के अन्दर कोई भी निर्माण की अनुज्ञा पुरातत्व विभाग की अनापत्ति के आधार पर देय होती है। अतः उक्त एक्ट के प्राविधानानुसार संरक्षित स्मारको के चारो ओर प्रोहिबिटेड एरिया तथा रेगुलेटेड एरिया का भारतीय पुरातत्व विभाग के परामर्श से महायोजनाओं में चिन्हांकन की स्थिति।	दि एनशिएन्ट मानुमेन्ट्स एण्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स (एमेन्डमेन्ट एण्ड वैलीडेशन) एक्ट, 2010' के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही हेतु बस्ती जनपद में पुरातत्व विभाग द्वारा घोषित संरक्षित स्मारको/हेरिटेज स्थलों के चिन्हांकन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सारनाथ मण्डल, वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/अभिलेख/प्राविधानों के अनुसार महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में समायोजन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्मारको/स्थलों एवं इन्टेक के लोकल चेप्टर द्वारा चिन्हित स्थलो को भी महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में समायोजित किया गया है।
15.	जिन नगरों में सेना की फायरिंग रनेज स्थित है, उनकी महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में सेवा संगठन के परामर्श तथा सुसंगत गजट नोटिफिकेशन के आधार पर 'डेन्जर जोन' के चिन्हांकन की स्थिति।	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार बस्ती महायोजना क्षेत्र में कोई फायरिंग रेंज नहीं है।
16.	महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के विपरीत किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा किये गये अनधिकृत निर्माण को समायोजित करने के संबंध में सुसंगत शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में नियमितिकरण किये जाने हेतु उस बोर्ड का निर्णय एवं संस्तुति।	वर्तमान भू-उपयोग सर्वेक्षण 2020 के अनुसार प्रभावी गोरखपुर महायोजना-2021 के प्राविधानों के विरुद्ध हुए विपरीत विकास का चिन्हांकन किया गया है। महायोजना-2031 के संबंध में विभिन्न स्टेकहोल्डर्स एवं गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ हुई बैठकों में प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बस्ती महायोजना-2021 में दर्शित विनियमितिकरण क्षेत्र एवं विद्यमान विकास को दृष्टिगत रखते हुए महायोजना तैयार किया गया है।
17.	पर्यवरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 17 मई, 1999 द्वारा ताज ट्रैपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण और नियंत्रण) प्राधिकरण का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में ताज ट्रैपेजियम जोन का भी चिन्हांकन किया गया है। अतः ताज ट्रैपेजियम जोन में स्थित नगरों की महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना की संरचना में उक्त ताज	बस्ती में लागू नहीं है।

	ट्रैपेजियम की अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति।	
18.	जिन विकास क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ सैक्चुरीज, रिजर्व फोरस्ट अथवा पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्य संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं, महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना में वन विभाग तथा पर्यावरण विभाग से सुसंगत गजट नोटिफिकेशन व परामर्श के आधार पर ऐसे क्षेत्रों के चिन्हांकन की स्थिति।	वन विभाग तथा सिंचाई विभाग बस्ती से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों का समायोजन प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या- 90 तक) एवं मानचित्र में किया गया है।
19.	मा0 उच्चन्यायालय के आदेशों में क्रम में महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के विरुद्ध किये गये विकास/निर्माण पर अंकुश लगाने, ग्रीनबेल्ट का मूल स्वरूप बनाये रखने तथा हेरिटेज क्षेत्रों के संरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या-355/आठ-3-2004-215 काम्प/2003, दिनांक 29.01.2004 में निहित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति।	वन विभाग तथा सिंचाई विभाग बस्ती से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों के दृष्टिगत आरक्षित वन, ग्रीन बेल्ट तथा नदी/तालाब/पोखरो आदि को यथावत प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में समायोजित किया गया है।
20.	विकास क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों, झीलों का चिन्हित कर महायोजनाओं/क्षेत्रीय विकास योजना में उनके अनिवार्य संरक्षण हेतु प्राविधानों की स्थिति।	वन विभाग तथा सिंचाई विभाग बस्ती से प्राप्त सुझावों/प्रस्तावों के दृष्टिगत आरक्षित वन, ग्रीन बेल्ट तथा नदी/तालाब/पोखरो आदि को यथावत प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या- 89) एवं मानचित्र में समायोजित किया गया है।
21.	URDPFI गाइडलाइन्स के अनुसार भू-उपयोगों का निर्धारण व भू-उपयोगों की परस्पर सह-सम्बन्धता (Co-relation)।	यू.आर.डी.पी.एफ.आई. गाइडलाइन्स तथा अनुबन्ध के टी.ओ.आर. के अनुसार विभिन्न भू-उपयोगों का प्रस्ताव तथा भू-उपयोग प्रस्तावों की सह-सम्बद्धता को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयानुसार महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र तैयार किया गया है।
22.	महायोजना/क्षेत्रीय विकास योजना के मानचित्र पर आपत्ति/सुझाव समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर सुनिश्चित किये जाने की स्थिति।	आपत्ति/सुझाव की सुनवाई हेतु गठित समिति द्वारा मानचित्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्रांक-96/स.नि.(के)/अमृत विविध2022-23 दिनांक 07.09.2022 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति।

क्र.सं.	बिन्दु का विवरण	कन्सल्टेन्ट की अनुपालन आख्या
1.	महायोजनाओं में सेटलाइट आधारित बेस मैप/गुगल मैप (ओपन-सोर्स मैप्स) में चिह्नित वाटर बाडीज तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज जलाशयों, तालाबों, आदि को स्पष्ट रूप से चिह्नित करते हुए इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक ड्रेनेज लाइन तथा उनके अन्तिम निस्तारण बिन्दु को महायोजना मानचित्र पर चिह्नित करते हुए उनके संरक्षण/सुदृढीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जाए। साथ ही किसी भी दशा में इनका अतिक्रमण न होने दिया जाए एवं विद्यमान अतिक्रमण को हटाकर इनके मूल स्वरूप में वापस लाये जाने की कार्यवाही की जाये।	जी0आई0एस0 बेस्ड आधार मानचित्र में चिह्नित वाटर बाडीज तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज जलाशयों, तालाबों, प्राकृतिक ड्रेनेज लाइन तथा उनके अन्तिम निस्तारण बिन्दु आदि को स्पष्ट रूप से महायोजना प्रतिवेदन (पृष्ठ संख्या89) एवं मानचित्र में चिह्नित किया गया है तथा वाटर्शेड मानचित्र में भी दर्शित किया गया है और इनका संरक्षण/सुदृढीकरण सुनिश्चित करने हेतु 10 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव (पृष्ठ संख्या- से तक) महायोजना 2031 में किया गया है। जलविभाजन मानचित्र भी तैयार किया गया है

शासनादेश संख्या-2752/आठ-3-22-06महा./2014 दिनांक 21.10.2022 द्वारा निर्गत 20 बिन्दुओं की चेक लिस्ट के अनुसार अनुपालन की स्थिति।

क्र. सं.	बिन्दु का विवरण	कन्सल्टेन्ट की अनुपालन आख्या
1.	महायोजनाओं की योजना अवधि हेतु नगर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का चिन्हांकन किया जाना तथा उनका चरणबद्ध विकास एवं अनुमानित लागत के प्रस्तावों की स्थिति।	महायोजना की योजना अवधि हेतु नगर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का चिन्हांकन तथा उनका चरणबद्ध विकास एवं अनुमानित लागत के प्रस्ताव का विवरण महायोजना 2031 प्रतिवेदन के वित्त अध्याय में किया गया है।
2	नगर की अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आदि के विकास एवं संवर्द्धन की प्रस्तुत की गयी विस्तृत योजना की स्थिति।	नगर की अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले स्थल, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट आदि के विकास एवं संवर्द्धन हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर उनके प्रस्ताव को महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में समायोजित किया गया है।
3	महायोजनान्तर्गत आर्थिक क्रिया कलापो की योजना (जो सरटनिबिलिटी आधारित हो), 'सीटी मोबिलिटी प्लान' 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान' (जो लैण्डयूज प्लान से एकीकृत हो), 'इन्कलूसिव प्लान' (विशेष रूप से रैन बसेरा, फेरी वाले, वृद्धाश्रम, अनाथालय, कार्यकारी महिलाओं के लिए 'हास्टल', शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाएं इत्यादि) 'पेरि-अर्बन' क्षेत्रों के नियोजन हेतु योजना तथा पर्यावरण संरक्षण, योजना के समावेश की स्थिति।	बस्ती नगर हेतु तैयार कराये गय जिसका विस्तृत विवरण महायोजना 2031 प्रतिवेदन के आधारभूत संरचना अध्याय में किया गया है।
4	महायोजना के विभिन्न कार्याओं का परस्पर एवं वित्त पोषण से 'इन्टीग्रेशन' की स्थिति यथा महायोजना मार्गों और नगर स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना एवं 'फाइनेन्सिंग प्लान' की स्थिति।	
5	भूमि मूल्य में उत्पन्न विषमताओं के निराकरण के लिये महायोजना के पुनरीक्षण अथवा परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किये जाने के कारण 'निम्न भू-उपयोग से उच्चकृत भू-उपयोग' में प्रस्तावित भूमि के स्वामियों से 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत करने हेतु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधिक व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है। उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने पर अभिकरणों द्वारा 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत किया जा सकेगा। यह व्यवस्था रिपोर्ट में अंकित किया जाये।	'निम्न भू-उपयोग से उच्चकृत भू-उपयोग' में प्रस्तावित भूमि के स्वामियों से 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत करने हेतु अधिनियम में संशोधन के माध्यम से विधिक व्यवस्था का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित होने के दृष्टिगत उक्त व्यवस्था के प्रभावी होने पर अभिकरणों द्वारा 'नगरीय उपयोग प्रभार' उद्ग्रहीत किये जाने का

		प्रस्ताव महायोजना 2031 प्रतिवेदन में किया गया है।
6	महायोजना में हरित क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और जन संविधाओं के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान करने की व्यवस्था लागू किये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाएगा।	महायोजना में हरित क्षेत्रों/ग्रीन बेल्ट और जन संविधाओं के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान हेतु इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार महायोजना 2031 प्रतिवेदन में प्रस्ताव किया गया है।
7	महायोजना में टी.ओ.डी. (ट्राजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेन्ट) जोन के रेखांकन की स्थिति।	बस्ती में लागू नहीं है।
8	अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संबंधित विभागों/अभिकरणों (यथा-नगर निगम, जल निगम, सूडा, लोक निर्माण विभाग आदि) से समन्वय स्थापित कर कार्य-योजना एवं 'फाइनेन्सिंग प्लान' बनाये जाने की स्थिति।	महायोजना के विभिन्न कार्याशों का परस्पर ए का समायोजन महायोजना 2031 प्रतिवेदन किया गया है।
9	'ट्रक' अवस्थापना सुविधाओं यथा-महायोजना मार्गों, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट, ग्रीनबेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, विद्युत-स्टेशन, बस-स्टेशन, पार्किंग स्थल, आदि के लिए महायोजना में आरक्षित भूमि के चरणबद्ध रूप से अधिग्रहण वित्त पोषण एवं विकास/निर्माण हेतु सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर तैयार की गयी कार्य-योजना की स्थिति।	'ट्रक' अवस्थापना सुविधाओं यथा-महायोजना मार्गों, ड्रेनेज, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सॉलिडवेस्ट मैनेजमेन्ट, ग्रीनबेल्ट, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, विद्युत-स्टेशन, बस-स्टेशन, पार्किंग स्थल, आदि के लिए आरक्षित भूमि को भू-स्वामी द्वारा शासकीय अभिकरण के पक्ष में निःशुल्क समर्पित किए जाने की दशा में उक्त भूमि के सापेक्ष संबंधित भू-स्वामियों को आवासीय उपयोग का 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' प्रदान हेतु इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार महायोजना 2031 प्रतिवेदन में (पृष्ठ संख्या-118) प्रस्ताव किया गया है।
10	महानगरों हेतु 'काम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान' तैयार किए जाएंगे तथा महायोजनाओं के लैण्डयूज प्लान्स को काम्प्रीहेन्सिव मोबिलिटी प्लान' एवं 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान्स' से एकीकृत किये जाने की स्थिति।	बस्ती में लागू नहीं है।
11	सार्वजनिक परिवहन तथा नान-मोटराइज्ड वाहनो को बढ़ावा देने हेतु महानगरों में द्रुत जनपरिवहन प्रणाली (मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम) यथा-मैट्रो रेल, सी.एन.जी.	बस्ती में लागू नहीं है।

	आधारित बी.आर.ट.एस. आदि के विकास को प्रोत्साहित किये जाने की स्थिति।	
12	प्रदेश के प्रमुख शहरों में रिंग रोड/बाईपास का निर्माण, बस एवं ट्रक टर्मिनल्स को शहरों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने, रेलवे क्रासिंग्स पर आर.ओ.बी. का निर्माण, उपयुक्त स्थलों पर फ्लाईओवर निर्माण तथा नदियों पर पुल निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति।	रिंग रोड/बाईपास का निर्माण, बस एवं ट्रक टर्मिनल्स को शहरों के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने, रेलवे क्रासिंग्स पर आर.ओ.बी. का निर्माण, उपयुक्त स्थलों पर फ्लाईओवर निर्माण तथा नदियों पर पुल निर्माण सम्बन्धी योजनाओं का समायोजन महायोजना-2031 मानचित्र प्रस्ताव किया गया है।
13	शहरों के अन्दर पार्किंग स्थलों के विकास, ट्रैफिक मैनेजमेन्ट तथा 'नॉन-मोटोराइज्ड' वाहनों यथा-साइकिल, रिक्शा, आदि को बढ़ावा देने के लिए कार्य-योजना की स्थिति एवं पैदल यात्रियों तथा साइकिल चालकों के सुरक्षित आवागमन के लिए शहरों के अन्दर मुख्य मार्गों के साथ फुटपाथ, साइकिल ट्रैक्स के प्राविधान को प्रोत्साहित किये जाने का प्रस्ताव एवं चौराहों, सर्विस रोड, कैरिज-वे मीडियन, बस-स्टॉप, पार्किंग सुविधाओं, आदि के डिजाइन में साइकिल चालकों का विशेष ध्यान रखे जाने की स्थिति।	बस्ती नगर प्रस्ताव को महायोजना में समायोजित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण महायोजना 2031 प्रतिवेदन के अनुलगन में रोड क्रॉस सेक्शन डिजाइन को समायोजन किया गया है।
14	महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पार्क, खुले क्षेत्रों आदि के साथ-साथ हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) के संरक्षण के उपायों की स्थिति।	पार्क, खुले क्षेत्रों तथा ग्रीनबेल्ट के लिए आरक्षित भूमि के 'ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स' के माध्यम से संरक्षण के लिए इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार महायोजना 2031 प्रतिवेदन में प्रस्ताव किया गया है।
15	जलाशयों, तालाबों का संरक्षण किया जाएगा तथा नदी, नालो एवं उच्चतम बाढ़ स्तर से प्रभावित क्षेत्रों को निर्माण/अतिक्रमण से मुक्त रखा जाएगा। नदी/नालो के प्रवाह क्षेत्र के संरक्षण हेतु 'पी-लाइन' के आधार पर बन्धों की स्थिति को संज्ञान में लेने के उपरान्त ही महायोजनान्तर्गत भू-उपयोग निर्धारित किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की स्थिति।	जलाशयों, तालाबों के संरक्षण तथा नदी, नालो एवं उच्चतम बाढ़ स्तर से प्रभावित क्षेत्रों को निर्माण/अतिक्रमण से मुक्त रखने के उद्देश्य से रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, नदी तटीय क्षेत्र के संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत रिवर सेन्ट्रिक अरबन प्लानिंग गाईडलाइन के प्राविधानों के दृष्टिगत झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन के प्रस्ताव का प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या- से तक) एवं मानचित्र में समावेश किया गया है। तथा वाटर्शेड मानचित्र में भी दर्शित किया गया है और

		इनका संरक्षण/सुदृढीकरण सुनिश्चित करने हेतु 10 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव महायोजना 2031 में किया गया है।
16	शहरी क्षेत्रों में निरन्तर जल दोहन के फलस्वरूप भू-जल स्तर के गिरावट की रोकथाम हेतु नगरीय क्षेत्रों में विकसित की जाने वाली कालोनियों में विद्यमान तालाबों/जलाशयों के संरक्षण हेतु उपाय किए जाने की स्थिति।	जलाशयों, तालाबों, नदी, नालों के संरक्षण के उद्देश्य से रामगढ़ ताल, चिलुआ ताल, नदी तटीय क्षेत्र के संबंध में नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत रिवर सेन्ट्रिक अरबन प्लानिंग गाईडलाइन के प्राविधानों के दृष्टिगत झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन के प्रस्ताव का प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या- से तक) एवं मानचित्र में समावेश किया गया है। तथा वाटर्शेड मानचित्र में भी दर्शाया गया है और इनका संरक्षण/सुदृढीकरण सुनिश्चित करने हेतु 10 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव महायोजना 2031 में किया गया है।
17	महायोजना/जोनल डेवलपमेन्ट प्लान /सेक्टर प्लान के अन्तर्गत समस्त प्रकार के टोस अपशिष्टों जैसे-नगरीय टोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं 'ई'-अपशिष्ट के संग्रह और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण/रीसाइक्लिंग/प्रबन्ध की समुचित व्यवस्था हेतु आवश्यक प्राविधानों की स्थिति। इसके अतिरिक्त नगरीय टोस अपशिष्ट नियम के प्राविधानों के अनुसार पृथक क्षेत्र में लैंडफिल साइट पर नियमानुसार निस्तारण की स्थिति।	टोस अपशिष्टों जैसे-नगरीय टोस अपशिष्ट, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट एवं 'ई'-अपशिष्ट के संग्रह और वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण/रीसाइक्लिंग/प्रबन्ध की समुचित व्यवस्था हेतु सुसंगत अपशिष्ट नियमों के अनुसार विस्तृत कार्य योजना के अनुसार समुचित स्थलों पर क्रियावन्धन किये जाने का प्रस्ताव है। नगरीयकरण क्षेत्र के बाहर कृषिगत क्षेत्र में इन क्रियाओं को अनुमत्य किया गया है।
18	शहरी क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु मास ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के साथ-साथ वाहनों के संचालन हेतु स्वच्छ ईंधन अर्थात् सी.एन.जी./इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग एवं साईकिल ट्रैक्स व पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित मार्गों के निर्माण की प्रोत्साहित किये जाने की स्थिति।	बस्ती में लागू नहीं है।
19	महायोजना के अन्तर्गत एक दक्ष 'लैण्डयूज प्लानिंग के माध्यम से आवास एवं कार्य-केन्द्रों की निकटता व सह-सम्बद्धता के प्रस्ताव ताकि ट्रैफिक जनरेशन, ट्रेवल	सस्टेनेबल भू-उपयोग नियोजन हेतु नियोजन खण्डों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें आवास एवं कार्य केन्द्रों का

	डिस्टेन्सय एवं वाहनो से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। इस सम्बन्ध में स्थिति।	प्रस्ताव प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।
20	<p>प्रदेश की प्रमुख नदियों यथा-गंगा, यमुना, गोमती, राप्ती, रामगंगा, हिण्डन, बेतवा, घाघरा, आदि के किनारे अनेक नगर बसे हुए हैं, जिनका निरन्तर विस्तार हो रहा है। सामान्यतः नगरों का सीवेज, प्रदूषित जल तथा औद्योगिक उत्प्रवाह नालो के माध्यम से सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जो नदियों को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त नगरीय आबादी के विस्तार एवं अतिक्रमण के कारण नदी प्रवाह क्षेत्र संकुचित भी हो रहे हैं। इन समस्याओं के निवारण हेतु निम्नलिखित रणनीति प्रस्तावित है :-</p> <p>20.1 महायोजना/लैण्डयूज प्लान में नदियों के 'फ्लड प्लेन' को एच.एफ.एल. के सन्दर्भ में पर्यावरण विभाग के सहयोग से 'पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र' घोषित किया जायेगा और उन्हें बाढ़ नियंत्रण एवं बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों में विकास/निर्माण प्रतिबन्धित किया जायेगा।</p> <p>20.2 नदियों के किनारे विकास/निर्माण की अनुमति पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की वाह्य सीमा से पर्याप्त एवं सुरक्षित दूरी पर देय होगी। नदी अथवा संवेदनशील क्षेत्र में नगरीय अथवा ग्रामीण आबादियों से जल-मल, घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट के निस्तारण को प्रतिबन्धित किया जायेगा।</p>	<p>नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत रिवर सेन्ट्रिक अरबन प्लानिंग गाईडलाइन के प्राविधानों के दृष्टिगत झील/तालाब/पोखरो का संरक्षण/विकास, नदी तटीय विकास, बन्धा मार्गों का प्रस्ताव, ग्रीन बेल्ट/बफर जोन के प्रस्ताव का प्रारूप महायोजना प्रतिवेदन के नीति निर्धारण अध्याय (पृष्ठ संख्या- से तक) एवं मानचित्र में समावेश किया गया है। तथा वाटर्शेड मानचित्र में भी दर्शित किया गया है और इनका संरक्षण/सुदृढीकरण सुनिश्चित करने हेतु 10 मीटर ग्रीन बेल्ट का प्रस्ताव (पृष्ठ संख्या-163 से तक) महायोजना 2031 में किया गया है।</p>

बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु गठित शासकीय समिति की दिनांक 03.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या।

बिन्दु संख्या	निर्देश/सुझाव	अनुपालन आख्या
2.1	महायोजना को सजरे पर स्थानांतरण की कार्यवाही तथा राजस्व अभिलेखों के आधार पर सजरे का क्षेत्रफल का स्थल से मिलान किया जाये।	एन.आर.एस.सी. हैदराबाद द्वारा जी.सी.पी. प्वाइंटस् की सहायता से जीयो रेफरेन्स आधार मानचित्र के अनुसार सजरा सुपर इम्पोज कर दिया गया है।
2.2	सम्पूर्ण बेस मैप की ग्राउण्ड ट्रूथिंग सुनिश्चित की जाये।	नगरीकरण क्षेत्र के बेस मैप की विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा कन्सल्टेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से ग्राउण्ड ट्रूथिंग करा ली गयी है।
2.3	ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष-2004 से महायोजना अनुमोदित होने के वर्ष-2015 के मध्य स्वीकृत महायोजना में प्रदर्शित हरित क्षेत्र में बहुतायत आवासीय मानचित्र स्वीकृत हो गये है, उन्हें इनवायरमेन्टल मीटिंगेशन स्टडी कराते हुए	शासन के निर्देशानुसार इंवायरमेन्टल मीटिंगेशन स्टडी की गई है। प्राधिकरण द्वारा हरित क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्रों से सम्बन्धित आराजी संख्याओं को प्रस्तावित मानचित्र चिन्हित किया गया है। विश्लेषण के अनुसार

<p>आवासीय क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है अथवा नहीं।</p>	<p>पार्क एवं खुले स्थल भू-उपयोग में कुल 68.8 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण विद्यमान है जिसमें 24.9 हेक्टेयर भूमि से संबंधित आराजी संख्याओं में प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत हैं। बस्ती विकास प्राधिकरण के साथ हुए विचार-विमर्श के दृष्टिगत महायोजना नगरीकरण क्षेत्र में स्थित राजस्व अभिलेखों के अनुसार खलिहान की भूमि, पशुचर एवं वाटरवाडीज के चतुर्दिक हरित पट्टिका को सम्मिलित करते ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जाना प्रस्तावित है उक्त के अतिरिक्त शासकीय समिति के सुझावानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों के अतिरिक्त अन्य वाटरवाडीज को भी ग्रीन बेल्ट के रूप में रखा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार इवायरमेन्टल मीटिंगेशन के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्र में आने वाले खलिहान/पशुचर भूमि को ग्रीन बेल्ट के रूप में चिह्नित किया गया है, राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय के चतुर्दिक 10 मी. ग्रीन बेल्ट प्रस्ताव किया गया है। शासकीय समिति के सुझाव के क्रम में बोर्ड के निर्णयानुसार बस्ती विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार समस्त तालाब, पोखरा, पोखरी, जलाशय ताल, तलैया को महायोजना-2031 में तालाब/जलाशय के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है तथा शासकीय समिति के सुझाव 2.11 के क्रम में पूर्व महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र के बाहर राजस्व विभाग के तालाब/जलाशयों के अतिरिक्त अन्य वाटरवाडीज को ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है।</p>
<p>2.4 आपत्ति/सुझाव सुनवाई समिति एवं बोर्ड बैठक में संस्तुति/निर्णय के अतिरिक्त अन्य कोई भी संशोधन इत्यादि प्रारूप महायोजना के प्रस्ताव में सम्मिलित न किया जाये।</p>	<p>सुनवाई समिति एवं बोर्ड बैठक में संस्तुति/निर्णय के अनुसार परीक्षण कर भू-उपयोगों को दर्शा दिया गया है।</p>
<p>2.5 निर्मित क्षेत्र के बाहर 18 मी0 अथवा उससे अधिक के मार्गों पर बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव दिया जाना उचित होगा।</p>	<p>निर्मित क्षेत्र के बाहर 18 मी0 अथवा उससे अधिक के मार्गों पर बाजार स्ट्रीट का प्रस्ताव महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में कर दिया गया है।</p>
<p>2.6 प्रारूप महायोजना में राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाब, कब्रिस्तान, चारागाह एवं अन्य शासकीय भूमि इत्यादि का राजस्व अभिलेखों से सत्यापन करते हुए समस्त भूमि महायोजना मानचित्र पर अंकित की जाये।</p>	<p>महायोजना में राजस्व अभिलेखों में अंकित तालाब, कब्रिस्तान, चारागाह एवं अन्य शासकीय भूमि इत्यादि का राजस्व अभिलेखों से सत्यापन करते हुए समस्त भूमि महायोजना मानचित्र पर अंकित कर दिया गया है।</p>
<p>2.7 हाईवे फैसिलिटी जोन/हाईवे जोन में रोड ग्रिड को दर्शाते हुए इस हेतु पृथक से फ्लैक्सबिल डेवेलपमेन्ट कन्ट्रोल रेगुलेशन्स/जोनिंग रेगुलेशन्स तैयार किया जाना उचित होगा।</p>	<p>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। हाईवे फैसिलिटी जोन/हाईवे जोन में रोड ग्रिड को दर्शा दिया गया है।</p>
<p>2.8 कृषि भू-उपयोग के अन्तर्गत महायोजना में न्यूनतम 9 मी0 के मार्ग पर आवासीय तथा न्यूनतम 12 मी0 के मार्ग पर अनावासीय भू-उपयोगों से सम्बन्धित गतिविधिया अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में शिथिल रेगुलेशन्स तैयार किये जाये।</p>	<p>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उ0प्र0 एवं CEPT University के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।</p>
<p>2.9 प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर क्वानो नदी के दोनो तरफ प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्र को</p>	<p>प्रस्तावित नगरीकरण क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्र को महायोजना के ग्रीन क्षेत्र में नहीं</p>

	महायोजना के ग्रीन क्षेत्र में जोड़े जाने के संबंध में पुनर्विचार की आवश्यकता है। उक्त के अतिरिक्त महायोजना प्रतिवेदन में नदी के किनारे एच0एफ0एल0 में निर्माण प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना उचित होगा।	जोड़ा गया है। क्वानो नदी के किनारे एच0एफ0एल0 के संबंध में सिचाई विभाग से प्राप्त अभिलेखों/ मानचित्र के अनुसार एच0एफ0एल0 का महायोजना प्रतिवेदन एवं मानचित्र में उल्लेख कर दिया गया है।
2.10	महायोजना में नवीन रूप से प्रस्तावित एस0टी0पी0 एवं एस0डब्लू0एम0 के प्रस्तावों के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त करतें हुए उक्त आधार पर ही एस0टी0पी0 एवं एस0डब्लू0एम0 के प्रस्ताव अंकित किया जाना उचित होगा। सम्बन्धित विभाग से यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि पूर्व महायोजना-2021 में प्रस्तावित एस0डब्लू0एम0 का विकास किया जाना है अथवा नहीं? तदनुसार ही महायोजना-2031 में प्रदर्शित किया जाये।	प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सम्बन्धित जल निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 2 हेक्टेयर भूमि एस.टी.पी. हेतु चिन्हित करने का अनुरोध किया गया है। बस्ती नगर पालिका के अनुसार राजस्व ग्राम गोटा में एस.डब्लू.एम. प्रस्तावित है। बस्ती महायोजना-2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार कृषिगत भू-उपयोग में एस.डब्लू.एम. एवं एस.टी.पी. को अनुमत्य किया गया है।
2.11	नगर में अनेक स्थलों पर स्थित वाटरबाडीज राजस्व अभिलेखों के अनुसार तालाब है तो इन्हे तालाब के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए अन्यथा स्थल निरीक्षण कर परीक्षण करते हुए इनका भू-उपयोग ग्रीन बेल्ट इत्यादि में रखे जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।	शासकीय समिति के सुझाव के क्रम में बोर्ड के निर्णयानुसार बस्ती विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार समस्त तालाब, पोखरा, पोखरी, जलाशय ताल, तलैया को महायोजना-2031 में तालाब/जलाशय के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है तथा पूर्व महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र के बाहर राजस्व विभाग के तालाब/ जलाशयों के अतिरिक्त अन्य वाटरबाडीज को ग्रीन बेल्ट के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
2.12	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत ब्लूलेयर में माइक्रो वाटरशेड मैप सम्मिलित किया जाये। जल आच्छादित क्षेत्रों हेतु अर्बन फ्लड मीटिगेशन उपायों को भी महायोजना प्रस्तावों में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत ब्लूलेयर में माइक्रो वाटरशेड मैप को सम्मिलित किया गया है। जल आच्छादित क्षेत्रों हेतु अर्बन फ्लड मीटिगेशन उपायों को भी प्रस्तावों में सम्मिलित किया गया है।
2.13	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत ग्रीन लेयर में पूर्व में स्थित पार्क इत्यादि तथा प्रस्तावित हरित क्षेत्रों को अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाना होगा।	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत ग्रीन लेयर में पूर्व में स्थित पार्क इत्यादि तथा प्रस्तावित हरित क्षेत्रों को पृथक रंगों से प्रदर्शित कर दिया गया है।
2.14	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत सोशियो इकोनामिक लेयर प्रदर्शित किया जाये जिसमें बस्ती नगर की सोशियो इकोनामिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए इसे महायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाना होगा।	प्रारूप महायोजना में सोशियो इकोनामिक गतिविधियों का विश्लेषण करते हुए सोशियो इकोनामिक लेयर को महायोजना प्रस्ताव में सम्मिलित कर दिया गया है।
2.15	प्रारूप महायोजना में प्रस्तुत मोबिलिटी लेयर में प्रदर्शित प्रस्तावित सड़को के संरेखन में स्थल पर निर्मित भवनों के वैध/अवैध होने की स्थिति के दृष्टिगत पुनरीक्षण किया जाना उचित होगा। नगर के मध्य से गुजर रही रेलवे लाइन के दोनो ओर के क्षेत्रों को जोड़ने हेतु विभिन्न मार्गों पर आर0ओ0बी0 का प्रस्ताव सम्मिलित किया जाना उचित होगा।	प्रस्तावित सड़को के संरेखन में स्थल पर निर्मित अवैध भवनों के दृष्टिगत प्रस्तावित मार्गों को यथावत रखा गया है। नगर के मध्य से गुजर रही रेलवे लाइन के दोनो के क्षेत्रों को जोड़ने हेतु विभिन्न मार्गों पर दो स्थानों पर आर0ओ0बी0 का प्रस्ताव कर दिया गया है।
2.16	बस्ती विकास क्षेत्र के गठन के अधिसूचना में छोटे तीन ग्रामों के स्थल के आस-पास	बस्ती विकास क्षेत्र के गठन के अधिसूचना में छोटे तीन ग्रामों के स्थल के आस-पास

	प्रस्तावित भू-उपयोग के तारतम्य में भू-उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, जो शासन स्तर से इन ग्रामों को बस्ती विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी होगा।	प्रस्तावित भू-उपयोग के तारतम्य में भू-उपयोग प्रस्तावित कर दिया गया है जो शासन स्तर से इन ग्रामों को बस्ती विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त प्रभावी होगा। उक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये एन.एच. बाईपास के अद्यतन संरेखन को महायोजना मानचित्र अंकित कर दिया गया है तथा इसके दोनो ओर अधिसूचित विकास क्षेत्र में 30 मीटर ग्रीनबेल्ट तथा उसके उपरान्त 300 मीटर दोनो ओर हाईवे फेसलिटी जोन का प्रस्ताव किया गया है।
2.17	महायोजना में जोन्स का चिन्हीकरण उद्देश्यवार किया जाना तथा जोन्स जोनल प्लान तैयार किये जाने की प्राथमिकता निर्धारित किया जाना उचित होगा।	शासकीय समिति के सुझावानुसार महायोजना में 07 जोन्स का चिन्हीकरण किया जाना तथा जोन्स जोनल प्लान तैयार किये जाने की प्राथमिकता भी निर्धारित कर दी गयी है।
2.18	जी0आई0एस0 डेटा में परिलक्षित त्रुटियों का रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा Quality and Cross Checking करने के उपरान्त उपलब्ध कराये जाने वाली जांच आख्या के आधार पर निवारण किया जाना होगा।	जी0आई0एस0 डेटा में परिलक्षित त्रुटियों का रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा Quality and Cross Checking करने के उपरान्त उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर निवारण कर दिया गया है।

बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) के परीक्षण हेतु गठित शासकीय समिति की दिनांक 08.08.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या।

बिन्दु संख्या	निर्देश/सुझाव	अनुपालन आख्या
1.1	हवाई अड्डा क्षेत्र/वायु सेना के हवाई अड्डा क्षेत्र की सीमा में वृद्धि/परिमार्जन/प्रस्ताव हेतु सक्षम प्राधिकारी से सहमति एवं मानचित्र प्राप्त करते हुये महायोजना में चिह्नंकन किया जाये। हवाई अड्डा क्षेत्र/वायु सेना के हवाई अड्डा क्षेत्र के फनल जोन, वायु सेना के हवाई अड्डा क्षेत्र के चारों ओर नो-कन्सट्रक्शन जोन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चिह्नंकन महायोजना प्रारूप में किया जाए।	नगर में हवाई अड्डा नहीं है।
1.2	महायोजना प्रारूप में चिह्नंकित किये गये बाग, चारागाह, कैचमेण्ट क्षेत्र/बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/डूब क्षेत्र आदि अथवा ऐसे क्षेत्र जहां नियोजन की दृष्टि से निर्माण प्रतिबन्धित किया गया हो, को पार्क एवं खुले स्थल/ग्रीन बेल्ट/मनोरंजनात्मक भू-उपयोग हेतु यथा सम्भव चिह्नित किया जाए।	महायोजना में चिह्नित किया गया है।
1.3	अधिसूचित क्षेत्र के अन्दर स्थित नजूल राजकीय अस्थान, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, ग्राम समाज, निष्क्रांत सम्पत्ति, अर्बन सीलिंग इत्यादि से आच्छादित	महायोजना में चिह्नित किया गया है।

	भूमि को महायोजना प्रारूप में गाटा संख्या/खसरा संख्या/आराजी संख्या के अनुसार चिह्नित किया जाए।	
1.4	नगर में प्रवाहित हो रही नदी/नदियों के हाईएस्ट-फलड लाईन (एच.एफ.एल.) से सम्बन्धित मानचित्र एवं विवरण की सूचना सिंचाई विभाग/सम्बन्धित विभाग से हस्ताक्षरित प्रति के रूप में प्राप्त करते हुये महायोजना प्रारूप में चिह्नित किया जाए।	महायोजना में चिह्नित किया गया है।
1.5	राजस्व विभाग से समस्त वाटर बॉडीज का हस्ताक्षरित विवरण प्राप्त कर महायोजना प्रारूप में चिह्नित किया जाए।	महायोजना में चिह्नित किया गया है।
1.6	नगर के कण्टूर मैप के अनुसार प्राकृतिक ड्रेनेज का बहाव एवं कैचमेण्ट एरिया के साथ-साथ महायोजना प्रारूप प्रतिवेदन में इससे सम्बन्धित एक अलग अध्याय दिया जाए।	नगर के कण्टूर का अतिरिक्त मानचित्र दिया गया है।
1.7	भारत सरकार, नई दिल्ली की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेण्ट - 2023-24 योजना के रिफार्म संख्या 8 के अन्तर्गत 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों हेतु तैयार की जा रही महायोजनाओं प्रारूप में आवश्यक कम्पोनेन्ट्स के रूप में ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क/मोबिलिटी प्लान ब्लू एवं ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक प्लानिंग तथा लैण्डयूज प्लान को समाहित किये जाने पर प्रतिनगर इन्सेन्टिव प्रदान किये जाने का प्राविधान है। इस हेतु प्रत्येक नगर की महायोजना में उपरोक्त समस्त आवश्यक कम्पोनेन्ट्स हेतु महायोजना प्रतिवेदन में अलग अध्याय सम्मिलित किया जाए।	जनसंख्या 5 लाख से कम है।
1.8	महायोजना प्रारूप में प्रस्तावित किये गये हाई-वे जोन/हाई-वे फेसिलिटी जोन से सम्बन्धित मुख्य मार्ग के लम्बवत यथा आवश्यक दूरी पर मार्ग प्रस्तावित किया जाए एवं इन लम्बवत मार्गों को यथा सम्भव वर्तमान में विद्यमान चकमार्ग/ओ.डी.आर./एम.डी.आर. पर प्रस्तावित किया जाये जिससे कि इस जोन में समुचित सर्कुलेशन प्लान सुनिश्चित हो सके।	महायोजना में चिह्नित किया गया है।
1.9	टी.डी.आर. नीति-2022 के प्राविधानों के क्रम में सेगिडिंग एवं रिसीविंग जोन्स में परियोजनाओं को चिह्नित किया जाए।	लागू नहीं है।
1.10	प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित किये गये पार्क एवं खुले स्थल/ग्रीन बेल्ट/मनोरंजनात्मक क्षेत्र को तैयार की जा रही महायोजना प्रारूप में यदि परिमार्जित किया जाना/हटाया जाना अपरिहार्य है, तो इस हेतु सम्पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुये एवं परिमार्जित/हटाये गये क्षेत्रफल के बराबर	प्रभावी महायोजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

	ग्रीन एरिया महायोजना में किसी अन्य स्थान पर प्रस्तावित कर बोर्ड स्तर पर निर्णय लिये जाने के उपरान्त महायोजना प्रारूप में सम्मिलित किया जाए।	
1.11	विभिन्न शासकीय संस्थायें, जो मार्ग निर्माण का कार्य करती हैं, से प्राधिकरण द्वारा प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित महायोजना मार्गों के निर्माण हेतु आधिकारिक पत्राचार द्वारा अनुरोध करते हुये महायोजना मार्गों का निर्माण कराया जाए।	यह प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।
1.12	नगर के ऐसे क्षेत्र/स्मारक/भवन जो हेरिटेज गाईडलाईन्स से आच्छादित हैं अथवा नगर की ऐतिहासिक विरासत/पहचान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, के संरक्षण हेतु ऐसे क्षेत्रों/स्मारकों/भवनों के संरक्षण हेतु महायोजना प्रतिवेदन में एक अलग अध्याय सम्मिलित किया जाए जिसमें ऐसे क्षेत्रों में फसाड- कण्ट्रोल, स्काई लाईन, कलर कोड इत्यादि, जो भी नियोजन की दृष्टिकोण से उचित हो, के सम्बन्ध में यथासम्भव प्राविधान किये जाएं।	हेरिटेज स्ट्रक्चर मौजूद नहीं हैं।
1.13	महायोजना प्रारूप में दर्शित की गई समस्त ग्रामीण आबादियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादियों के अनुसार ही दर्शाया जाए।	महायोजना में चिन्हित किया गया है।
1.14	प्रभावी महायोजना में प्रस्तावित ऐसे भू-भाग जिनका भू-उपयोग महायोजना प्रारूप 2031 तैयार करते समय उच्चिकृत हो गया है एवं ऐसे क्षेत्रों में जो भवन अनधिकृत रूप से निर्मित/निर्माणाधीन हैं तथा महायोजना 2031 प्रारूप में प्रस्तावित भू-उपयोग के अनुरूप हैं, को उ.प्र. नगर योजना एवं विकास (संशोधन) अध्यादेश-2023 दिनांक 10 जुलाई 2023 के प्रस्तर 8 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नगरीय उपयोग प्रभार उद्ग्रहीत किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी उक्त व्यवस्था का उल्लेख महायोजना प्रतिवेदन में किया जाए।	जी.डी.सी.आर. में दर्शाया गया है।

**परिचालन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव**

प्रस्ताव:- शासकीय समिति द्वारा दिये गये सुझावों तथा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में दिये गये सामान्य सुझाव/निर्देशों के दृष्टिगत तैयार करायी गयी संशोधित बस्ती महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अनुमोदन के संबंध में।

बिन्दु संख्या	निर्देश	अनुपालन आख्या
1.1	बस्ती महायोजना-2031 प्रारूप के संबंध में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक	महायोजना प्रतिवेदन में प्रीस्ट संख्या 89 में समायोजित किया गया है।

08.08.2023 को सम्पन्न बैठक में दिये गये सामान्य सुझाव/निर्देशों के क्रम में सिंचाई विभाग, (बाढ़ खंड) बस्ती से कुंआनो नदी का डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन प्राप्त किया गया। सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार कन्सल्टेंट मै0 स्टेसलिट के द्वारा डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन का चिन्हांकन बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) के प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र पर कराया गया, जिसके अनुसार बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग का कुल 136 हे0 भाग डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित हो रहा है। डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित 136 हे0 भू-भाग में से प्रभावी बस्ती महायोजना-2021 आवासीय भू-उपयोग का 22.60 हे0 भूमि भू-भाग भी सम्मिलित है। बस्ती महायोजना-2021 के 22.60 हे0 क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के अनुसार बस्ती विकास प्राधिकरण द्वारा तथा महायोजना प्रभावी होने से पूर्व विनियमित क्षेत्र बस्ती द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में पूर्व महायोजना में प्रस्तावित आवासीय भू-उपयोग को परिवर्तित किये जाने से विधिक अडचने उत्पन्न हो सकती हैं। अतः इस क्षेत्र की टोपोलॉजी तथा पूर्व महायोजना के प्रस्तावों के दृष्टिगत डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन से प्रभावित बस्ती महायोजना-2021 के आवासीय भू-उपयोग में पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों के आलोक में नये मानचित्रों की नियमानुसार स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जाने पर विचार किया जा सकता है कि भवनों का प्लिंथ लेवल डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन के लेवल से अधिक रहे।

उक्त के दृष्टिगत बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) में सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर चिन्हित डूब क्षेत्र से प्रभावित आवासीय भू-उपयोग को बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) से हटाने व बस्ती महायोजना-2021 में डूब क्षेत्र से प्रभावित आवासीय क्षेत्र में मानचित्र की स्वीकृति की कार्यवाही भवनों के प्लिंथ लेवल डूब क्षेत्र/एच0एफ0एल0/फ्लड जोन के लेवल से अधिक रखे जाने के अनुसार किये जाने का प्रस्ताव है।

1.2	<p>शासकीय समिति के सुझावानुसार पूर्व महायोजना-2021 के नगरीकरण क्षेत्र के अन्दर राजस्व विभाग के तालाबों के अतिरिक्त बेसमैप के अनुसार निचले क्षेत्र जिनका पूर्व महायोजना में भू-उपयोग निर्धारित है, को तालाब चिन्हित करने से विधिक कठिनाई हो सकती है। अतः बस्ती विकास क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार समस्त तालाब, पोखरा, पोखरी, जलाशय ताल, तलैया को महायोजना-2031 में तालाब/जलाशय के अन्तर्गत रखे जाने का प्रस्ताव है तथा पूर्व महायोजना के नगरीकरण क्षेत्र के बाहर राजस्व विभाग के तालाब/जलाशयों के अतिरिक्त अन्य वॉटरबॉडीज को ग्रीन बेल्ट के रूप में रखे जाने का प्रस्ताव है।</p>	<p>प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।</p>
1.3	<p>उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि बस्ती महायोजना-2031 (प्रारूप) को शासन को प्रेषित किये जाने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि बस्ती नगर से प्रस्तावित बाई-पास के एलाइनमेंट (संरक्षण) में परियोजना निदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार परिवर्तन किया गया है तथा संशोधित एलाइनमेंट (संरक्षण) के एम. एल. फारमेट में उपलब्ध कराया गया है, जिसे कन्सलटेंट मे0 स्टेजलिट द्वारा महायोजना-2031 (प्रारूप) में चिन्हित कराया गया है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व में उपलब्ध कराये गये बाई-पास के संरक्षण तथा उसके दोनो ओर प्रस्तावित हरित पट्टी एवं हाइवे फेसिलिटी जोन के प्रस्ताव को निरस्त कर संशोधित संरक्षण के अनुसार बाई-पास के संरक्षण तथा उसके दोनो ओर हरित पट्टी एवं हाइवे फेसिलिटी जोन भू-उपयोग रखे जाने का प्रस्ताव है। प्रारूप महायोजना में प्रस्तावित बाई-पास के संरक्षण में परिवर्तन के फलस्वरूप इसके किनारे प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट नगर एवं लघु एवं सेवा उद्योग भू-उपयोग को 30 मीटर चौड़े बस्ती-कांटे महायोजना मार्ग के दक्षिण नये बाई-पास के संरक्षण तथा नगरीकरण सीमा के मध्य प्रस्तावित किये जाने का प्रस्ताव है।</p>	<p>प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।</p>
<p><b>आयुक्त/अध्यक्ष, बस्ती मण्डल/बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती की अध्यक्षता में सम्पन्न बस्ती विकास प्राधिकरण की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक-22.11.2023 का कार्यवृत्त</b></p>		
1.1	<p>पूर्व महायोजना 2021 में प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग को नई प्रारूप महायोजना में यथावत रखा गया है, जो वर्तमान के प्रस्तावित नगरीकरण के अधिकांश भाग के</p>	<p>प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।</p>

	<p>मध्य में स्थित है। औद्योगिक विकास को सार्थक रूप से प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के क्षेत्र के निकट प्रस्तावित बाईपास मार्ग के बाहर की ओर औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।</p>	
1.2	<p>प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर और बस अड्डे को प्रस्तावित बाईपास पर यथासंभव बाईपास के किनारे सरकारी/प्राधिकरण की भूमि पर प्रस्तावित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।</p>	<p>प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।</p>
1.3	<p>विकास क्षेत्र के मध्य से दो प्रमुख हाईवे गुजरते हैं तथा उत्तरी/दक्षिण दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बाईपास रिंग रोड प्रस्तावित है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संरेखण के अनुसार महायोजना में प्रस्तावित किया गया है। उक्त रिंग रोड तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य क्षेत्र को कृषि उपयोग के रूप में दर्शाया गया है। बस्ती नगर में आगामी 25 वर्षों में विकास की अपार संभावना के दृष्टिगत रखते हुए जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग तथा रिंग रोड के मध्य स्थित कृषि क्षेत्र को नगर की आवश्यकता के अनुरूप उपर्युक्त स्थलों पर आवासीय उपयोग व्यवसायिक/बाजार स्ट्रीट प्रस्तावित किए जाने का निर्णय लिया गया।</p>	<p>प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।</p>
1.4	<p>प्रारूप महायोजना में शासकीय समिति के सुझाव के अनुसार राज्य मार्ग तथा बाईपास के दोनों ओर नगरीकरण क्षेत्र के बाहर हाईवे फ़ैसिलिटी जोन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे कृषिगत उपयोग का भाग माना गया है अर्थात् भू-आच्छादन 10 प्रतिशत और एफ0 ए0 आर0 0.25 अनुमन्य होगा। हाईवे के किनारे हरित पट्टी छोड़ने के उपरांत कृषिगत भूमि के इष्टतम उपयोग तथा भूमि के मूल्य के दृष्टिगत यह सुझाव जनहित में व्यवहारिक नहीं है, अतः सामान्य परिस्थिति में हाईवे फ़ैसिलिटी जोन में भू-आच्छादन 10 प्रतिशत तथा एफ0 ए0 आर0 0.25 एवं विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक केस में जोनिंग रेगुलेशन मैट्रिक्स के अनुसार विशेष अनुमति से अनुमन्य प्रकरणों में गठित समिति द्वारा अधिकतम भू-आच्छादन 30 प्रतिशत तथा FAR0.9 के अनुसार परीक्षण करते हुए बोर्ड</p>	<p>महायोजना प्रतिवेदन में प्रीस्ट संख्या 90 में समायोजित किया गया है।</p>

	के निर्णय के उपरांत अग्रिम कार्यवाही की जाए।	
1.5	महायोजना में निर्धारित वरीयता के अनुसार शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर जोनल प्लान तैयार किए जाने की कार्यवाही भी की जाए।	उक्त निर्णय के क्रम में बस्ती महायोजना-2031 को 7 जोन में चिन्हित कर जोनल प्लान मानचित्र में दर्शाया गया है।
1.6	नगर पालिका द्वारा नगर में जनित ठोस कचरे के निस्तारण हेतु कोयलपुरा हेतु 04 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है उक्त प्रस्ताव को महायोजना प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया।	प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में समायोजित किया गया है।
1.7	उक्त के अतिरिक्त कृषिगत भूउपयोग में जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ठोस कचरा के प्रबंधन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अनुमन्य है। अतः नगर की आवश्यकता तथा भूमि की उपलब्धता के अनुसार कृषिगत उपयोग में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाए जाने का निर्णय लिया गया।	महायोजना प्रतिवेदन जोनिंग मटरीक्षस में समायोजित किया गया है।
1.8	बस्ती महायोजना-2031 की स्वीकृति के सम्बन्ध में परिचालन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की पुष्टि की गई। विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हॉइवे फ़ैसिलिटी जोन में ग्राउण्ड कवरेज 30 प्रतिशत एवं एफ0ए0आर0 0.9 तक के प्रकरणों में सामान्य अनुमति से एवं इससे अधिक (भवन उपविधि में निर्धारित सीमा तक) के प्रकरणों में मानचित्र विशेष अनुमति से स्वीकृत किये जाए। महायोजना-2031 की मैट्रिक्स में हॉइवे फ़ैसिलिटी जोन में अस्पताल/ट्रॉमा सेन्टर की अनुमन्यता का उल्लेख न होने के कारण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि हॉइवे फ़ैसिलिटी जोन में अस्पताल/ट्रॉमा सेन्टर को भी अनुमन्य किया जाए। पूर्व में लिए गये निर्णयों एवं उपरोक्त निर्णय को मास्टर प्लान में समायोजित करते हुए यथाशीघ्र अनुमोदन हेतु शासन को प्रेषित की जाये।	महायोजना प्रतिवेदन में प्रीस्ट संख्या 90 में समायोजित किया गया है।

# मानचित्र

1. वर्तमान भू-उपयोग
2. प्रस्तावित भू-उपयोग
3. सजरावार भू-उपयोग
4. विकास क्षेत्र
5. नियोजन खण्ड
6. रोड नेटवर्क
7. ब्लू लेयर
8. ग्रीन लेयर
9. इकनॉमिक लेयर
10. ग्राउन्ड वाटर
11. ग्रोथ ट्रेन्ड
12. कंटूर
13. बाजार स्ट्रीट